सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन 2024-25

DoIT.C

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन

2024-25

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	**परिचय (सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग)**	6
2	**राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड**	8
3	**राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड**	8
4	**प्रशासनिक तंत्र**	8
5	**विभाग द्वारा किये गये अभिनव प्रयोग**	
	5.1 जन सूचना पोर्टल	15
	5.2 राज उद्योग मित्र	16
	5.3 राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट (RajCAD)	17
	5.4 न्यूज मीडिया मैनेजमेंट सिस्टम (News Media Management System)	23
	5.5 बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (BPAS)	23
	5.6 भू–रूपांतरण प्रणाली (90A)	24
6	**नीतिगत पहल**	
	6.1 आधार अधिप्रमाणन (Authentication) ईकोसिस्टम	25
	6.2 आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति	25
	6.3 राजस्थान स्टार्टअप	25
	6.4 AVGC-XR Policy	29
7	**सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाएं**	
	7.1 राजस्थान राज्य डाटा सेंटर (RSDC)	31
	7.2 राजस्थान सम्पर्क	31
	7.3 राजवीसी	33

7.4 राजनेट 34
7.5 राज वाई–फाई 38
7.6 ई–मित्र 39
7.7 ई–मित्र प्लस 39
7.8 राज पेमेंट प्लेटफॉर्म 40
7.9 राज ई–साईन (Raj e-Sign) 42
7.10 स्टेट–पोर्टल 43
7.11 एकीकृत सरकारी पोर्टल 43
7.12 ई–संचार 2.0 44
7.13 राज–मास्टर (स्टेट मास्टर केन्द्रीकृत डाटा हब) 45
7.14 राज–काज (इन्टीग्रेटेड राज ई–ऑफिस) 45
7.15 विडियोवॉल 47
7.16 राज ई–वॉल्ट 49
7.17 सिंगल साईन ऑन (SSO) 52
7.18 आधार डेटा वॉल्ट 52
7.19 राज सेवा द्वार (Raj Sewa Dwar) 52
7.20 डाटा एनालिटिक्स एवं बिग डाटा क्लस्टर 54
7.21 ई–बाजार 56
7.22 राजस्थान सप्लाई एंड इवेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम (RajSIMS) 58
7.23 राजधारा–एकीकृत भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS) 61
7.24 राज ई. आर. पी. 62
7.25 राज लर्निंग मैनेजमेन्ट सिस्टम (RAJ-LMS) 65
7.26 जयपुर 3D सिटी परियोजना 65
7.27 चीफ मिनिस्टर इन्फोर्मेशन सिस्टम (सीएमआईएस) 67
8 **मानव संसाधन विकास**
8.1 सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण 68
8.2 इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 68
8.3 राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन 68
8.4 राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (RIAL), जयपुर 68
8.5 राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट (RGFDI), जोधपुर 71

	8.6 राजस्थान सेन्टर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (R-CAT), जयपुर	74
9	**अन्य विभागों की महत्वपूर्ण परियोजनाएं**	
	9.1 वाइल्डलाइफ सर्विलांस एंड एंटी–पॉचिंग सिस्टम (WS&APS)	77
	9.2 वन विभाग और निर्णय सहायता प्रणाली (FMDSS)	79
	9.3 आरटीआई पोर्टल	82
	9.4 अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर (ACCC)	84
	9.5 राज्य भर्ती पोर्टल (State Recruitment Portal)	86
	9.6 ई–टेन्डर (e-Procurement)	88
	9.7 एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली (IHMS)	89
	9.8 एकीकृत ई–पंचायत सॉफ्टवेयर	93
	9.9 राजफेब (RajFab)	94
	9.10 स्टेट इंश्योरेंस एवं प्रोविडेंट फण्ड पोर्टल (SIPF)	95
	9.11 लाईट्स –न्याय विभाग (Litigation Information Tracking & Evaluation System)	96
	9.12 एकीकृत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पोर्टल	97
	9.13 राजस्थान जन–आधार योजना	98
	9.14 राजस्थान ई–आर्काइवल मैनेजमेंट सिस्टम (ReAMS)	99
	9.15 आपदा प्रबन्धन सूचना प्रणाली (DMIS)	102
	9.16 राजकिसान साथी	103
	9.17 सर्किट हाऊस मैनेजमेंट सिस्टम (CHMS)	107
	9.18 सोशल मीडिया नेटवर्क मैनेजमेन्ट प्लेटफार्म	108
	9.19 ई–लाइब्रेरी	110
	9.20 जी.सी.एम.एस. (Generalized Court Management System)	111
	9.21 राजकौशल	113
	9.22 ई.ई.एम.एस. (Employment Exchange Management System)	115
	9.23 यू.आई.डी (आधार)	116
	9.24 राजनिवेश	117
	9.25 ई–बिजनेस पोर्टल	117
	9.26 यूडीएच में आईटी का योगदान (Contribution of IT in UDH)	117
	9.27 एलएसजी में आईटी का योगदान (Contribution of IT in LSG)	118
	9.28 रेरा में आईटी का योगदान (Contribution of IT in RERA)	121

	9.29 स्टेट ऑर्गन टिश्यु ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (सोटो)	122
	9.30 डीएलसी जीईओ टैगिंग (DLC Geo Tagging)	123
	9.31 इंटीग्रेटेड एक्साइज मैनेजमेंट सिस्टम	124
	9.32 Online Ticket Booking Management System (OBMS)	125
	9.33 वित्तीय समावेशन गेटवे	126
	9.34 GIS आधारित Village Master Plan Web Application	128
	9.35 आर.एस.एल.डी.सी (Rajasthan Skills and Livelihoods Development Corporation)	131
	9.36 सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लॉकचेन	133
	9.37 डिजिटल लाइब्रेरी (Digital Library)	134
	9.38 सॉफ्टवेयर डवलपमेंट सेंटर	135
	9.39 चीफ मिनिस्टर वर्कस मेनेजमेंट सिस्टम (CM-WMS)	140
	9.40 इन्ट्रीग्रेटेड वाटरशेड मेनेजमेट सिस्टम (IWMS)	140
	9.41 फाइबर टू द होम (FTTH) परियोजना	142
10	**वर्ष वार विगत तीन वर्षो के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय**	144
11	**पुरस्कार एवं प्रशंसा**	145

1 परिचय (सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग)

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध एवं उचित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 1987 में कम्प्यूटर निदेशालय की स्थापना की। तत्पश्चात आदेश संख्या प.27(2)मंमं/1997 दिनांक 30 सितम्बर, 1997 द्वारा विभाग का नाम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प.27(1) मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा इसके कार्य क्षेत्र के अनुरूप इस संस्था का नाम सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (Department of Information Technology & Communication- DoIT&C) कर दिया गया।

मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प.27(1)मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के कार्यविधि नियमों में संशोधन किया गया। संशोधित कार्यविधि नियम निम्न प्रकार से है :–

1 राजस्थान में कम्प्यूटरीकरण के लिये नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना, सरकारी विभागों और संगठनों में कम्प्यूटर, दूरसंचार और आधुनिक कार्यालय उपकरणों के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करना, उन्हें प्रोत्साहित करना एवं उनका प्रचार करना।

2 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के विकास और प्रयोग से संबंधित सभी पहलुओं पर नीतियों का निरूपण करना:

- (क) समग्र निर्देश और मार्गदर्शन करना।
- (ख) विभागों के कम्प्यूटरीकरण के लिये नीति और उनके क्रियान्वयन को मॉनिटर करना।
- (ग) सरकार में प्रयुक्त होने वाली समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना।
- (घ) बैंडविड्थ की उपलब्धता और उत्तम गुणवत्तायुक्त ध्वनि तथा आँकडा प्रेषण सुविधाओं का निर्धारण करना।
- (ड़) दूरसंचार के प्रसार के लिये विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट सुविधाओं के लिये नीति बनाना।
- (च) राज्य के लिये अपेक्षित दूरसंचार प्रौद्योगिकी के मानकीकरण के लिये नीति बनाना।
- (छ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में विनिमय के प्रयोजनार्थ प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिये युक्ति तैयार करना।
- (ज) स्थानीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।
- (झ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इन्टरनेट सुरक्षा नीति।

(ण) नीति निरूपण एवं क्रियान्वयन के लिए उपर्युक्त संगठनात्मक संरचना सृजित करना।

(ट) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार परियोजनाओं के वित्त घोषणा के लिए नीति बनाना।

3 सरकार की सभी एजेन्सियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार अवसंरचना के सृजन और सुदृढ़ीकरण के मामले में समन्वय करना।

4 निम्नलिखित उद्देश्यों को सम्मिलित करते हुए इलेक्ट्रानिक गवर्नेन्स का सूत्रपात करना :

(क) राजस्थान राज्य में ई–गवर्नेन्स का समन्वय और समग्र डिज़ाइन ।

(ख) सभी सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार परियोजनाओं में सिटिज़न इन्टरफेस को प्रोत्साहित करना।

(ग) राज्य में ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं के क्रियान्वयन का परिवेक्षण करना ।

(घ) आँकड़ा संकलन, समेकन और प्रसार के लिए मानक सांकेतिक शब्दों के विकास का समन्वय करना ।

(ड़) सम्पूर्ण राज्य में इन्टरनेट और ई–कामर्स को प्रोत्साहन देना।

(च) व्यवहार्यता (Feasibility) रिपोर्ट की तैयारी के लिए राज्य की एजेंसियों को तकनीकी सलाह प्रदान करना।

(छ) व्यवहार अनुकूल और मानक कम्प्यूटर हार्डवेयर अनुप्रयोज्य सॉफ्टवेयर संचार डिवाइस/प्रोटोकॉल के चयन, उपार्जन, स्थापन और क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सलाह देना।

(ज) विभिन्न विभागों में ऑफिस ऑटोमेशन का क्रियान्वयन।

(झ) सरकारी विभागों/निधिप्रदत्त एजेन्सियों/बी.ओ.ओ.टी या बी.ओ.ओ. परियोजनाओं द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की प्रगति का पुर्नावलोकन।

(ण) सरकारी विभागों के दैनिक प्रशासनिक कार्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के प्रयोग को मॉनीटर करना ।

5 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए विनिधान को प्रोत्साहन देना –

(क) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार क्षेत्र में विनिधान के लिए प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिए योजना तैयार करना।

(ख) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार उद्योग को प्रोत्साहन देना।

(ग) कम्प्यूटरीकरण के लिए नए क्षेत्रों का विकास करना।

(घ) ऐसी नई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना जो जीवन स्तर को उन्नत करें।

(ड) सूचना प्रौद्योगिकी सामर्थ्ययुक्त सेवाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना।

6 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना–

(क) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का संस्थापन ।

(ख) ग्राम–स्तर तक ब्रॉडबैण्ड डिजिटल संबंधता की स्थापना को सरल बनाना।

(ग) राज्य में दूरसंचार अवसंरचना के सुधार के लिए डी.ओ.टी./वी.एस.एन.एल./बी.एस.

एन.एल. और अन्य सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की ऐजेन्सियों के साथ समन्वय करना।

(घ) समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना और उन्हें सरकार/उद्योग/सार्वजनिक क्षेत्रों विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त करना।

7 उच्च गुणवत्ता की कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

8 कम्प्यूटर और इन्टरनेट के प्रति जागरूकता और उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों (Refresher-Course)/सेमिनारों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों की व्यवस्था और समन्वय करना। महत्वपूर्ण साहित्यों और नियमावलियों को प्रकाशित करना और उन्हें वितरित करना।

9 सभी सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार संगठनों का समन्वय यथा एन.आई.सी. इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर प्रयोजन कौंसिल, नास्कॉम आदि का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार से सम्बन्धित भारत सरकार के विभागों के साथ समन्वय।

10 विभाग के नियन्त्रण के अधीन कम्प्यूटर एवं संचार कर्मियों की भर्ती और संवर्ग प्रबन्धन।

11 कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग को आवंटित मामलों से भिन्न सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन के अधिकारियों और कर्मचारियों से सम्बन्धित संस्थापन के समस्त मामले ।

12 प्रशासनिक विभाग की भूमिका में कम्प्यूटर विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं संवर्ग व्यवस्था नियंत्रित करना।

2 राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड

वर्ष 1989 में राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट कम्प्यूटर सर्विसेज़ – राजकॉम्प (Rajasthan State Computer Services- RajComp) नामक उपक्रम की सोसाईटी के रूप में स्थापना की थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण, राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एवं राजकॉम्प राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। विभागीय आदेश संख्या प5(119)/सू.प्रौ./विभाग/10/2429 दिनांक 19.10.2010 द्वारा राजकॉम्प का स्वरूप परिवर्तित कर कम्पनी के रूप में राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (RISL) स्थापित की गई।

3 राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजिटल डिवाईड़ को मिटाने हेतु राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन की स्थापना की गई है। आर.के.सी.एल. का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुनर्भरण के आदेश जारी किये गये हैं।

4 प्रशासनिक तंत्र

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत समस्त संवर्गों का पुनगर्ठन किए जाने के पश्चात् राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के विभिन्न संवर्गों में विभागीय स्तर पर पदों की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है: –

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
(Overall Cadre Strength)

1 जनवरी, 2025

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	आयुक्त, आई.ए.एस	1	1	0
2.	तकनीकी निदेशक	22	18	4
3.	अतिरिक्त निदेशक	36	34	2
4.	वित्तीय सलाहकार	1	1©	0
5.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	96	91	5
6.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	266	218*	48
7.	संस्थापन अधिकारी	1	1	0
8.	सहायक निदेशक	1	1	0
9.	लेखाधिकारी	1	1	0
10.	प्रोग्रामर	995	574$	421
11.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	3	3	0
12.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	35	13**	22
13.	प्रशासनिक अधिकारी	3	3	0
14.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	10	7	3
15.	कनिष्ठ लेखाकार	4	0	4***
16.	वरिष्ठ निजी सचिव	1	1	0
17.	अतिरिक्त निजी सचिव	1	0	1
18.	निजी सहायक	1	0	1
19.	सहायक प्रोग्रामर	2655	2593	62
20.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	22	1	21
21.	उप विधि परामर्शी	1	0	1
22.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0
23.	वरिष्ठ सहायक	32	26****	6
24.	सूचना सहायक	6291	2696*****	3595
25.	कनिष्ठ सहायक	60	15£	45
26.	वाहन चालक	2	0	2
27.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	14	9	5
	कुल	**10556**	**6308**	**4248**

नोटः-

- R-CAT में वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102206822 दिनांक 01.08.23 के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर तकनीकी निदेशक का 1 एवं राजकॉम्प में वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102204526 दिनांक 01.09.23 के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर तकनीकी निदेशक का 1 पद कुल 2 तकनीकी निदेशक के पदों को स्वीकृत पदों में सम्मिलित किया गया है।
- राजस्थान उर्जा विकास एवं आई टी सर्विसेज लिमिटेड में वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102301742 दिनांक 21.08.23 के द्वारा निदेशक तकनीकी (CISO) व Chief Engineer (IT) के 1—1 पद सृजित किये गये है अतः कुल 2 पदों को तकनीकी निदेशक के स्वीकृत पदों में सम्मिलित किया गया है।
- R-CAT में वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102206822 दिनांक 01.08.23 के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अतिरिक्त निदेशक का 1 पद को स्वीकृत पदों में सम्मिलित किया गया है।
- R-CAT में वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102206822 दिनांक 01.08.23 के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी का 1 पद एवं वरिष्ठ सहायक के 1 पद को स्वीकृत पदों में सम्मिलित किया गया है।
- R-CAT में वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102206822 दिनांक 01.08.23 के द्वारा सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) का प्रतिनियुक्ति पर 1 पद को स्वीकृत पदों में सम्मिलित किया गया है।
- वित्त विभाग में सेन्टर फॉर एक्सीलेन्स फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस (CoERRA) में वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 112100040 दिनांक 08.11.2021 के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अतिरिक्त निदेशक का 1 पद एवं सूचना सहायक के 4 पदों को स्वीकृत पदों में सम्मिलित किया गया है।

©श्रीमती पूनम चौधरी, मुख्य लेखाधिकारी, वित्तीय सलाहकार के पद के विरूद्ध कार्यरत है।

*एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामर (उप निदेशक) के सीधी भर्ती हेतु 45 पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, द्वारा दिनांक 05.07.2024 को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है तथा परीक्षा का आयोजन दिनांक 17.08.2025 को किया जायेगा। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.06.2022 के द्वारा एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामर (उप निदेशक) के पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के पदों का अनुपात 80:20 किया गया है। श्री नितेश कुमार जांगिड़, एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामर (उप निदेशक) का अन्य संवर्ग में चयन होने पर विभाग में Lien (लियन) होने के कारण एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामर (उप निदेशक) के कार्यरत पदों में इनके पद को सम्मिलित किया गया है।

$श्री विवेक यादव, प्रोग्रामर का अन्य संवर्ग में चयन होने पर विभाग में Lien (लियन) होने के कारण प्रोग्रामर के कार्यरत पदों में इनके पद को सम्मिलित किया गया है।

प्रोग्रामर के कुल 352 पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 14.06.2024 को जारी की जा चुकी है तथा परीक्षा का आयोजन दिनांक 27.10.2024 को किया गया। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.12.2022 के द्वारा प्रोग्रामर के पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के पदों का अनुपात 60:40 किया गया है।

**सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—।। के पद के विरूद्ध 3 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—। कार्यरत है।

***कनिष्ठ लेखाकार के 2 पदों के विरूद्ध सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—।। कार्यरत है।

¥ 07 सहायक प्रोग्रामर का अन्य संवर्ग में चयन होने पर विभाग में Lien (लियन) होने के कारण सहायक प्रोग्रामर के कार्यरत पदों में इनके पद को सम्मिलित किया गया है।

***** 47 सूचना सहायकों के अन्य संवर्ग में चयन होने पर विभाग में Lien (लियन) होने के कारण सूचना सहायक के कार्यरत पदों में इनके पदों को सम्मिलित किया गया है। सूचना सहायक की सीधी भर्ती हेतु रिक्त 3415 पदों (3062 NTSP + 353 TSP) हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 20.09.2024 को परिणाम जारी किया जा चुका है तथा दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**** श्रीमती वंदना सिंह, वरिष्ठ सहायक का अन्य संवर्ग में चयन होने पर विभाग में Lien (लियन) होने के कारण वरिष्ठ सहायक के कार्यरत पदों में इनके पद को सम्मिलित किया गया है।

£ 06 कनिष्ठ सहायक का अन्य संवर्ग में चयन होने पर विभाग में Lien (लियन) होने के कारण कनिष्ठ सहायक के कार्यरत पदों में इनके पद को सम्मिलित किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (मुख्यालय)
स्वीकृत पद/कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची

1 जनवरी, 2025

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1	आयुक्त, आई.ए.एस.	1	1	0
2	तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव	1	0	1
3	तकनीकी निदेशक	10	9	1
4	अतिरिक्त निदेशक	16	13[&]	3
5	वित्तीय सलाहकार	1	1[©]	0
6	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	12	8	4
7	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	77	62[*]	15
8	संस्थापन अधिकारी	1	1	0
9	सहायक निदेशक	1	1	0
10	लेखाधिकारी	1	1	0
11	प्रोग्रामर	77	50[£]	27
12	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।	2	2	0
13	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।।	2	1[α]	1
14	प्रशासनिक अधिकारी	3	3	0
15	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	10	7	3
16	कनिष्ठ लेखाकार	4	2[µ]	2
17	वरिष्ठ निजी सचिव	1	1	0
18	अतिरिक्त निजी सचिव	1	0	1
19	निजी सहायक	1	0	1
20	सहायक प्रोग्रामर	248	143[**]	105
21	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	21	1	20
22	उप विधि परामर्शी	1	0	1
23	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0
24	वरिष्ठ सहायक	21	8	13
25	सूचना सहायक	263	289[***]	0
26	कनिष्ठ सहायक	10	11[#]	0
27	वाहन चालक	2	0	2
28	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	13	9	4

&अतिरिक्त निदेशक के 3 पदों के विरूद्ध तकनीकी निदेशक एवं 1 पदों के विरूद्ध सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यरत है।

©श्रीमती पूनम चौधरी, मुख्य लेखाधिकारी, वित्तीय सलाहकार के पद के विरूद्ध कार्यरत है।

*एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के 14 पदों के विरूद्ध सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) एवं 3 पदों के विरूद्ध प्रोग्रामर कार्यरत है।

£प्रोग्रामर के 8 पदों के विरूद्ध एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) कार्यरत है।

αसहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। के 1 पद के विरूद्ध सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। कार्यरत है।

µकनिष्ठ लेखाकार के 2 पदों के विरूद्ध सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। कार्यरत है।

** सहायक प्रोग्रामर के पदों के विरूद्ध 18 सूचना सहायक एवं 7 पदों के विरूद्ध प्रोग्रामर कार्यरत है।

***सूचना सहायक के 41 पदों के विरूद्ध सहायक प्रोग्रामर कार्यरत है।

विभागीय आदेश दिनांक 12.03.2024 के संशोधित कैडर पुनर्गठन आदेश में सूचना सहायक के 51 पदों को कम किया गया है अतः भरे हुए (कार्यरत) पदों को स्वीकृत पदों से ज्यादा दर्शाया गया है।

#कनिष्ठ सहायक के 4 पदों के विरूद्ध वरिष्ठ सहायक कार्यरत है। विभागीय पदोन्नति आदेश क्रमांक 5036/2024 दिनांक 13.03.2024 में पदोन्त कनिष्ठ सहायको को अपने पद को क्रमोन्त मानते हुए यथावत रखा गया है अतः भरे हुए (कार्यरत) पदों को स्वीकृत पदों से ज्यादा

यू.आई.डी. प्रोजेक्ट

1 जनवरी, 2025

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)	रिक्त पद	विशेष विवरण
1.	ओ.एस.डी.	1	1	–	
2.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	1	–	1	
3.	वरिष्ठ परियोजना अधिकारी	2	1*	1	
4.	परियोजना अधिकारी	2	1	1	
5.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	1	1	–	
6.	प्रोग्रामर	1	1	–	
7.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।	1	1	–	
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	–	3	2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (संविदा पर एजेन्सी के माध्यम से)
	कुल	**12**	**6**	**6**	

*वरिष्ठ परियोजना अधिकारी के 1 पद के विरूद्ध सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यरत है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (मुख्यालय)
एक्स-कैडर-अभियंता पद

1 जनवरी, 2025

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)	रिक्त पद	विशेष विवरण
1.	मुख्य अभियंता	1	1	–	
2.	अधिशाषी अभियंता	2	2	–	
3.	सहायक अभियंता	2	–	2	
	कुल	5	3	2	

जिला कार्यालय, सू.प्रौ और संचार विभाग

1 जनवरी, 2025

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)
1.	अतिरिक्त निदेशक	10	10
2.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	50	25[*]
3.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	50	37[**]
4.	प्रोग्रामर	100	39[***]
5.	सहायक प्रोग्रामर	400	170[µ]
6.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	33	10[&]
7.	वरिष्ठ सहायक	10	5
8.	सूचना सहायक	110	136[****]
9.	कनिष्ठ सहायक	50	8[£]

*सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) के 2 पदों के विरूद्ध अतिरिक्त निदेशक, 7 पदों के विरूद्ध एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) एवं 1 पद के विरूद्ध प्रोग्रामर पदस्थापित है।

**एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के 5 पदों के विरूद्ध सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) एवं 2 पदों के विरूद्ध प्रोग्रामर पदस्थापित है।

***प्रोग्रामर के 4 पदों के विरूद्ध एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) एवं 1 पद के विरूद्ध सहायक प्रोग्रामर पदस्थापित है।

µसहायक प्रोग्रामर के 4 पदों के विरूद्ध प्रोग्रामर एवं 14 पदों के विरूद्ध सूचना सहायक पदस्थापित है।

&सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के 2 पदों के विरूद्ध सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I पदस्थापित है।

£कनिष्ठ सहायक के 6 पद के विरूद्ध वरिष्ठ सहायक पदस्थापित है।

****सूचना सहायक के विरूद्ध 37 सहायक प्रोग्रामर एवं 2 पद के विरूद्ध वरिष्ठ सहायक पदस्थापित है

जिला कार्यालय, सू.प्रौ और संचार विभाग
पंचायत समिति /नगरपालिका कस्बे

1 जनवरी, 2025

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)
1.	प्रोग्रामर	402	250*
2.	सहायक प्रोग्रामर	649	458**
3.	सूचना सहायक	812	537***

*प्रोग्रामर के 402 पदों के विरूद्ध 23 एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), 45 सहायक प्रोग्रामर तथा 6 सूचना सहायक पदस्थापित है।

**सहायक प्रोग्रामर के 37 पदों के विरूद्ध प्रोग्रामर एवं 13 पदों के विरूद्ध सूचना सहायक पदस्थापित है।

***सूचना सहायक के विरूद्ध 163 सहायक प्रोग्रामर पदस्थापित है।

नोटः– श्री अभिनव गोयल, एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त किया जा चुका है, परन्तु श्री गोयल द्वारा नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है।

5. विभाग द्वारा किये गये अभिनव प्रयोग

5.1 जन सूचना पोर्टल

जनसूचना पोर्टल 13 विभागों की 23 योजनाओं से संबंधित 44 सूचनाओं के साथ आरम्भ किया गया। जन–सूचना पोर्टल http://jansoochna.rajasthan.gov.in/ के माध्यम से आम–जन को कम से कम विकल्पों का चयन करने पर ही सूचना प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई हैं।

परियोजना का उद्देश्य :-जनसूचना पोर्टल का उद्देश्य सोशल ऑडिट के साथ–साथ आम–जन को सरकारी विभागों, प्राधिकरणों, निगमों आदि में संधारित सूचनाएं क्षेत्रवार व निजी जानकारी के अनुसार सरल भाषा व आसान तरीके से उपलब्ध करवाया जाना हैं।

परियोजना का लाभ :- यह सूचना के अधिकार, 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है: "प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर सूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी हैं, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें, जिससें कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिये इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े"।

परियोजना की प्रगति :-

क्र. सं.	प्रगति विवरण	संख्यात्मक प्रगति
1	जनसूचना पोर्टल पर उपलब्ध कुल विभागों की संख्या	117
2	जनसूचना पोर्टल पर उपलब्ध विभागों की योजनाओं की संख्या	348
3	जनसूचना पोर्टल पर उपलब्ध योजनाओं की दी जाने वाली प्रदत्त जानकारियों की संख्या	743

4	जनसूचना वेब पोर्टल के विजिटर संख्या	18.32+ Cr.
5	जनसूचना वेब पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त किए जाने की संख्या	38.90+ Cr.
6	ईमित्र प्लस मशीन के द्वारा जनसूचना पोर्टल की जानकारी प्राप्त किए जाने की संख्या	15.99+ Lacs
8	मोबाईल एप डाउनलोड किए जाने की संख्या	4.87+ Lacs

5.2 राज उद्योग मित्र

यदि कोई उद्यमी नये सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम (MSME) को शुरू करना या उसे संचालित करना चाहता हैं, तो उसे एमएसएमई एक्ट 2019 के तहत राज्य में 3 साल तक किसी भी प्रकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं हैं। उद्यमी राज उद्योग मित्र पोर्टल पर आधार नंबर के माध्यम से रजिस्टर कर 3 साल तक की अवधि के स्वीकृति पत्र प्राप्त कर सकता हैं। 3 साल की अवधि के लिए किसी भी कानून के तहत उसके उद्यम का निरीक्षण नहीं किया जाएगा । इस योजना में मुख्य रूप से उन व्यवसायियों को रजिस्ट्रेशन करने का लाभ प्राप्त होगा, जो नये व्यवसाय या स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं। इस एक्ट का उद्देश्य राज्य में आजीविका, समावेशी आर्थिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना हैं। पोर्टल की अधिकारिक लिंक निम्नानुसार हैं, जिसे SSO portal के माध्यम से उपयोग में लिया जा सकता हैं।

https://rajudyogmitra.rajasthan.gov.in/

Total applications Received/Disposed: 21,447

5.3 राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट (RajCAD)

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आंतरिक मानव संसाधनों के कौशल का उपयोग और संवर्धन करते हुए उपयुक्त लागत में, विश्वसनीय और समयबद्ध तरीके से राज्य सरकार की आईटी परियोजनाओं को विस्तारित करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट (RajCAD) की स्थापना की गई है। वर्तमान में 44 सूचना सहायक/सहायक प्रोग्रामर की संख्या के साथ RajCAD का संचालन हो रहा है।

परियोजना की वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रगति :

RajCAD में Phase 1 में बिजनेस एनालिसिस, PHP, JAVA, मोबाईल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, UI/UX Design/SAS/Power BI/Tableau, Agile Axpert, सिक्योरिटी ऑडिट व लोड टेस्टिंग संबंधी कार्य संचालित हैं। Phase 2 के अन्तर्गत Python, ArcGIS तथा Agile Axpert तकनीक को लागू किया जा चुका है और Flutter Framework पर क्रॉस– प्लेटफॉम एप डेवलप की हैं। वर्तमान में विकसित किये जा रहे पोर्टल्स में ए.आई. तकनीक के स्कोप तलाश कर उनमें ए.आई. को लागू किया जायेगा।

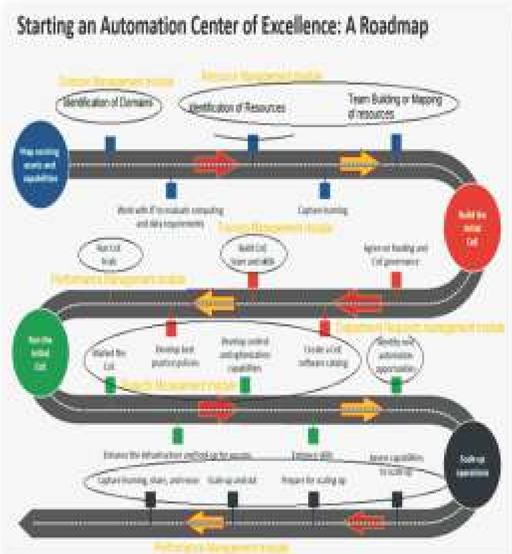

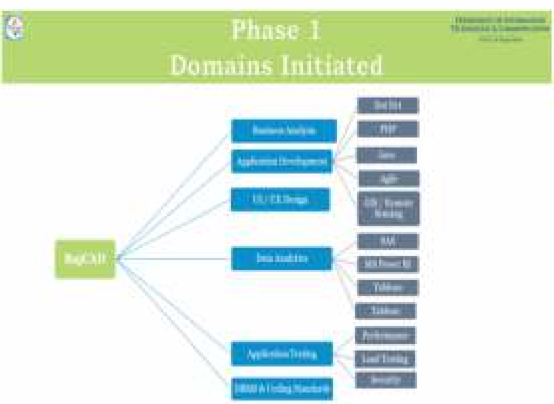

RajCAD द्वारा अभी तक विभिन्न विभागों के डिजिटलाइजेशन के तहत 18 वेब पोर्टल के प्रोजेक्टस तथा डाटा एनालिटिक्स के अन्तर्गत कुल 70 मोड्युल के डेशबोर्ड पूर्ण करके लाईव किये जा चुके है व 7 मोबाइल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट पूर्ण किये जा चुके है। वेब पोर्टल के 5 प्रोजेक्ट्स अंडर डवलपमेंट हैं। इनके अलावा लाईव किये जा चुके प्रोजेक्ट्स के मेंटिनेंस (रख–रखाव) का कार्य भी जारी है।

परियोजना का उद्देश्य एवं लाभ :

देश के सबसे बड़े सरकारी स्वामित्व वाले डेटा सेंटर झालाना डूंगरी, आरएसडीसी (पी 4) में राजस्थान एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर (RajCAD) की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई है –

❖ विभाग के आंतरिक मानव संसाधन, जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की विभिन्न तकनीकों पर कुशल और प्रशिक्षित हैं, की पहचान करके व उनको ट्रेनिंग देकर RajCAD में डवलपमेंट का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना।

❖ राज्य में डिजिटलाइजेशन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन–हाउस आईटी नेतृत्व प्रदान करना और आईटी गतिविधियों को बढ़ावा देना।

❖ ई–गवर्नेंस में नवीनतम एप्लीकेशन और डोमेन क्षमता को विकसित करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना।

❖ RajCAD ने अपने आंतरिक मानव संसाधनों द्वारा अब तक राजस्थान के अनेक विभागों के लिए वेब पोर्टल, डैशबोर्ड एवं मोबाईल ऐप विकसित कर 11 करोड़ रूपये से अधिक की बचत की हैं।

1. राज मत्स्य योजना पोर्टल

राज्य में मत्स्य विकास को बढावा देने एवं विभागीय योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु राज मत्सय योजना पोर्टल (http://rajmatsyayojana.rajasthan.gov.in/) विकसित किया गया जिसके माध्यम से विभागीय योजनाओं के लिये किसान घर बैठे आवेदन कर सकते है एवं आवेदन की स्थिति की ऑनलाईन जानकारी प्राप्त कर सकते है।

2. Anukampa Portal–

Anukampa Portal– राजस्थान के सरकारी विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उक्त पोर्टल विकसित किया गया है।

3. Electoral Rolls & Claim/Objection Reports

Electoral Rolls & Claim/Objection Reports – राज्य के प्रत्येक मतदाता के लिये अंतिम मतदाता सूची डाउनलोड सुविधा के साथ उपलब्ध करवाना। प्रमाणिक मतदाताओं की पहचान, प्रत्येक नागरिक के लिये फार्मवार और क्षेत्रवार सभी प्रकार के संशोधन प्रदान करना।

4. Project Monitoring System Portal –

Project Monitoring System Portal – विभाग के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल एवं मोबाइल ऐप बनाये गये हैं।

5. **Block Monitoring System Portal –** ब्लॉक लेवल पर विभिन्न मानकों के अनुरूप मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है।

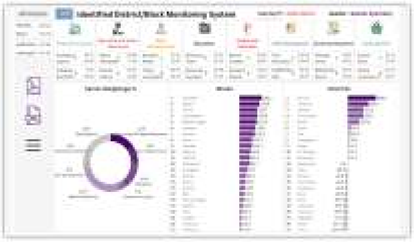

6. **Jagriti Back To Work Scheme Portal -** राजस्थान सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए Jagriti Back to work scheme portal योजना की घोषणा की थी। इस योजना में आवेदन हेतु उक्त पोर्टल विकसित किया गया हैं।

7. **Rajasthan Medical Journal Portal–** राजस्थान मेडिकल जर्नल (आरएमजे) वेब एप्लिकेशन का उद्देश्य एक बौद्धिक मंच के रूप में कार्य करना है जहां वैज्ञानिक, शोधकर्ता और शिक्षाविद सक्रिय रूप से मूल्यवान चर्चाओं में भाग ले सकते हैं और अपने गहन वैज्ञानिक प्रयासों का आदान–प्रदान कर सकते हैं। इसमें नवीन अवधारणाओं, सिद्धांतों और शोध निष्कर्षों का प्रसार शामिल है।

8. **Beggars and Indigents Rehabilitation Portal –** परियोजना का उद्देश्य भिक्षुकों और जरूरतमंदों के डेटा को एक ही स्थान पर समेकित करना है ताकि उन्हें समायोजित किया जा सके और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सुविधा प्रदान की जा सके।

9. Dairy Progress Report (DPR) Portal – डेयरी यूनिट वेब पोर्टल, एक व्यापक समाधान है जिसे 31 डेयरी इकाइयों के नेटवर्क पर दैनिक रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और उन्नत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका प्रमुख कार्य संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने एवं प्रत्येक इकाई के कुशलतापूर्वक योगदान की मानकीकृत प्रारूप में दैनिक रिपोर्ट प्रदान करना है।

10. Board of Revenue - Kisan Girdawari – गिरदावरी प्रदर्शित करने के लिये डैशबोर्ड।

11. निर्वाचक सारांश - निर्वाचन विभाग के लिये निर्वाचक सारांश प्रदर्शित करने के लिये डैशबोर्ड।

12. ACB-17A Management System [G2G]– भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु ऑनलाईन पोर्टल बनाया गया है।

13. **CM WMS -** CM Service Delivery Cell के लिए राजकैड टीम द्वारा उक्त Works Monitoring System प्रोजेक्ट के लिए डैशबोर्ड तैयार किये गये हैं।

14. **Mukhyamantri Work From Home Job Work Yojana –** राजस्थान सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए Work From Home Job Work योजना की घोषणा की थी। इस योजना में आवेदन हेतु उक्त पोर्टल विकसित किया गया है।

URL - https://mahilawfh. rajasthan.gov.in/

15. **Sathin Portal –** महिला एवं बाल विकास विभाग के साथिन पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन हेतु उक्त ऑनलाईन पोर्टल बनाया गया है।

16. **Rajsampark Grievance Monitoring Portal—** राजस्थान संपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की मॉनिटरिंग हेतु डैशबोड बनाया गया है।

5.4 न्यूज मीडिया मैनेजमेंट सिस्टम (News Media Management System)

इस पोर्टल पर राज्य भर के जनसंपर्क अधिकारी समस्त समाचार पत्रों की कटिंग मय विवरण अपलोड कर सकते हैं। न्यूज की गुणवत्ता के आधार पर जनसंपर्क अधिकारी अपनी रेटिंग भी प्रदान कर सकते हैं। यह पोर्टल राज्य के विभिन्न समाचार पत्रों की न्यूज को एकत्रित करने में सक्षम हैं तथा प्राप्त रेटिंग के आधार पर जिला एवं विभागों के कार्यों की समीक्षा की जा सकती है तथा गवर्नेंस में सुधार किया जा सकता है। किसी विशेष समाचार के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय, संबंधित जिला कलेक्टर अथवा विभागाध्यक्ष से वास्तविक वस्तु स्थिति प्राप्त कर समीक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार यह पोर्टल मीडिया, प्रशासन एवं सरकार के मध्य जनता की समस्याओं को आगे लाने का एक सशक्त माध्यम हैं।

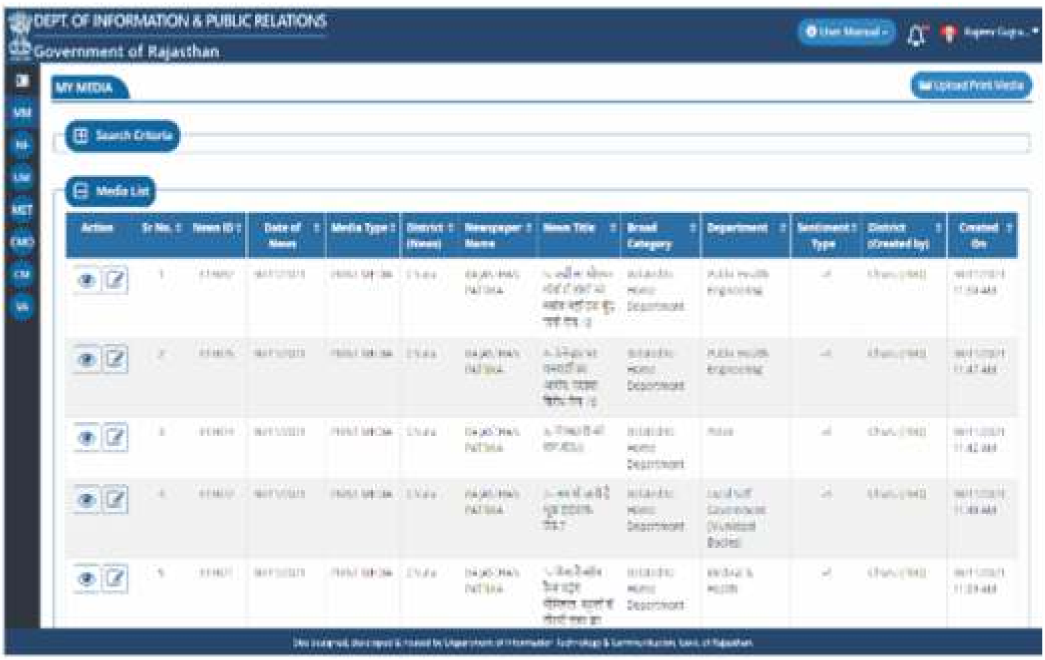

5.5 बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (BPAS)

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (BPAS) विकसित किया गया है। BPAS एक IT आधारित वर्कफ्लो सिस्टम है, जो कि आवेदन जमा करने से लेकर, अनुमति पत्र प्रदान करने तक का संपूर्ण ऑनलाइन समाधान प्रदान करता है। सिस्टम में बिल्डिंग प्लान स्क्रूट्नी इंजन शामिल हैं जो पूर्ण स्वचालित तरीके से प्रस्तुत किए

गए 2D ड्रॉइंग/3D मॉडल की, भवन निर्माण नियमों के आधार पर जाँच रिपोर्ट जारी करता है। एप्लीकेशन को एस.एस.ओ. एवं सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जोड़ा गया है, ताकि नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा विवरण मिल सके। संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ऑनसाइट निरीक्षण के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। डैशबोर्ड और एनालिटिकल टूल के माध्यम से सिस्टम की निगरानी और निर्णय लिए जाते हैं। उक्त सिस्टम को राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों एवं UITs और ULBs में लागू किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त आमजन को भवन की 2D/3D इंजीनीयरिंग ड्राइंग को बिना एप्लीकेशन लगाए जांच करने की सुविधा भी निःशुल्क प्रदान करता हैं। उक्त सिस्टम का संचालन एवं रखरखाव सफलतापूर्वक किया जा रहा है ।

5.6 भू-रूपांतरण प्रणाली (90A)

ऑनलाइन भूमि रूपांतरण प्रणाली (90A) एक IT आधारित वर्कफ्लो प्रणाली है जो 90A के लिए आवेदन जमा करने से लेकर आदेश जारी करने तक की प्रक्रिया का पूर्ण ऑनलाइन समाधान प्रदान करती है। इस एप्लीकेशन को एसएसओ एवं सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है ताकि नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा विवरण मिल सके। प्रोजेक्ट का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में IT के प्रभावी उपयोग द्वारा नागरिक सेवाएं प्रदान करने तथा नगर विकास न्यास एवं विकास प्राधिकरण की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना है। डैशबोर्ड और एनालिटिकल टूल के माध्यम से सिस्टम की निगरानी और निर्णय लिए जाते हैं।

वर्तमान स्थिति

Sr. No	Department	Applicaation Received	Application Approved	Pending at Applicant	Pending at Department
1	UDH	12192	2462	34	1723
2	LSG	3460	320	380	1913

6 नीतिगत पहल

6.1 आधार अधिप्रमाणन (Authentication) ईकोसिस्टम

आधार प्रकोष्ठ द्वारा राज्य के विभिन्न विभागो द्वारा चलाई जा रही योजनाओ के लिए लाभार्थियों तथा अन्य निवासियों के आधार अधिप्रमाणन हेतु आधार अधिप्रमाणन तंत्र की स्थापना की गई है। आधार अधिप्रमाणन तंत्र परियोजना में विभाग द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से अधिकृत ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी (AUA) एवं ऑथेंटिकेशन सर्विस एजेंसी (ASA) एप्लीकेशन को विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागो को आधार आधारित अधिप्रमाणन की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस सिस्टम के प्रमुख उपयागकर्ताओ में ई–पी.डी.एस. परियोजना, जन–आधार परियोजना, चिरंजीवी योजना, ईमित्र परियोजना, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सांख्यिकी विभाग एवं राज–एसएसओ आदि कई महत्वपूर्ण विभाग एवं परियोजनाएं शामिल है। इस तन्त्र द्वारा प्रतिदिन औसतन 17 लाख से अधिक अधिप्रमाणन (Authentication) किये जा रहे है। वर्ष 2024 मे सम्पूर्ण राज्य में इस तंत्र के माध्यम से 65 करोड से अधिक अधिप्रमाणन (Authentication) किये गये है। साथ ही आधार प्रकोष्ठ द्वारा आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण की सुविधा हेतु DoIT&C Face Authentication मोबाईल एप (Android & iOS) भी विकसित की गई है, जिससे वयोवृद्ध नागरिको एवं मजदूर वर्ग के आधार बायोमैट्रिक सत्यापन में आने वाली समस्याओं से निजात मिली है। इस मोबाईल एप के द्वारा राज्य सरकार के किसी भी विभाग की वेब एप्लिकेशन के माध्यम से ही आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण करना संभव हो सका है, जिससे अन्य विभागो को आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण के लिए अलग से मोबाईल एप विकसित करने की आवश्यकता नहीं रहती है।

6.2 आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति

राज्य में कर्मचारियों/अधिकारियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने हेतु आधार प्रकोष्ठ द्वारा आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति सिस्टम विकसित किया गया है। इस सिस्टम के माध्यम से कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये बायोमैट्रिक को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के डेटाबेस से मिलान कर उपस्थिति दर्ज की जाती है। वर्तमान मे राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति सिस्टम के माध्यम से अपने कर्मचारियों/अधिकारियों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। इस सिस्टम पर प्रतिदिन औसतन 200 से अधिक ट्रांजेक्शन दर्ज किये जा रहे है। वर्ष 2024 में इस सिस्टम पर 86 हजार ट्रांजेक्शन दर्ज किये गये है। आज तक 54 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन इसमें दर्ज किये जा चुके है।

6.3 राजस्थान स्टार्टअप

राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्टअप्स की गुणवता को बढानें तथा स्टार्टअप्स को प्रदान की जाने

वाली सुविधाओं हेतु एकीकृत स्टार्टअप प्लेटफार्म iStart तैयार किया गया हैं। iStart 100 प्रतिशत प्लेटफॉर्म भी है, जो ऑनलाईन सार्वजनिक या निजी स्टार्टअप मान्यता, स्टार्टअप अपग्रेडिंग, स्टार्टअप स्किल बिल्डिंग, स्टार्टअप प्रमोशन, स्टार्टअप फंडिग और स्टार्टअप एक्सेलेरेशन जैसे सुविधाए देता है। iStart आज देश में सबसे बड़े राज्य द्वारा संचालित एवं प्रबंधित स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है, जिसके साथ 5300+ स्टार्टअप जुड़े हुए हैं। iStart राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और राज्य में निवेश की सुविधा के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम हैं।

राज्य सरकार ने स्टार्ट–अप से जुड़ी समस्त सूचनाओं को एक ही स्थान पर प्रदान करने हेतु एक वेब पोर्टल istart.rajasthan.gov.in तैयार किया हैं। यह पोर्टल स्टार्टअप नीति में निर्धारित सभी प्रोत्साहनों के लिए एकल–स्टॉप गेटवे एवं सम्पूर्ण कार्यान्वयन का प्लेटफॉर्म हैं। यह सरकारी अधिकारियों, स्टार्टअप्स, मेंटर्स, विद्यार्थियों, अध्यापकों/व्याख्याता मेंटर्स आदि को iStart प्रोग्राम की निगरानी और एक्सेस के लिए डैशबोर्ड भी प्रदान करता हैं। iStart Portal के माध्यम से वर्ष 2024–25 मे 650+ नये स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं तथा इनमें से 490+ स्टार्टअप्स को स्वीकृत किया गया। इस प्लेटफॉर्म के माध्यय से स्टार्टअप्स को दी जाने वाली सुविधाएं निम्नानुसार है :–

1. Qrate

क्यूरेट, देश का एकमात्र स्टार्टअप रेटिंग तंत्र हैं। यह एक मूल्यांकन कार्यक्रम है जिसके तहत स्टार्टअप्स की नियमित अन्तराल में समीक्षा की किया जाती है, जिसके आधार पर सभी स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता एवं इनक्यूबेशन की सुविधा दी जाती है। यह स्टार्टअप की क्षमता और निवेश योग्यता पर एक विस्तृत रिर्पोट भी प्रदान करता है। मूल्याकंन रिर्पोट स्टार्टअप संस्थापकों को उनकी व्यावसायिक योजना को मजबूत करने में मदद प्रदान करती हैं।

2. Startup Incubation

इनक्यूबेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत निःशुल्क स्पेस, कनेक्टिविटी, कम्प्यूटर हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप, मार्केट कनेक्ट, वीसी एवं इन्वेस्टर कनेक्ट, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों/विशेषज्ञों के लिए एक्सपोजर आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस इनक्यूबेशन

प्रोग्राम को स्टार्टअप्स हेतु मेंटर एंगेजमेंट, रैपिड इटरेशन साइकल और फंडरेजिंग में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया हैं। आईस्टार्ट नेस्ट स्टार्टअप्स को अपने नवाचारों को उन्न्त और विकसित करने के लिए निवेशकों तथा सलाहकारों के व्यापक नेटवर्क के साथ काम करता हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जयपुर में इन्क्यूबेशन सेंटर, भामाशाह टेक्नोहब एवं आईस्टार्ट नेस्ट इन्क्यूबेटर भरतपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर बीकानेर, पाली और चूरू में क्रियाशील हैं। समस्त इन्क्यूबेशन सेंटर्स (वर्चुअल इन्क्यूबेटर एवं आई–स्टार्ट के साथ अनुबंधित इन्क्यूबेटर्स) में स्टार्टअप्स के लिये कुल 2000 सीटें उपलब्ध हैं।

भामाशाह टेक्नो हब देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है, जो कि सबसे उन्नत, रूपांतरित, मजबूत, प्रभावी स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर है। यह स्टार्टअप इकोसिस्टम का सबसे कीमती मील का पत्थर है, जिसमें 295 से अधिक स्टार्टअप्स के बैठने की जगह है एवं 1,50,000 वर्ग फुट का इनक्यूबेशन स्पेस हैं। भामाशाह टेक्नो हब निःशुल्क स्पेस, कनेक्टिविटी, आसान फंडिंग, मेंटरशिप, मार्केट कनेक्ट, वीडियों कान्फ्रेसिंग तथा इन्वेस्टर कनेक्ट जैसी सुविधाओं हेतु स्टार्टअप्स के लिए One-Stop समाधान हैं। राजस्थान में स्टार्टअप पारिस्थितिकी–तन्त्र (Eco-system) को गति प्रदान करने के लिए भामाशाह टेक्नो हब, उभरते हुये स्टार्टअप्स को एक संपूर्ण समर्थन प्रणाली प्रदान कर रहा है।

3. इनोवेशन चैलेंज एवं स्टार्टअप अवार्डस्

राजस्थान में स्टार्ट–अप की क्षमता का लाभ उठाने के लिए राज्य/समाज में प्रचलित मुद्दों के लीक से हटकर समाधान विकसित करने के लिए सरकार, स्टार्टअप नीति–2022 के अन्तर्गत इनोवेशन चैलेंज एवं स्टार्टअप अवार्डस् जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित करती हैं। राज्य सरकार के विभागों द्वारा प्रतिभागी स्टार्ट–अप्स के लिए चुनौतियों को साझा किया जाता हैं, जो थीम के आधार पर समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकार के समय–समय पर अधिसूचित मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन समिति द्वारा विजेताओं का निर्णय लिया जाकर स्टार्टअप्स को पुरस्कृत किया जाता हैं।

4. School Startup and Rural iStart

राजस्थान के स्कूली छात्रों में उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा देने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए आईस्टार्ट कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। राजस्थान के स्कूली छात्रों में उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा देने एवं उद्यमी के रूप में उनकी यात्रा में एक ठोस आधार प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की पहल की गई हैं। इसकी स्थापना के बाद से 59000+ छात्रों एवं 2500+ स्कूलों द्वारा आईस्टार्ट पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया गया हैं। पंजीकृत छात्रों को स्वरोजगार के बारे में ज्ञान प्रदान करने, व्यावसायिक विचारों को लाइव करने और मॉड्यूल के पूरा होने पर एक प्रमाण पत्र दिया जा रहा हैं।

राज्य में बढ़ते स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र की पहुंच और प्रभाव को ग्रामीण राजस्थान तक विस्तारित करने हेतु ग्रामीण आईस्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण राजस्थान में उद्यमिता और नवाचार की भावना को प्रज्वलित करना और राज्य में कृषि और ग्रामीण विकास को बदलना हैं। ग्रामीण आईस्टार्ट कार्यक्रम के तहत अब तक कुल 800+ ग्रामीण स्टार्टअप्स् का पंजीकरण हुआ हैं।

5. eBazaar Portal

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023–24 के बजट घोषणा के प्रावधान तथा वित्त विभाग के नोटिफिकेशन नं. G.S.R.143 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार iStart में पंजीकृत स्टार्टअप्स् को विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा 25 लाख रुपये तक के कार्यादेश बिना टेण्डर प्रणाली के ही दिये जा सकते हैं। अब तक विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा 81 स्टार्टअप्स को ऐसे कार्यादेश दिये गये हैं।

6. नई स्टार्टअप नीति-2022

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जोधपुर Digifest के दौरान 13 नवम्बर, 2022 को राज्य में नवउद्यम प्रवर्तन (स्टार्टअप) को प्रोत्साहन देने हेतु नई स्टार्टअप नीति–2022 का विमोचन किया गया।

7. वित्तीय सहायता

राजस्थान स्टार्टअप कार्यक्रम शुरू करने के लिए देश के अग्रणी राज्यों में से एक रहा हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 में नई स्टार्टअप नीति जारी की गई। इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार स्टार्टअप को आईडिया/प्रोटोटाईप चरण में 2 लाख 40 हजार रूपये (महिला स्टार्टअप के लिए यह राशि 3 लाख रूपये है), सीड चरण में राशि रूपये 60 लाख तक तथा Growth Stage पर स्टार्टअप्स् को 2 करोड़ रूपये तक की वित्तीय सहायता convertible ऋण व 5 करोड़ रूपये तक की वित्तीय सहायता equity के रूप में दिये जाने का प्रावधान हैं।

स्टार्टअप नीति के तहत 5300 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हुए हैं तथा सरकार द्वारा 640 से अधिक चयनीत स्टार्टअप्स को राशि रूपये 3500 लाख वितरित किये गये हैं।

8. अटल इनोवेशन प्रोग्राम

एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर नवाचार, उद्‌यम सृजन और रोजगार के अवसर पैदा किये जा सके।

अटल इनोवेशन प्रोग्राम कोडिंग, रोबोटिक्स और वीएफएक्स के अवसरों को समाहित करेगा, जो राज्य में रचनात्मक अर्थव्यवस्था और कौशल स्थापित करने की दिशा में उत्प्रेरक का काम

करेगा।

9. आई-स्टार्ट लॉन्चपैड प्रोग्राम

बजट वर्ष 2023–24 में की गई घोषणा द्वारा राज्य के स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच उद्यमिता की भावना को प्रज्वलित करने और उनके विचारों को संभावित व्यवसायों में बदलने के लिए, राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के माध्यम से राज्य के 33 जिलों में कुल 66 आई–स्टार्ट लॉन्चपैड नेस्ट (33 चयनित विद्यालयों एवं 33 चयनित महाविद्यालयों में) की स्थापना एवं संचालन स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से किया जा रहा हैं।

इन लॉन्चपैड नेस्ट के माध्यम से, स्कूलों और कॉलेजों के छात्र उद्यमिता, नवाचार, उभरती प्रौद्योगिकियों और प्रोटोटाइप से संबंधित गतिविधियों के लिए परामर्श और कार्य स्थान का लाभ उठा रहे हैं।

10. बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम

परिवर्तित बजट वर्ष 2024–25 की घोषणानुसार राज्य के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 'Business Innovation Programme' द्वारा एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देकर तथा राजस्थान में सफल स्टार्टअप के रूप में अपने व्यावसायिक विचारों को विकसित करने में युवाओं का समर्थन करके एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करना है।

6.4 AVGC-XR Policy

राजस्थान सरकार द्वारा बजट सत्र वर्ष 2024–25 में प्रदेश की स्थानीय प्रतिभाओं, राज्य की संस्कृति एवं स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए तथा प्रदेश में निवेश व तकनीकी रोजगार सृजन के अवसर पैदा करने एवं क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने कि लिए AVGC-XR Policy लागू करने की घोषणा लागू हो गई है।

एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics Extended Reality – AVGC-XR) पर आधारित इस नीति का उद्देश्य राजस्थान को AVGC-XR क्षेत्र में एक अग्रणी वैश्विक केंद्र बनाना है। नीति का लक्ष्य राज्य में नवाचार को प्रोत्साहित करना, स्थानीय प्रतिभा और कारीगरों को सशक्त बनाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और वैश्विक मंच पर राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। स्टार्टअप्स् और उद्यमों के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर, यह नीति राज्य के उद्यमशीलता

पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगी एवं आर्थिक विकास में योगदान देगी।

नीति के मुख्य उद्देश्य :-

प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता:- इसमें उत्पादन अनुदान शामिल होंगे, विशेष रूप से स्थानीय संस्कृति और सामग्री निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप्स व उद्यमों को लक्षित किया जाएगा। इस घटक का उद्देश्य वित्तीय बाधाओं को कम करना, नवाचार को बढ़ावा देना और आवश्यक संसाधन प्रदान करके उद्यमशीलता का प्रोत्साहन करना है।

बुनियादी ढांचे का विकास:- AVGC-XR क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए, नीति हब–एंड–स्पोक मॉडल का उपयोग कर राज्य में अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर स्थापित करेगी। ये सुविधाऐं बुनियादी ढांचे जैसे कोडिंग, वीएफएक्स लैब एवं उच्च–प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाओं से सुसज्जित होंगी।

व्यवसाय करने में आसानी:- AVGC-XR क्षेत्र में अनुमोदन के लिए एकल–खिड़की निकासी प्रणाली को लागू करना, AVGC-XR सेवाओं के लिए एक डिजिटल बाज़ार बनाकर AVGC-XR व्यवसायों हेतु प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।

कौशल और क्षमता निर्माण:- यह नीति राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आर–कैट), फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट और उद्योग विशेषज्ञों (industrial experts) के साथ सहयोग करके विशेष प्रशिक्षण, प्रमाणन और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों द्वारा प्रतिभा विकास को प्रोत्साहन देगी।

अनुसंधान और नवाचार:- प्रोटोटाइप्स और मूल बौद्धिक संपदा (आईपी) के विकास सहित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा साथ ही उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रयोग और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक AVGC-XR सैंडबॉक्स बनाया जाएगा।

बाजार पहुंच और संवर्धन:- इसमें मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग और व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में सक्रिय भागीदारी शामिल होगी, जिससे स्टार्टअप्स व उद्यमों को अपना काम दिखाने और व्यापक मार्केट से जुड़ने के अवसर पैदा होंगे।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी:- यह नीति सरकार, निजी क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगी। इसमें उत्कृष्टता केंद्र (सीओई), इनक्यूबेशन सेंटर और इनोवेशन हब की स्थापना के साथ–साथ महत्वपूर्ण AVGC-XR प्रौद्योगिकियों और प्लेटफार्मों तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना शामिल होगा।

7 सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाऐं

7.1 राजस्थान राज्य डाटा सेंटर (RSDC)

राजस्थान राज्य डेटा सेंटर (RSDC) विभागों/एजेंसियों को G2G, G2C और G2B सेवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके सेवा प्रदान करता है। यह डेटा सेंटर अपनी सेवाओं/अनुप्रयोगों को होस्ट करता है, जिससे डेटा प्रबंधन, केंद्रीय संग्रह, आईटी प्रबंधन, संचालन और रखरखाव की कुल लागत कम होती है। RSDC की कुल क्षमता 800 रेक है– 4 डेटा सेंटर जयपुर और 1 DR साइट, जोधपुर में स्थापित हैं। वर्तमान में DR site पर 100 से ज्यादा websites/portals की प्रतिकृति की जा रही है एवं सभी क्रिटिकल databases वास्तविक समय पर DR जोधपुर में प्रतिकृति किए जा रहे हैं। RSDC–P4 में 600 रैक प्रमाणित टियर–4 डिज़ाइन हैं, जो 99.995% UPTIME सुनिश्चित करता है। यह भारत में सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डेटा सेंटर है।

7.2 राजस्थान सम्पर्क

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल आमजन को विभिन्न प्रकार की शिकायतों को दर्ज करने एवं उनकी समाधान प्रक्रिया की ट्रैकिंग के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। साथ ही, विभागीय अधिकारियों को आमजन द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के समाधान हेतु माध्यम प्रदान करता है।

परियोजना का उद्देश्य :-

- शिकायत निवारण के विभिन्न तरीकों से नागरिकों की शिकायत निवारण के लिए केन्द्रीकृत प्लेटफॉर्म की स्थापना।
- शिकायतों के समयबद्ध निवारण के लिए प्रक्रिया।
- विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए रिपोर्ट के माध्यम से शिकायतों की उचित ट्रैकिंग और सक्षम निगरानी करना।
- सभी विभागों के लिए शिकायत निवारण की समरूप और प्रमाणिकृत प्रक्रिया।

परियोजना का लाभ :-

- विभिन्न विभागों और परियोजनाओं जैसे कि आपातकालीन सेवाऐं, मनरेगा, ईमित्र आदि के

लिए कॉल सेंटर की सेवाएं प्रदान की जा रही है। बिजली, पानी, जेडीए, चिकित्सा, मनरेगा, वाणिज्यिक कर और कृषि के कॉल सेन्टर के अलावा राज्य के अन्य मुख्य विभाग भी नागरिक सेवा केन्द्र (Citizen Contact Centre) से एकीकृत हैं। प्रतिदिन औसतन 80,000 से अधिक कॉल CCC के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे हैं।

- शिकायत निवारण के लिए केन्द्रीकृत प्लेटफॉर्म।
- इस प्रणाली के माध्यम से 1.74 करोड से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं और 1.73 करोड से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया गया है। जिला स्तर पर विषयों और अधिकारियों को जोड़ने की विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।
- सभी विभागों के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण प्रक्रिया की निगरानी की प्रक्रिया प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शुरू की गई है। कलेक्टर एवं विभागाधिकारियों को, शिकायतों को अन्य विभागों में स्थानांतरित करने और किसी भी शिकायत को उनके सम्बन्धित जिलों के दायरे में पुनः कार्यवाही का अधिकार दिया गया है।
- जिलेवार एवं विभागवार निगरानी को सक्षम बनाने के लिये विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड लॉन्च किये गए हैं जो विभिन्न मापदण्डों पर सम्बन्धित जिलों के शिकायतों के समाधान से सम्बन्धित प्रदर्शन और रैकिंग को दर्शाते हैं।
- टोल–फ्री नम्बर 181 पर कॉल करके आमजन अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं तथा शिकायतों के समाधान की वास्तविक स्थिति जान सकते हैं। लिंक http://sampark.rajasthan.gov.in/ टोल–फ्री नम्बर पर नागरिक सम्पर्क केन्द्र के माध्यम से राजस्थान सरकार के समस्त विभागों से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह केन्द्र 24x7 कार्य करता है।

परियोजना की वर्षवार प्रगतिः-

Rajasthan Sampark Report

Year Wise Comparison Report

वर्ष	कुल दर्ज शिकायत	निस्तारित शिकायत	निस्तारित %	औसत निस्तारण समय	कुल संतुष्ट	संतुष्टी %	तुष्ट राहत संतुष्ट	राहत संतुष्टी %	रद्द तुष्टी	रद्द संतुष्टी %
2018	15,48,147	15,48,147	100.00%	56	6,52,996	55%	3,30,861	70%	3,22,135	45%
2019	17,17,113	17,17,113	100.00%	36	7,10,720	51%	3,46,985	63%	3,63,735	43%
2020	17,78,324	17,78,323	100.00%	26	8,87,812	60%	4,64,653	66%	4,23,159	55%
2021	19,89,495	19,89,495	100.00%	22	9,74,618	60%	5,29,985	69%	4,44,633	51%
2022	23,40,351	23,40,350	100.00%	23	9,15,259	59%	5,21,951	67%	3,93,308	51%
2023	28,20,583	28,20,580	100.00%	31	12,73,294	67%	7,40,765	72%	5,32,529	61%
2024	33,23,845	32,34,459	97.31%	14	15,28,864	62%	9,30,905	69%	5,97,952	54%

7.3 राजवीसी

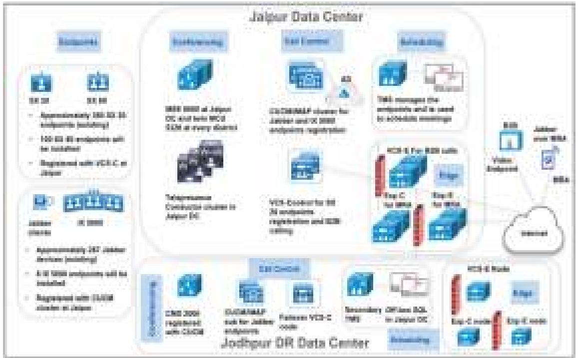

राजस्थान सरकार ने विभाग मुख्यालय, विभाग कार्यालयों, जिला मुख्यालयों (प्रत्येक DHQ में 2), एसडीएम/तहसील कार्यालयों, नगर निगमों और ब्लॉक मुख्यालयों में हार्डवेयर आधारित वीसी सेटअप स्थापित किया हैं। जोधपुर में एक डीआर साइट भी मौजूदा वीडियो कॉन्फ्रेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाई गई हैं, ताकि इस सेटअप के पूरे राजस्थान में कभी विफल होने की स्थिति में, उपयोगकर्ता के लिए निर्बाध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनुभव का प्रबंध किया जा सके। राजस्वान/राजनेट नेटवर्क का उपयोग पूरे राजस्थान में अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा की उपलब्धता के लिए किया जाता हैं।

वीसी सुविधा के अलावा, राजस्थान सरकार ने राज्य में संभाग स्तर पर, राज्य मुख्यालय जयपुर में दो और राजस्थान के बाकी संभाग मुख्यालयों उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा में इमर्सिव टेलीप्रेजेंस स्टूडियो भी स्थापित किया गया हैं।

परियोजना का उद्देश्य:-

- यह परियोजना राज्य सरकार के कार्यालयों की सूचना और संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अतिरिक्त वीसी कक्ष स्थापित करके और वीसी कक्षों के साथ–साथ टेलीप्रेजेंस समाधान का अधिकतम उपयोग करने और सिस्टम इंटीग्रेटर और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की मौजूदा टीम द्वारा प्रशासन का समर्थन करने के लिए एफएमएस सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं।
- इसका प्रमुख उद्देश्य G2G के कामकाज की समग्र प्रणाली में दैनिक कार्य, संचालन और गति, दक्षता, विश्वसनीयता और जवाबदेही लाना हैं।

परियोजना का लाभ :-

- यह परियोजना राज्य तंत्र के विभिन्न अंगों के मध्य संवाद एवं समन्वय का एक मजबूत आधार हैं।
- इसके माध्यम से बैठक कभी भी कहीं से भी की जा सकती हैं, जिससें समय एवं धन की बचत होती हैं।
- इस परियोजना में ग्राम पंचायत स्तर तक के कार्यालयों में आईपी टेलीफोनी सेवा की सुविधा प्रदान की गई हैं। जिसके माध्यम से प्रशासन एवं राज्य के नागरिकों में सीधा

संवाद स्थापित हो सका हैं।

परियोजना की वार्षिक प्रगति :-

- सरकार ने राज्य भर के विभिन्न सरकारी विभागों में 750 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टूडियो रूम स्थापित किए हैं। जिनकी सहायता से राज्य सरकार सालाना 7000 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र आयोजित करती हैं।
- राज्य ने एक सॉफ्टवेयर–आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान भी क्रियाशील किया हैं। यह सेटअप राज्य के निवासियों को जोड़ने के लिए स्थापित किया गया हैं। इस मंच का उपयोग करके राज्य भर में प्रति माह 2600 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र आयोजित किए जाते हैं।
- CM हेल्पलाईन 181 सहित सचिवालय, सभी सरकारी विभागों, कलेक्ट्रेट और ग्रामीण के अधिकारियों के बीच सीधे संचार के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक 18000+ आईपी टेलीफोन स्थापित किए गए हैं।

7.4 राजनेट

राजनेट परियोजना के अंतर्गत राज्य में ग्राम पंचायत स्तर तक सरकारी कार्यालयों/भवनों को नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। यह विभिन्न कनेक्टिविटी माध्यमो से ग्राम पंचायत स्तर तक नेटवर्क स्थापित करने की योजना है। राजनेट नेटवर्क ग्राम पंचायत स्तर तक ई–मित्र, ई–मित्र प्लस मशीनों, वाई–फाई, आईपी फोन, वीसी या लाईव प्रसारण एवं त्वरित ई–गवर्नेंस सुविधाओं की अदायगी के लिए मुख्य आधार है।

परियोजना का उद्देश्य -

परियोजनान्तर्गत, राज्य में नागरिक सेवाओं एवं विभागीय ई–गवर्नेंस सुविधाओं के प्रभावी वितरण के लिए समस्त ग्राम पंचायत स्तर तक के सरकारी कार्यालयों/भवनों को कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना है । राजनेट परियोजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैंः–

1. राज्य में ग्राम पंचायत स्तर तक सरकारी कार्यालयों/भवनों को इन्टरनेट कनेक्टिविटी।
2. नेटवर्क की निगरानी के लिए केंद्रीकृत नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर (CINOC)
3. ग्राम पंचायत स्तर पर समस्त अटल सेवा केंद्र (ASK) में ई–मित्र कियोस्क, ई–मित्र प्लस मशीन, वाई–फाई, आईपी फोन, ई–गवर्नेंस सुविधाओं की अदायगी के लिए और अन्य उपलब्ध आईटी उपकरणों को कनेक्टिविटी।
4. राज्य में ग्राम पंचायत स्तर तक वीसी या लाईव प्रसारण के लिए पर्याप्त कनेक्टिविटी।

परियोजना का लाभ-

1. 273 PoP रूम राजनेट परियोजना के अंतर्गत स्थापित किये जा चुके है।

2. 9200+ ग्राम पंचायतों में नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।
3. 6500+ कार्यालयों में नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है (पुलिस, पंजीयन एवं स्टाम्प, परिवहन, पर्यटन, वन, जेल, शिक्षा, चिकित्सा आदि 50+ विभागों)
4. 11500+ नाईट विजन एचडी कैमरों को अभय कमांड कंट्रोल सेंटर के तहत शहरी क्षेत्रों की निगरानी हेतु नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।
5. 4200+ किलोमीटर ओएफसी को राजनेट परियोजना के माध्यम से नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।
6. राजनेट परियोजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भारतनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से इंटरनेट सुविधा दी जा रही है।
7. वाईल्ड लाईफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजनेट परियोजना के माध्यम से 85 कैमरों को कनेक्टिविटी दी जा रही है।
8. अटल सेवा केंद्र में ग्राम पंचायत स्तर पर ई–मित्र कियोस्क, ई–मित्र प्लस मशीन, आईपी फोन, वाई–फाई और अन्य आईटी उपकरणों द्वारा कनेक्टिविटी का उपयोग किया जा रहा है।

परियोजना की वर्ष वॉर प्रगति-

उपरोक्त परियोजना के विवरण के अतिरिक्त परियोजना की वर्ष वार प्रगति निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कनेक्टिविटी प्रदान संख्या	14891	17725	18268	18622	19822

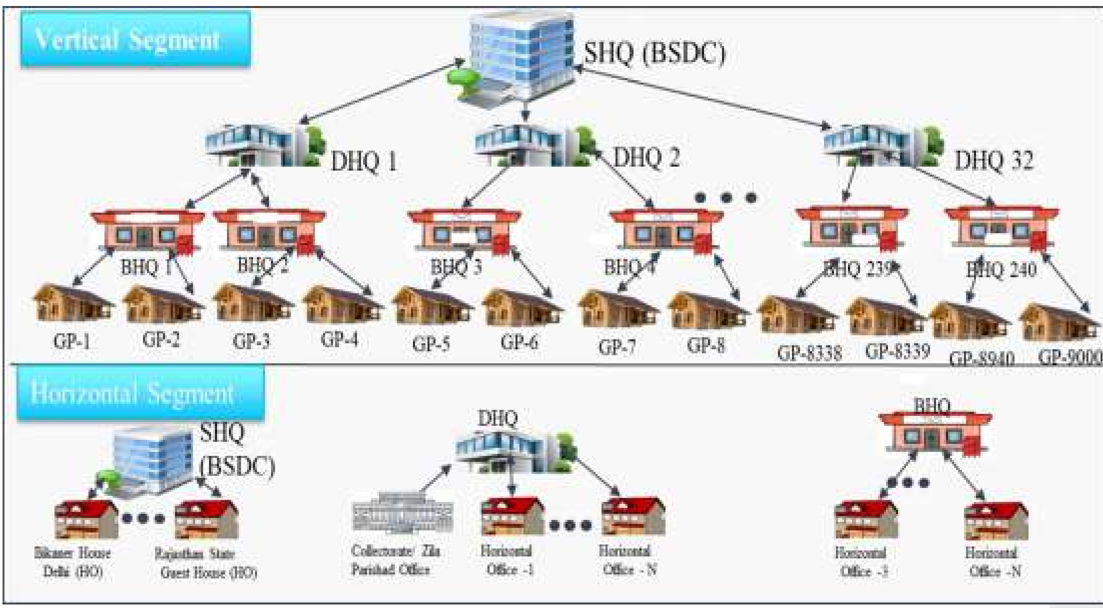

राजनेट परियोजना के अंतर्गत राज्य में ग्राम पंचायत स्तर तक सरकारी कार्यालयों/भवनों को इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए भारतनेट (BharatNET) OFC का उपयोग -

दूर–दराज के इलाकों में भारतनेट (BharatNET) OFC का उपयोग कर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार को राज्य की डिजिटल क्रांति के रूप में देखा जा सकता है, जो राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़कर डिजिटल सेवाओं को ग्राम पंचायत स्तर तक पहुचाने की दिशा मे महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल पहुंच के साथ ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई इस परियोजना का प्रयास सामाजिक–आर्थिक विकास को गति देना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।

इस परियोजना के तहत फाईबर के माध्यम से सभी पंचायतों को नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जा रही है। इससे ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर ओएफसी का उपयोग करके बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी।

1. परियोजना के तहत अब तक लगभग 8700 से अधिक ग्राम पंचायतों को OFC कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका हैं।
2. कनेक्टिविटी का उपयोग ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी कार्यालयों के अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा किया जा रहा है।
3. भारतनेट कनेक्टिविटी का उपयोग अटल सेवा केन्द्रों पर स्थित ई–मित्र कियोस्क, ई–मित्र प्लस मशीन एवं अन्य आईटी उपकरणों द्वारा किया जा रहा है अटल सेवा केन्द्रों पर उपयोग मे ली जाने वाली भारतनेट कनेक्टिविटी की वर्षवार प्रगति निम्नानुसार है –

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
ग्राम पंचायतों की संख्या	3902	1811	1408	1300	226	85

राजनेट परियोजना के अंतर्गत राज्य में सरकारी कार्यालयों/भवनों को हाई स्पीड इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के लिए राजनेट ओएफसी परियोजना -

राजनेट ओएफसी परियोजना का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों एवं कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर परियोजनान्तर्गत लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों, आर.एफ. टावर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं वीडियोवॉल के लिए हाई स्पीड इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना है।

राजनेट ओएफसी परियोजना का उद्देश्य -

1. ओएफसी कनेक्टिविटी द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में आमजन को ई–गवर्नेंस सेवायें एवं उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की सेवायें उपलब्ध करवायी जा रही है।
2. ओएफसी द्वारा अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर परियोजनान्तर्गत लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों को कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जा रही है साथ ही हाई स्पीड इन्टरनेट सुविधा

द्वारा 5 संरक्षित वन क्षेत्र के वन्य जीवों की निगरानी तंत्र एवं अवैध शिकार को रोकने हेतु निगरानी की जा रही है।

3. ओएफसी परियोजनान्तर्गत आर.एफ. टावर एवं वीडियोवॉल के लिए हाई स्पीड इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। जिला, मुख्यालय एवं पंचायत समिति स्तर पर विडियो वॉल द्वारा विभिन्न सरकारी नवाचारों, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और लाईव इवेन्ट्स की स्ट्रिमिंग का प्रसारण करने के लिये ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जा रही है।

4. राजनेट ओएफसी परियोजनान्तर्गत पुलिस विभाग के कार्यालयों, पुलिस थानों, जेल तथा न्यायालयों में ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई गयी है, जिसके माध्यम से शिकायत एवं ऑनलाईन सुनवाई का कार्य किया जा रहा है।

राजनेट ओएफसी परियोजना का लाभ -

1. राजनेट ओएफसी परियोजना के अन्तर्गत सचिवालय/जिला/ब्लॉक/नगरपालिका मुख्यालय के सरकारी दफ्तरों में कनेक्टिविटी उपलब्ध करवायी जा रही है। वर्ष 2024–25 तक लगभग 6,000 सरकारी कार्यालयों एवं 3200 कैमरा पोल एवं लगभग 7,500 सी.सी. टी.वी. कैमरों के लिये हाई स्पीड इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु लगभग 3,970 कि.मी. ओएफसी बिछाई जा चुकी है। पांच रिजर्व फॉरेस्ट (झालाना नेचर पार्क, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, जवाईबाघ लेपर्ड कन्जर्वेशन रिजर्व, मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व) को हाई स्पीड इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु लगभग 230 कि.मी. ओएफसी बिछाई जा चुकी है।

राजनेट ओएफसी परियोजना की वर्षवार प्रगति -

क्रम संख्या	वर्ष	राजनेट ओएफसी लम्बाई (कि.मी.)
1	2016-17	141.359
2	2017-18	484.076
3	2018-19	957.806
4	2019-20	771.056
5	2020-21	645.550
6	2021-22	350.330
7	2022-23	356.210
8	2023-24	256.240
9	2024-25	266.450
	Total	**4229.08**

7.5 राज वाई-फाई

राजस्थान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी सुधारों के तहत ग्राम पंचायत एवं विभिन्न सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर वाई–फाई नेटवर्क स्थापित करने की कल्पना की हैं।

परियोजना का उद्देश्य

राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर तक नागरिकों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से राज वाईफाई परियोजना संचालित की जा रही हैं।

परियोजना का लाभ

वाईफाई की सुविधा सभी विभागीय मुख्यालयों एवं समस्त जिला मुख्यालयों में चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाई गई हैं। वर्तमान में राज्य की कुल 11,341 ग्राम पंचायतों (9,892 पुरानी एवं 1,449 नयी) में से 9,447 ग्राम पंचायतों पर ग्रामीण क्षेत्र में कुल 10686 वाईफाई हॉटस्पॉट के माध्यम से वाई–फाई सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। उक्त सुविधा संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसका उपभोग लगभग 3.81 लाख उपभोक्ताओं द्वारा किया जा रहा हैं। पिछले वर्ष में 35,835 जीबी से भी अधिक डाटा का उपयोग ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित वाई–फाई नेटवर्क के द्वारा किया गया हैं। पूर्व में ज्यादातर ग्राम पंचायतों पर एमपीएलएस के माध्यम से वाई–फाई कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी गई थी, जिसे वर्तमान में भारतनेट (BBNL) नेटवर्क पर शिफ्ट किया जा रहा हैं। भारतनेट नेटवर्क पर एमपीएलएस कनेक्टिविटी की तुलना में बेहतर इंटरनेट स्पीड मिलती हैं जिससे भविष्य में वाई–फाई नेटवर्क की उपयोगिता और बढ़ेगी।

परियोजना की वर्षवार प्रगति:

वर्ष	ग्राम पंचायतों की संख्या	वाई-फाई हॉटस्पॉट की संख्या
2019–2020	5219	6190
2020–2021	2945	3082
2021–2022	546	688
2022–2023	722	681
2023–2024	15	45
कुल	**9447**	**10686**

7.6 ई-मित्र

राज्य में लगभग 78,671 से अधिक ई–मित्र कियोस्क (लगभग 53511 ग्रामीण क्षेत्र मे एवं 25160 शहरी क्षेत्र में) के माध्यम से आम जन को सरकारी/गैर–सरकारी क्षेत्र की लगभग 600 नागरिकोन्मुखी सेवाएं प्रभावशाली एवं पारदर्शी प्रणाली से घर के नजदीक उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आम जन द्वारा ई–मित्र की सेवाएं ई–मित्र कियोस्क, मोबाइल एप, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

आज दिनांक तक ई–मित्र परियोजना के अन्तर्गत लगभग 245 B2C निजी क्षेत्र की विभिन्न सेवायें जैसे– डिजिटल शिक्षा, home loan, कृषि, चिकित्सा परामर्श, म्यूच्यूअल फंड्स, Insurance, House Rent सेवा, PAN card, बैंकिंग, ITR आदि आम–जन तक पहुँचाई जा रही हैं।

7.7 ई-मित्र प्लस

ई–मित्र प्लस ग्रामीण सेल्फ सर्विस कियोस्क एवं ई–मित्र प्लस शहरी पहचान सर्विस कियोस्क हेतु बजट घोषणा की पालना में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों पर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी केन्द्रों में 9891 ई–मित्र प्लस सर्विस एटीएम तथा शहरी क्षेत्र में 5000 ई–मित्र प्लस मशीनें स्थापित की गई है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 14891 ई–मित्र प्लस मशीनों की स्थापना की गई।

परियोजना का उद्देश्य

ई–मित्र प्लस ई–सेवा प्रदान करने में एक क्रान्तिकारी कदम हैं। मानवरहित सेल्फ सर्विस

ई–मित्र प्लस कियोस्कों को सरकारी कार्यालयों/संगठनों/सार्वजनिक स्थानों एवं साथ ही गैर सरकारी स्थानों पर स्थापित किया गया हैं। ई–मित्र प्लस पूरे देश में अपनी तरह का पहला कियोस्क हैं।

परियोजना का लाभ :-

इन पर नकद, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसी भुगतान की कई सुविधाएं हैं और बायोमेट्रिक के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएं जैसे बिल आदि का भुगतान किया जाता है। इन स्वचालित कियोस्कों से विभिन्न प्रमाण–पत्र, ई–कार्ड (आधार, जन–आधार), पी.वी.सी. कार्ड पर जनआधार प्रिंट, जनसूचना पोर्टल की सूचनाएं, क्यूआर कोड की सुविधा आदि एवं पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र के वार्षिक सत्यापन की सेवा भी निःशुल्क उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, जन सुनवाई, सरकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार एवं राजकीय कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं।

परियोजना की वर्षवार प्रगति -

क्र सं	ई-मित्र प्लस मशीनों के माध्यम से किये जा रहे ट्रांजेक्शन	ट्रांजेक्शन की संख्या
1	ई–मित्र सेवाऐं	1 Cr. +
2	वीडियो कान्फ्रेंसिंग	4 Lakh +
3	जनसूचना पोर्टल पर उपलब्ध सेवाऐं	3.5 Lakh +
4	क्यूआर कोड	73,000 +
5	पेन्शनर्स ने जीवन प्रमाण पत्र हेतु निःशुल्क वार्षिक सत्यापन	5.1 Lakh +

7.8 राज-पेमेंट प्लेटफॉर्म

राजस्थान भुगतान प्लेटफ़ॉर्म (RPP) राजस्थान सरकार द्वारा एक पहल है, जिसका उद्देश्य केंद्रीकृत भुगतान रूटिंग इंजन प्रदान करना है, जो राजस्थान सरकार के तत्वावधान में सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के सभी भुगतान (कोषागार के अलावा) और संवितरण आवश्यकताओं का ध्यान रख सकता है। विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाओं के लिए भुगतान गेटवे और बैंकों को एकीकृत करने में विभिन्न विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को कम करने के लिए सिस्टम विकसित किया गया था।

उद्देश्य

आरपीपी का प्राथमिक उद्देश्य सभी बैंकों और भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं की सेवाओं को एक साझा मंच पर लाना और उन्हें अंतिम उपयोगकर्ता विभागों तक एकीकृत तरीके से पहुंचाना है ताकि उनकी ऑनलाईन प्रणालियों के माध्यम से निधियों का निर्बाध संग्रह और वितरण हो सके।

लाभ

1. सभी बैंकिंग जरूरतों के लिए सिंगल प्लग–एण्ड–प्ले एकीकरण
2. उपयोगकर्ता–विभाग खाते में सीधे फंड सेटलमेंट
3. राज्य विभागों और पीएसयू के लिए निःशुल्क सेवा
4. सभी प्रकार की सेवाओं के लिए सबसे बड़ा एपीआई सूईट
5. केंद्रीकृत खाता पुनर्निर्माण और सहायता टीम
6. एक समझौता – कई सेवाएँ

वर्षवार प्रगति तालिका

Collection (संग्रह)

वर्ष	कुल लेन-देन संख्या (लाखों में)	कुल राशि (करोड़ों में)
2016	0.01	0.02
2017	37.93	2260.76
2018	89.21	3826.51
2019	81.85	4814.66
2020	92.14	4162.84
2021	137.15	4681.38
2022	164.21	4069.26
2023	145.17	3972.16
2024	98.17	3292.92
कुल	845.84	31080.51

Disbursement संवितरण

वर्ष	कुल लेन-देन संख्या (लाखों में)	कुल राशि (करोड़ों में)
2016	0.01	0.02
2017	11.83	2250.08

2018	26.47	7568.6
2019	33.65	8525.92
2020	35.28	8696.78
2021	48.55	11268.59
2022	128.96	16011.96
2023	63.63	16517.36
2024	36.38	11449.43
कुल	**384.75**	**82288.72**

7.9 राज ई-साईन (Raj E-Sign)

राजस्थान ई–गवर्नेंस परियोजनाओं को लागू करने में देश में अग्रणी राज्यों में से एक हैं। ई–गवर्नेंस परियोजनाओं के दस्तावेजों को डिजिटल हस्ताक्षर करने में ई–साईन की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। ई–साईन प्रक्रिया को लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आधुनिकतम (स्टेट

ऑफ द आर्ट) आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना जोधपुर के डाटासेंटर में की गई हैं। राज्य सरकार के उपक्रम RISL को प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक द्वारा वर्ष 2019 में प्रमाणन प्राधिकारी का लाईसेंस प्रदान किया गया हैं। अब RISL के माध्यम से राज्य के नागरिको, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डिजीटल सिग्नेचर एवं ई—साईन जैसी सुविधाएं दी जाने लगी हैं। ई—साईन प्रोजेक्ट कागज रहित पारदर्शी सरकार की तरफ एक बड़ा कदम हैं। इस प्रोजेक्ट के लागू होने से राज्य के राजस्व में भारी बचत होती हैं।

7.10 स्टेट पोर्टल

आमजन को राजस्थान सरकार से सम्बन्धित सभी जानकारी जैसे सचिवालय, प्रशासन, विभिन्न विभाग, निर्वाचन, न्यायपालिका, विधानसभा, रोजगार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ई—बाजार, आमजन से जुड़ी सुविधाएं, राजस्थान की कला, संस्कृति, विरासत, पर्यटन संबंधी जानकारी/व्यवहार आदि एकीकृत रूप से राजस्थान स्टेट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। स्टेट पोर्टल पर राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों के वेब पोर्टल/वेबसाईट एवं विभिन्न सेवाओं की जानकारी सुलभ उपलब्ध है।

7.11 एकीकृत सरकारी पोर्टल

राजस्थान सरकार के विभिन्न विभाग/बोर्ड/आयोग आदि की जानकारी, संबंधित योजनाएं एवं ऑनलाईन सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने हेतु ऊर्जा विभाग, उद्योग विभाग, पर्यावरण, अर्बन, परिवहन, कानून एवं न्याय, भू—राजस्व, अल्पसंख्यक मामलात इत्यादि विभागों के एकीकृत सरकारी पोर्टल एवं वेबसाईट का निर्माण किया जाकर नियमित अद्यतन किया जा रहा है। समय समय पर पोर्टल एवं वेबसाईट की सुरक्षा हेतु ऑडिट करवाया जाकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे साइबर सुरक्षा के उच्चतम मानकों को पूरा कर रहे हैं। सभी वेबसाईट/पोर्टल को लेपटॉप, टेबलेट, मोबाईल एवं सभी डिवाइस अनुरूप बनाया गया है तथा

अधिकांश वेबसाईट/पोर्टल को दिव्यांग/विशेषजन सुगम बना दिया गया है।

7.12 ई-संचार 2.0

ई–संचार एप्लीकेशन विभिन्न ई–गवर्नेंस परियोनाओं को जनसाधारण एवं विभागीय कर्मचारियों को विभिन्न सूचनाएं एवं अलर्ट एस.एम.एस. एवं व्हाट्सऐप के माध्यम से भेजने की सुविधा उपलब्ध करवाता हैं तथा आम जन से एस.एम.एस. के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं/संदेशों को परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करवाता हैं। इस वेब आधारित ए.पी.आई. के माध्यम से किसी भी विभागीय एप्लीकेशन के साथ एकीकृत किया जा सकता हैं।

परियोजना का उद्देश्य:

परियोजना का मुख्य उद्देश्य सभी ई–गवर्नेंस परियोजनाओं हेतु एस.एम.एस. एवं व्हाट्सऐप के माध्यम से नागरिकों तक सूचना पहुँचाने के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना हैं।

परियोजना का लाभ :

ई–गवर्नेंस परियोजनाओं को एस.एम.एस एवं व्हाट्सऐप की सेवाएं एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में उपलब्ध होती हैं। ई–संचार परियोजना के मूल–सेवा प्रदाताओं के परिवर्तन की स्थिति में, इंटीग्रेटेड ई–गवर्नेंस परियोजनाओं के स्तर पर किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती हैं।

SMS Messages							
Year	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SMS Sent	12,11,87,913	49,51,17,753	1,71,19,41,931	40,99,40,518	86,36,99,331	1,92,51,84,839	1,07,49,32,497

WhatsApp Business Messaging System		
Year	2023	2024
WhatsApp Message Sent	69,76,757	24,77,310

7.13 राज्य मास्टर (स्टेट मास्टर केन्द्रीयकृत डाटा हब)

यह हब विभिन्न विभागों की एप्लीकेशन की आवश्यकतानुसार हर प्रकार का मास्टर डाटा उपलब्ध करवाता है। इस हब के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के मास्टर डाटा जैसे भौगोलिक वर्गीकरण विभिन्न प्रकार के आंकडे जो विभागीय एप्लीकेशन में प्रयुक्त होते है, सभी उपलब्ध है। डाटा हब विभागीय ऐप्लीकेशन्स को वेब सर्विसेज के माध्यम से मास्टर डाटा उपलब्ध करवाता है। इससे विभागीय ऐप्लीकेशन्स मे मास्टर डाटा के इंटीग्रेशन मे समय और धन की बचत होती है। वर्तमान में राज्य के 30 से अधिक विभाग राज–मास्टर सर्विस का उपयोग कर रहे है। राज–मास्टर एप्लिकेशन मे विभिन्न प्रकार के डेटा के 80 से अधिक मास्टर उपलब्ध है। पिछले एक वर्ष मे इन विभागो द्वारा अपनी विभिन्न एप्लीकेशन में लगभग 3.30 लाख बार राज–मास्टर में उपलब्ध डेटा का उपभोग किया गया है।

7.14 राजकाज (इन्टीग्रेटेड राज ई-ऑफिस)

राजस्थान सरकार के सभी राजकीय विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बोर्ड/कॉरपोरेशन/निगम इत्यादि में विभिन्न विभागीय प्रक्रियाओं को ऑनलाईन करते हुए कर्मचारियों/अधिकारियों के हित में राजकाज (इन्टीग्रेटेड राज ई–ऑफिस) परियोजना का संचालन किया जा रहा हैं। राजकाज सॉफ्टवेयर में 77 प्रशासनिक विभागों के 433+ संगठनों (विभाग/पीएसयू/बोर्ड/कमीशन/निगम/परिषद आदि) के 56 हजार से अधिक कार्यालयों तथा 9 लाख 80 हजार से अधिक कार्मिकों को जोड़ा जा चुका हैं।

राजकाज के निम्नलिखित मॉड्यूल्स का क्रियान्वयन प्राथमिकता से किया जा रहा हैः–

1. **ई-फाईल प्रबंधन (e-File Management)**:– ई–फाइल मॉड्यूल सुशासन एवं पारदर्शिता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा हैं। ई–फाईल मॉड्यूल का संचालन/क्रियान्वयन सरकार के सभी विभागों में सफलतापूर्वक किया जा रहा हैं। ई–फाईल मॉड्यूल के माध्यम से विभागों में कार्यालय–टिप्पणी से लेकर पत्रावली अनुमोदन तक की प्रक्रिया ऑनलाईन एवं पेपरलेस हो रही हैं। विभागों द्वारा जारी किये

जाने वाले आदेश/परिपत्र/पत्र आदि के ड्राफ्ट के ऑनलाईन ही अवलोकन, अनुमोदन एवं डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा उपलब्ध हैं।

2. **डाक प्रबंधन (Dak Receipt & Dispatch Management):–** विभागों को प्राप्त होने वाले दैनिक पत्र/डाक आदि की राजकाज के DAK मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाईन inward entry किये जाने एवं तत्पश्चात डाक को संबंधित कार्मिक को मार्क करने और इस पर विभागीय टिप्पणी अंकित करने या डाक को संबंधित फाइल से जोडे जाने का कार्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता हैं। विभागों द्वारा जारी होने वाले पत्रों की outward entry/dispatchकी सुविधा भी इस मॉडयूल में उपलब्ध करवायी गयी हैं।

3. **वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report):–** कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.07.2017 के अनुसार वर्ष 2017–2018 से समस्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों एवं परिपत्र दिनांक 30.03.2022 के अनुसार वर्ष 2021–2022 से समस्त कार्मिकों द्वारा अनिवार्यतः वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज के माध्यम से ऑनलाईन ही प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वर्ष 2022 की बजट घोषणा की अनुपालना में प्रतिवेदन का निर्धारित समय सीमा में मूल्यांकन नही होने पर सॉफ्टवेयर द्वारा APAR को अगले स्तर पर auto-forward करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गयी हैं।

4. **अचल सम्पत्ति विवरण (Immovable Property Return):–** कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.12.2017 के अनुसार वर्ष 2018 से समस्त राजपत्रित अधिकारियों व परिपत्र दिनांक 29.06.2021 के अनुसार वर्ष 2021 से राज्य सरकार में कार्यरत समस्त अराजपत्रित कार्मिकों द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण अनिवार्यतः राजकाज एप्लीकेशन के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

5. **अवकाश प्रबंधन एवं अवकाश नकदीकरण का आवेदन (Leave Management & Leave Encashment):–** कार्मिकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अवकाश एवं अवकाश नकदीकरण के लिए आवेदन किये जाने से लेकर स्वीकृति तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया राजकाज के माध्यम से ऑनलाईन क्रियान्वित की जा रही हैं।

6. **अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate):–** उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, विदेश यात्रा/पासपोर्ट/वीजा आदि के लिये राजकार्मिकों को नियमानुसार अपने नियोक्ता विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने की आवश्यकता रहती हैं। राजकाज एप्लीकेशन के इस मॉड्यूल के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के आवेदन से

अनुमोदन तक की प्रक्रिया ऑनलाईन उपलब्ध करवाई गयी हैं।

7. **राजकीय आवास प्रबंधन (Govt. Accommodation Management):–** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.06.2021 के द्वारा, राजकीय आवास हेतु आवेदन/आवंटन की प्रक्रिया को राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया गया हैं।

सॉफ्टवेयर में उपलब्ध अन्य मॉड्यूल:-

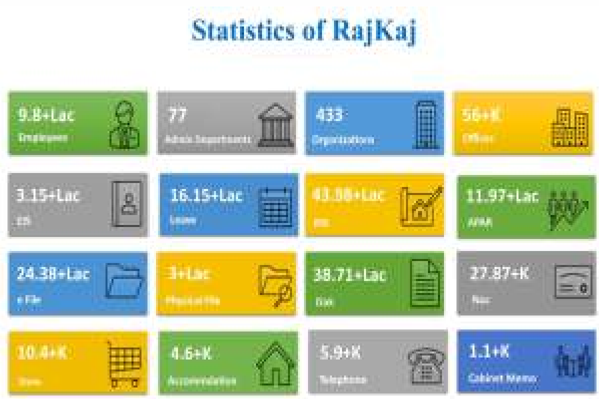

विभागीय संरचना और कर्मचारी सूचना प्रणाली (Organization & Employee Information System), स्थानान्तरण एवं पदोन्नति प्रबंधन (Transfer & Promotion Admin), स्टोर प्रबंधन (Store Management), यात्रा प्रबंधन (Tour Management), कैबिनेट मैमो एवं बैठक प्रबंधन (Cabinet Memo & Meeting Management), टेलिफोन बिल पुर्नभुगतान (Telephone Bill Reimbursement), कार्मिक सूची प्रबंधन (Civil List Management) और आगन्तुक पास प्रबंधन (Visitor Pass Management) इत्यादि।

7.15 विडियोवॉल

राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं पंचायत समिति स्तर तक के आमजन/निवासियों के लिये विभिन्न सरकारी नवाचारों, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और लाईव ईवेन्ट्स की ऑडियो–विडियो स्ट्रीमिंग, विडियो content का प्रसारण करनें के लिये 339 विडियोंवॉल की स्थापना की गई है। इन विडियोवॉल पर स्वचलित सूचनाएं प्रसारित होती है तथा कार्यक्रमों का Live webcast होता है। जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन को इन विडियोवॉल के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है।

वर्ष 2024–25 में विभिन्न विभागों जैसे Election Department, DIPR, CMO/PMO, Social Justice, Collectorate, National Lok Adalat, Rajasthan Police, Narcotics Control Bureau, BIP इत्यादि से प्राप्त विडियो content, ऑडियो–विडियो स्ट्रीमिंग का सफलता पूर्वक संचालन/प्रसारण किया गया।

List of Installed Video-wall District Wise

Sr. No.	District	No.	Sr. No.	District	No.
1	Ajmer	9	22	Jalore	9
2	Alwar	8	23	Jhalawar	10
3	Balotra	8	24	Jhunjhunu	9
4	Banswara	11	25	Jodhpur	13
5	Baran	8	26	Karauli	7
6	Barmer	10	27	Kota	7
7	Beawar	4	28	Kotputli-Behror	6
8	Bharatpur	7	29	Nagaur	8
9	Bhilwara	12	30	Pali	10
10	Bikaner	9	31	Pratapgarh	6
11	Bundi	6	32	Phalodi	5
12	Chittorgarh	12	33	Rajsamand	8
13	Churu	8	34	Salumber	5
14	Dausa	7	35	Sawai Madhopur	6
15	Deedwana-Kuchaman	7	36	Sri Ganganagar	10
16	Deeg	5	37	Sikar	10
17	Dholpur	6	38	Sirohi	6
18	Dungarpur	11	39	Tijara	4
19	Hanumangarh	8	40	Tonk	7
20	Jaipur	19	41	Udaipur	14
21	Jaisalmer	4			
				Total	**339**

7.16 राज ई-वॉल्ट

राज ई–वॉल्ट एक Document Management System है जो नागरिकों को अपने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान करता है। यह ऑफिशियल दस्तावेजों (जैसे– प्रमाण पत्र, अंकतालिका, NOC इत्यादि) के साथ–साथ नागरिक के व्यक्तिगत दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य, कागजी कार्यवाही की आवश्यकता को न्यूनतम करना और सभी प्रकार के प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों को डिजिटली सुरक्षित रखना है, जिससे भविष्य में जरुरत पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके।

वर्तमान में राज ई–वॉल्ट पर आम–जन और विभिन्न विभागों के 72 करोड़ से भी ज्यादा दस्तावेज संग्रहित है तथा विभिन्न विभागों की ऑनलाइन एप्लीकेशन्स के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 2 लाख दस्तावेज अपलोड किये जाते हैं।

परियोजना का उद्देश्य

राज ई–वॉल्ट वर्तमान में राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों (DMG, जन आधार, पहचान, ई–मित्र, SJE, SIPF, LMD, RAJMASTER, AGOFFICE, राजसंपर्क, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना इत्यादि) के विभागीय दस्तावेजों / फाइलों के साथ–साथ नागरिकों को जारी किए गए प्रमाण पत्र / लाइसेंस जैसे (जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं मूल–निवास प्रमाण पत्र) इत्यादि को डिजिटली रखने की सुविधा प्रदान करता है। नागरिक अपनी SSO ID से Login करके Raj eVault के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ ले सकता है।

राज ई-वॉल्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें निम्नलिखित हैं:-

1. **विभागीय सेवाएं:**
   - विभागीय डॉक्यूमेंट्स / फाइल्स को संग्रहित करना।
   - विभागीय डॉक्यूमेंट्स / फाइल्स को निकालना / पुनः प्राप्त करना (Fetch/ Retrieve)
   - विभागीय डॉक्यूमेंट्स / फाइल्स को अपडेट करना
2. **सिटीजन सर्विसेज :-**
   - सिटीजन का अकाउंट बनाना।
   - सिटीजन द्वारा डॉक्यूमेंट्स / सर्टिफिकेट्स को संग्रहित करना।
   - सरकारी विभागों द्वारा सिटीजन के डॉक्यूमेंट्स / सर्टिफिकेट्स को नागरिक के अकाउंट में जारी करना।
   - DigiLocker के साथ इंटीग्रेट करना।
   - राज ई–वॉल्ट मोबाइल ऐप।
   - माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की 10^{th} एवं 12^{th} की अंकतालिका (Marksheet) को निकालना / पुनः प्राप्त करना (Fetch / Retrieve)

परियोजना का लाभ

विभागों / संस्थानों द्वारा जारी किये गए प्रमाणपत्रों में जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पेंशन सर्टिफिकेट्स, सिलिकोसिस सर्टिफिकेट्स, दिव्यांग सर्टिफिकेट्स, इत्यादि से संबंधित विभिन्न प्रकार के दस्तावेज और प्रमाण पत्र शामिल हैं। पंजीकृत (रजिस्टर्ड) उपयोगकर्ता अपने दस्तावेजों को कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं।

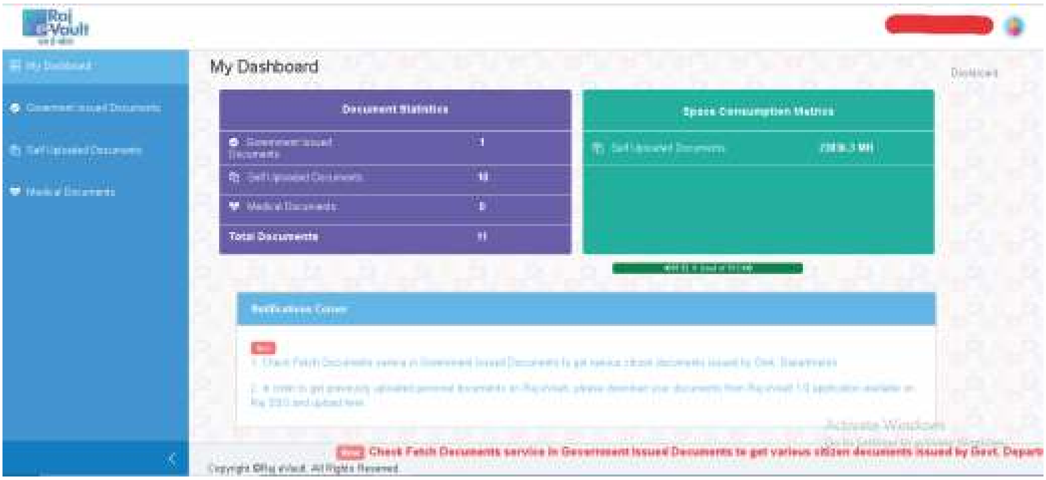
Raj eVault
My Dashboard
Document Statistics
Government Issued Documents
Self Uploaded Documents
Medical Documents
Total Documents
Space Consumption Matrics
Self Uploaded Documents
Notifications Corner
Check Fetch Documents service in Government Issued Documents to get various citizen documents issued by Govt. Departr
Copyright ©Raj eVault. All Rights Reserved.

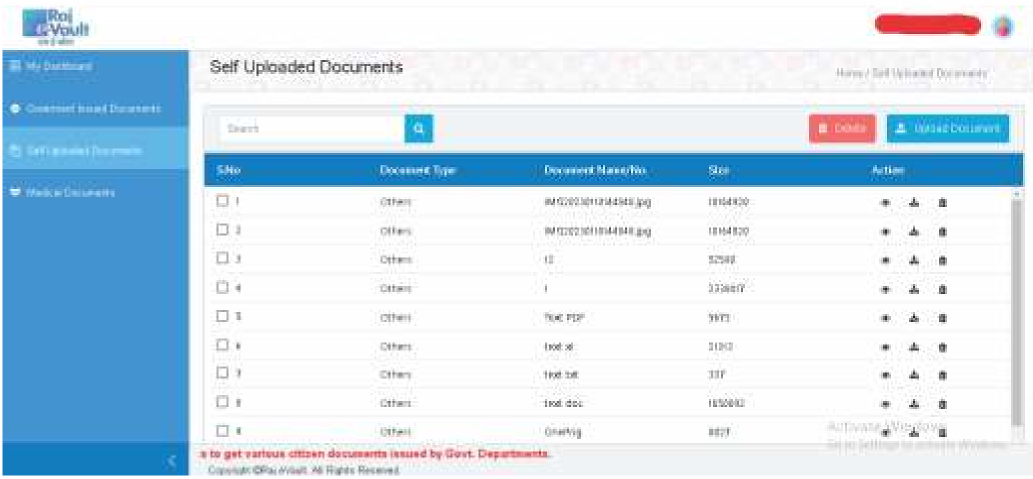
Raj eVault
My Dashboard
Government Issued Documents
Self Uploaded Documents
Medical Documents
Self Uploaded Documents
Search
Delete
Upload Document
S.No
Document Type
Document Name/No.
Size
Action
s to get various citizen documents issued by Govt. Departments.
Copyright ©Raj eVault. All Rights Reserved.

Raj eVault
Share Your Documents
You Can Seamlessly Share Documents
Toll Free Number
1064
9413502834
Anti Corruption Bureau

7.17 सिंगल साईन ऑन (SSO)

राजस्थान सरकार की विभिन्न वेबसाईट्स एवं एप्लीकेशनों का उपयोग करने के लिए, सिंगल साईन ऑन की एकल यूजर नेम एवं पासवर्ड की सहायता से (जो की सिंगल साईन ऑन पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है) अलग–अलग यूजर नेम और पासवर्ड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती हैं। SSO के माध्यम से राजस्थान सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों, ई–मित्र संचालकों, निवेशकों एवं नागरिकों को अब एक डिजिटल पहचान दी जा रही हैं। जिसकी सहायता से अधिकारी, कर्मचारी, ई–मित्र संचालक, निवेशक एवं नागरिक विभिन्न विभागों की ऑनलाइन एप्लिकेशनस् का सुगमता से उपयोग कर रहे हैं। इसके अंतर्गत लगभग 306 लाख SSO ID, 317 G2G एवं 204 G2C/G2B एप्लिकेशनस उपलब्ध करवाई गयी हैं।

7.18 आधार डेटा वॉल्ट

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के निर्देशानुसार आधार नम्बर व उससे संबंधित सूचनाएं सुरक्षित डेटा वॉल्ट बनाकर उसमें रखना अनिवार्य है। विभाग ने इसके लिए केन्द्रीकृत आधार डाटा वॉल्ट का निर्माण कर लिया है। इसके अलावा सभी विभागीय डेटाबेस जहाँ आधार नम्बर विद्यमान है, उन सभी एप्लिकेशन में आधार डेटा वॉल्ट का का उपयोग कर आधार डेटा को सुरक्षित रूप में संधारित किया जा रहा है। वर्तमान मे आधार डेटा वॉल्ट मे 8.70 करोड से अधिक आधार एवं उससे संबंधित डेटा सुरक्षित रूप से संग्रहित है एवं इसकी संख्या लगातार बढती जा रही है। विभाग ने “HSM as a service” एवं “DSM as a service” विकसित की है, जिसका उपयोग कर अन्य विभागो द्वारा आधार नंबर को एक सुरक्षित रूप में स्टोर किया जा रहा है।

7.19 राज सेवा द्वार (Raj Sewa Dwar)

राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड (RISL) ने सेंट्रल मिडलवेयर एंटरप्राइज़ सर्विस बस, जिसे राजसेवा द्वार के नाम से जाना जाता है, विकसित किया है। यह विभागीय अनुप्रयोगों और सेवाओं के बीच सभी इंटर–एप्लिकेशन संचार के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह

केंद्रीकृत तरीके से सभी सॉफ़्टवेयर सेवाओं की आसान, सुरक्षित और पारदर्शी पहुँच सुनिश्चित करता है।

राज सेवा द्वार राजस्थान का एक इंटेलीजेंट मिडलवेयर एंटरप्राइज़ सर्विस बस है, जो राज्य, राष्ट्रीय और निजी अनुप्रयोगों के लिए कनेक्टिविटी, एकीकरण और संयोजन का एक अद्वितीय द्वार प्रदान करता है। इस प्रकार, यह सभी सॉफ़्टवेयर सेवाओं की केंद्रीकृत तरीके से आसान, सुरक्षित और पारदर्शी पहुँच सुनिश्चित करता है।

राज सेवा द्वार राजस्थान के लिए एक केंद्रीकृत एपीआई स्टोर है, जहां सभी सेवाएँ सरकारी विभागों, बाहरी डेवलपर्स/एजेंसियों/संगठनों द्वारा इस ESB प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से एपीआई/वेब सेवाओं के रूप में उपलब्ध हैं। यह एप्लिकेशन मालिकों के लिए ट्रैफिक की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सूचनात्मक डैशबोर्ड प्रदान करता है। राज सेवा द्वार G2G और G2B सेवाओं में कागजी कार्रवाई को घटाकर सभी सेवाओं को केंद्रीकृत रूप से सूचीबद्ध करता है। यह भाषा संबंधी प्रतिबंधों से मुक्त सेवा साझाकरण को सक्षम करता है और सभी सेवाओं के उचित विश्लेषण और डेटा को एक स्थान पर प्रदान करता है।

अब तक, राज सेवा द्वार पर 42 से अधिक विभिन्न विभागों द्वारा कुल 1400+ सेवाओं के लिए आवेदन किया गया है। राज सेवा द्वार पर अब तक कुल 869 करोड़ से अधिक लेन–देन किए जा चुके हैं।

उद्देश्य

राज सेवा द्वार का आर्किटेक्चर कई कार्य करता है, जिनकी सूची निम्नलिखित है:

- सभी सरकारी विभागों की सेवाओं/APIs को ऑन–बोर्ड करना।
- उपभोक्ता विभागों के अनुरोधों का प्रमाणीकरण और प्राधिकरण करना।
- यह उपभोक्ता विभागों को सेवा और प्रबंधन प्रदान करता है, जिसे अधिकृत SSO ID पर प्रकाशित किया जाता है।
- प्रकाशक/सेवा प्रदाता की आवश्यकताओं के अनुसार मौजूदा सेवाओं में संशोधन करना।
- ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार कस्टम नीतियाँ लागू करना, जैसे: IP प्रतिबंध लागू करना, सेवा के लेन–देन की संख्या पर सीमा लगाना आदि।
- बाहरी नेटवर्क पर संगठन की सेवाओं/APIs पर एक प्रॉक्सी लेयर बनाकर संसाधनों की प्रॉक्सी करना, ताकि सुरक्षा जोखिमों से बचा जा सके।

- प्रकाशक की आवश्यकता के अनुसार किसी भी सेवा को कभी भी प्रतिबंधित/रद्द करना।

राज सेवा द्वार द्वारा किए जाने वाले प्रबंधन कार्य

राज सेवा द्वार प्रबंधन गतिविधियाँ भी करता है, जिनकी संकेत सूची निम्नलिखित है:

- सभी प्रबंधन सर्वरों की स्वास्थ्य जांच।
- सभी सर्वरों का डेटा प्रबंधन और नियमित बैकअप।
- सभी प्रकाशित APIs की सेवा निगरानी और त्रुटि हैंडलिंग।
- प्रकाशित सेवाओं के लिए परिवर्तन अनुरोध।
- नीति आधारित ट्रैफिक रूटिंग और लोड बैलेंसिंग।

- सभी प्रकाशित सेवाओं/APIs का लॉग प्रबंधन और विश्लेषण।

7.20 डाटा एनालिटिक्स एवं बिग डाटा क्लस्टर

आज के सूचना तकनीकी के युग में, सूचना/डाटा का आकार तेजी से बढ रहा है क्योंकि विभिन्न विभागों द्वारा सूचना प्राद्यौगिकी के माध्यम से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं एवं सार्वजनिक सेवाओं के उपभोग से अत्यधिक मात्रा में डाटा/सूचना उत्पन्न हो रही है।

इस तरह से प्राप्त बहुत अधिक मात्रा में डाटा/सूचनाओं का प्रबंधन करने के लिए अथवा उसे एकत्रित करने के लिए बिगडाटा एनालिटिक्स का प्रयोग किया जाता है। बिगडाटा एनालिटिक्स की मदद से इस डाटा/सूचना का उपयोग कर सरकार की सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं एवं विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं को ग्राफिकल/चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित कर उसका विश्लेषण एवं मूल्यांकन करने में किया जाता है। जिससे परियोजना में व्याप्त सूक्ष्म से सूक्ष्म छिपी हुई सूचना (Insights) को निकालने एवं निगरानी रख कर परियोजना और सार्वजनिक सेवाओं की

कार्यदक्षता बढाते हुए, नई नीति निर्माण और निर्णय लेने में मदद की जा सकती है।

- **परियोजना के उद्देश्य:-**

परियोजना के परिकल्पित उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

1. विभागीय अवलोकन हेतु KPIs की पहचान और KPIs से कार्यदक्षता का तुलनात्मक विश्लेषण
2.. रूझान और पूर्वानुमान
3. नीति अनुपालना
4. साक्ष्य आधारित निर्णय लेना

- **परियोजना के लाभ:-**

यह परियोजना विभिन्न राजस्व उत्पन्न करने वाले विभागों यथा CTD, Excise, Mining, Transport, Registration & Stamp आदि को न केवल संबंधित विभाग के डाटा का उपयोग करके बल्कि क्रॉस डिपार्टमेंटल डाटा विश्लेषण/एनालिटिक्स का उपयोग करके उक्त राजस्व विभागों में कर वृद्धि करने में मदद करती है। इसी के साथ ही सरकार की अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाऐं यथा "RGHS" एवं "चिरंजीवी" परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वन के उद्देश्य से पंजीकृत सेवाओं के विश्लेषण का कार्य भी किया जा रहा है।

इसके अलावा, विभिन्न विभागों में लागू किए गए कुछ डैश बोर्ड रिपोर्टस जो नीति निर्माण और निर्णय लेने में मदद करते हैं, निम्नानुसार हैं:–

i) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विश्लेषण: समाचार विश्लेषिकी

ii) क्राईम हॉटस्पॉट विश्लेषण

iii) राजस्थान संपर्क जिला / विभाग रैंकिंग डैशबोर्ड

iv) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SJED)

v) आई. एच. एम. एस. (IHMS)

vi) ई–मित्र डैशबोर्ड

vii) राजकाज (ई–ऑफिस)

viii) राजनेट एसेट मॉनिटरिंग

ix) जन जाती क्षेत्रीय विकास (TAD) विभाग द्वारा छात्रवृत्ति भुगतान

x) सामान्य न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (GCMS)

xi) डाटा लेक

xii) वन्यजीव

xiii) राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म (RPP)

xiv) आर. टी. आई. (RTI)

xv) होर्टीकल्चर (Horticulture)

7.21 ई-बाजार

ई–बाजार का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों एवं विभागीय सहभागीयों के उत्पादों को ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ही जगह बिक्री हेतु उपलब्ध कराना है। जो कि https://ebazaar.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध हैं।

परियोजना का उद्देश्य-

- आम नागरिकों का सीमित स्थानों पर उपलब्ध दुकानों के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले उत्पादों की तुलना में विभिन्न विक्रेताओं के उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला में से उत्पाद

को एक ही प्लेटफार्म पर चुनने का अवसर प्रदान करता हैं।

- विक्रेताओं को उत्पाद की तस्वीरों, विशिष्टताओं और विविधताओं सहित उत्पाद प्रदर्शित करना।
- सिंगल साईन ऑन के साथ इन्टीग्रेशन।
- प्रीपेड ऑनलाईन भुगतान प्रणाली द्वारा उत्पादों का भुगतान।
- एस.एम.एस. और ई–मेल आधारित अलर्ट और invoice शेयर करना।
- सभी ऑर्डर्स को ओटीपी आधारित डिलीवरी सुविधा प्रदान करता हैं।
- ई–बाजार पोर्टल पर उपलब्ध उत्पादों को देश के विभिन्न क्षेत्रों के पिनकोड पर घर बैठे उपलब्ध करवाया जाता हैं।

ई-बाजार पोर्टल पर नागरिकों व सरकारी विभागों के लिए खरीदारी के लिए उत्पाद उपलब्ध है-

B2C के अन्तर्गत (आमजन के लिए)

- राजस्थान सरकार के विभिन्न विभाग, अर्द्ध सरकारी इकाईयां जैसे खादी, हथकर्घा निगम, बुनकर संघ, सहकारी समितियां के उत्पाद इस ऑनलाईन स्टोर पर उपलब्ध करवाये गये हैं।
- सभी प्रकार के वाणिज्यिक लेनदेन/ऑनलाइन भुगतान आदि के लिए 'राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ समाकलित किया गया हैं। नागरिक ऑनलाईन प्लेटफॉर्म पर जाकर ऑनलाईन भुगतान सुविधा के द्वारा 24x7 ऑर्डर करने की सुविधा प्रदान की गयी हैं।

B2G के अन्तर्गत (सरकारी विभागों के लिए)

- राज्य के पंजीकृत start-ups के उत्पाद, बिना टेंडर 25 लाख रूपये तक की खरीद व बिक्री ई–बाजार के माध्यम से करवाये जाने की सुविधा प्रदान की गयी हैं।

ई-बाजार पोर्टल पर किये गये कुल ट्रांजेक्शन -

- कुल सामान विक्रेता : B2C: 30, B2G:80
- कुल उपलब्ध उत्पाद : 998 (Unique)
- कुल प्राप्त हुए आर्डर : 75,462
- बेची गयी कुल उत्पाद मात्रा : 16.10+ लाख यूनिट
- कुल राशि : 2,182 लाख रूपये

7.22 राजस्थान सप्लाई एंड इवेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम (RajSIMS)

"RajSIMS" सॉफ़्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा आई. टी. क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों के अंतर्गत तैयार किया गया एक वेब आधारित सप्लाई और वितरण प्रणाली सॉफ़्टवेयर है। इसे किसी भी स्थान से आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। यह सॉफ़्टवेयर मुख्य रूप से उन विभागों और योजनाओं के लिए विकसित किया गया है, जिन्हें स्टॉक के डिमांड, खरीद, सप्लाई, वितरण, और भुगतान की निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है।

परियोजना का उद्देश्य :

RajSIMS सॉफ़्टवेयर का उद्देश्य विभिन्न विभागों और योजनाओं में स्टॉक के डिमांड, खरीद, सप्लाई, वितरण और भुगतान की प्रक्रियाओं से सम्बंधित कार्यों को तेज़ी से, कुशलतापूर्वक और प्रभावी रूप से एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करना है।

परियोजना का लाभ:

1. स्टॉक सप्लाई एवं वितरण की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है।
2. डिमांड तैयार करने, खरीद आदेश जारी करने, सप्लाई और वितरण के कार्यों में समय की बचत की जा रही है।
3. विभागों के बीच पारदर्शिता और सामंजस्य स्थापित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यों में सुगमता और दक्षता आ रही है।
4. इन्वेंट्री के विवरणों को संग्रहीत करने, बिक्री विवरणों के आधार पर इन्वेंट्री को अपडेट करने, बिक्री के लिए रसीदें तैयार करने और समय–समय पर बिक्री और इन्वेंट्री संबंधी रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है।
5. रियल टाइम मॉनिटरिंग करने से योजनाओ में आवश्यक बदलाव करने से ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों तक योजनाओ का लाभ पहुँच रहा है।
6. RajSIMS एक केंद्रीकृत डेटाबेस संचालित प्रणाली है, जो वास्तविक समय पर उत्पादन, खरीद, बिक्री एवं इन्वेंटरी संबंधी सूचनाएं उपलब्ध करवाता हैं, जिससे प्रबंधन स्तर पर निर्णय लेना आसान हो जाता है।

परियोजना की वर्तमान स्थिति:

1. मिड-डे मील योजना (MDM)

मिड डे मील योजना (Mid&Day Meal Scheme) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजना है। जो भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा राज्य के राजकीय विद्यालयों,

संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों में अध्ययनरत बालवाटिका एवं कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को मध्यान्तर में निर्धारित साप्ताहिक मेन्यू के अनुसार पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

इसी क्रम में RajSIMS एप्लीकेशन पर कुल 69 हजार वितरण केन्द्रों अधिकारियों की मैपिंग कर मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन एवं मोनिटरिंग के लिए लागू किया गया है। RajSIMS एप्लीकेशन का पीएम पोषण पोर्टल से इंटीग्रेट कर भारत सरकार को योजना के अंतर्गत विद्यालयों में दैनिक वितरण किए जाने वाले खाद्यान्न की सूचना भिजवाई जा रही है।

			Upto December 2024
Sr. No.	**Beneficiary Department**	**Total Mapped Offices in Scheme**	**Distribution Transactions Count**
1	Education Department	65424	12041791
2	Department of Minority Affairs	2049	166455
3	Department of Sanskrit Education	2158	292498
	Total	**69631**	**12500744**

2. उड़ान योजना (UDAAN)

राजस्थान सरकार की उड़ान योजना के तहत 11 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं और किशोरियों को निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते है। RajSIMS एप्लीकेशन को उड़ान स्कीम के क्रियान्वयन एवं मोनिटरिंग के लिए लागू किया गया है। RajSIMS एप्लीकेशन के माध्यम से UDAAN योजना के अंतर्गत Sanitary napkin के डिमांड, खरीद, सप्लाई, वितरण का कार्य किया जाता है।

			Upto December 2024
Sr. No.	**Beneficiary Department**	**Total Mapped Offices in Scheme**	**Distribution Transactions Count**
1	Education Department	36909	181734
2	Integrated Child Development Services	64423	15
3	Social Justice and Empowerment Department	262	0
4	Department of Medical Education	77	1304
5	Department of Technical Education	51	1098
6	Department of College Education	655	50092
7	Department of Minority Affairs	659	992
8	Department of Sanskrit Education	3043	94
9	Department of University Education	33	16
10	Prison Department	24	0
11	Tribal Area Development Department	14	0
12	Directorate of Technical Education(ITI)	347	1393
	Total	**106497**	**236738**

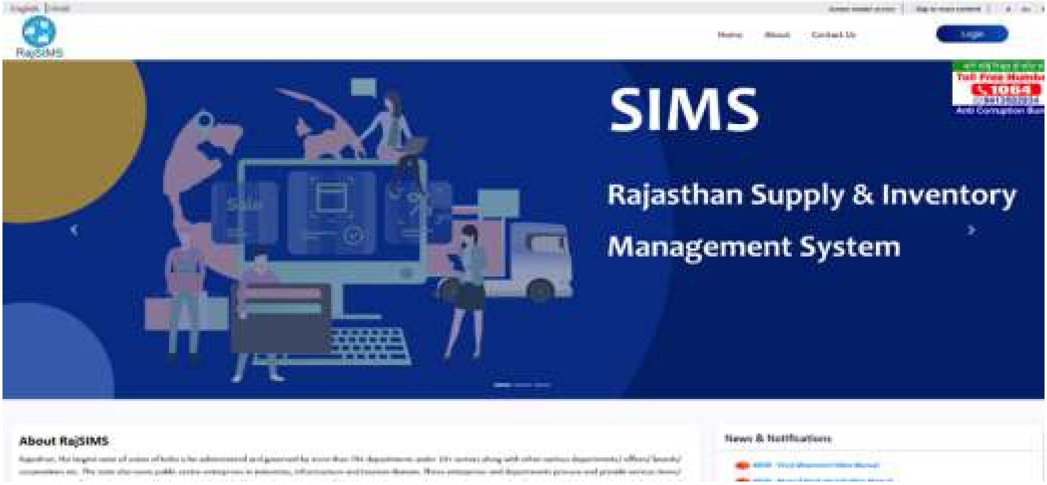

सेल्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम (SIMS)

सेल्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम (SIMS), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से तैयार किया हुआ एक ऑनलाईन आधारित सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग बिक्री गतिविधि और इन्वेंट्री को एक साथ प्रबंधित व ट्रेक करने के लिए किया जाता है। राजस्थान राज्य के सभी जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार एवं क्रय–विक्रय सहकारी समितियों के मेडीकल अनुभाग के औषधि दवा केन्द्रों, दवा गोदामों एवं RGHS के अन्तर्गत अनुमोदित निजी दवा केन्द्रों पर संचालित है।

RGHS के अन्तर्गत अनुमोदित कॉन्फेड एवं निजी दवा केन्द्रों द्वारा RGHS के लाभार्थियों को भी SIMS द्वारा कैशलेस दवा उपलब्ध करवाई जा रही है।

प्रमुख विशेषताए :-

- SIMS एक साधारण व आसानी से उपयोग में लेने योग्य सेल्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम है।
- इसका उपयोग इन्वेंट्री के विवरणों को संग्रहीत करने, बिक्री विवरणों के आधार पर इन्वेंट्री को अपडेट करने, बिक्री के लिए रसीदें तैयार करने एवं समय–समय बिक्री और इन्वेंट्री संबंधी रिपोर्ट उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है।
- SIMS एक केंद्रीकृत डेटाबेस संचालित प्रणाली है, जो वास्तविक समय पर उत्पादन, खरीद, बिक्री एवं इन्वेंटरी संबंधी सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। जिससे प्रबंधन स्तर पर निर्णय लेना आसान हो जाता है।

पोर्टल द्वारा उपार्जित लाभ :-

- RGHS के अन्तर्गत अनुमोदित निजी दवा केन्द्रो द्वारा RGHS के लाभार्थियों को कैशलेस दवा बिक्री की जा रही है।
- वेंडर से गोदाम, गोदाम से गोदाम, गोदाम से स्टोर, स्टोर से गोदाम तक स्टॉक ट्रांसफर/वापसी केंद्रीकृत इन्वेंट्री प्रबंधन के माध्यम से एक सिंक्रनाइज और सुसंगत तरीके से करवाने की सुविधा प्रदान की गई है।
- स्टॉक, मांग एवं आपूर्ति, भंडारण क्षमता, लाभ एवं हानि प्रक्रिया जैसे विभिन्न मानको पर स्टोर के प्रदर्शन में सुधार के अवसरों के ट्रैक, पूर्वानुमान और पहचानने के लिए विभिन्न स्तरों पर विस्तृत विश्लेषण की सुविधा प्रदान की जा रही है।
- SIMS पोर्टल पर 82 जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार एवं क्रय–विक्रय सहकारी समितियों के 614 दवा केन्द्र तथा RGHS के अन्तर्गत पंजीकृत 4209 निजी फार्मेसी के माध्यम से RGHS के अन्तर्गत कुल 290 लाख से अधिक बिल जारी किये जा चुकें है।

7.23 राज-धरा-एकीकृत भौगोलिक सूचना तंत्र (जी.आई.एस)

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा एकीकृत जी.आई.एस. (GIS) आधारित सिस्टम ''राज–धरा'' स्थापित किया गया हैं। इस सिस्टम के अर्न्तगत विभागों के साझा उपयोग हेतु विश्वस्तरीय सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म स्थापित किये गये हैं।

इस सिस्टम पर विभिन्न विभागों/उपक्रमों के लिए सूचना एवं विश्लेषण हेतु जी.आई.एस. आधारित वेब व मोबाईल एप्लीकेशन्स को विकसित एवं स्थापित कर इसे सम्बंधित विभागों को उपलब्ध करवा दिया गया है, जिससे वे इसके द्वारा अपने विभाग की सभी परिसम्पत्तियां के भू–स्थानिक डाटा जोड़ सकें और उपलब्ध डाटा का संधारण/उन्नयन कर सकें। यह डाटा GIS आधारित इंटरफेस द्वारा उपलब्ध नक्शे पर दर्शाया जाता है, जिससें प्रत्येक क्षेत्र में विभागों के परिसम्पत्तियां व उनमें उपलब्ध सुविधाओं का विभागीय/अंतर–विभागीय विश्लेषण किया जा सके। वर्तमान में खान और भूविज्ञान विभाग, वन

विभाग, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं पंचायती राज, गोपालन निदेशालय, कृषि विभाग, नगरीय विकास विभाग, भू–जल विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी एवं विभिन्न जिला कलेक्ट्रेट द्वारा राजधरा प्लेटफ़ार्म का उपयोग किया जा रहा है।

विभिन्न विभागों/उपक्रमों की परिसंपत्तियों के भू–चिन्हीकरण, विभागीय योजनाओं एवं कार्यों के भू–चिन्हित सर्वेक्षण, विभागीय कर्मचारियों/अन्य कर्मियों की भू–चिन्हित उपस्थिति तथा क्षेत्रीय स्तर पर दी जाने वाली सर्विस डिलीवरी के निरीक्षण (inspection) के लिए GIS आधारित राजधारा मोबाइल ऐप विकसित की गई हैं, जो कि फील्ड कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण व सुविधाजनक साबित हुई हैं। उक्त एप को भूजल विभाग, ई–मित्र, गोपालन निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, इंदिरा रसोई योजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, नगरीय विकास विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी एवं विभिन्न जिला कलेक्ट्रेट द्वारा उपयोग मे लिया रहा है। इस ऐप की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसका उन्नयन करते हुए नवीन ऐप का विकास किया गया हैं।

सम्पूर्ण राज्य के लिये सैटेलाइट इमेजरी प्राप्त कर उसको भू संदर्भित किया जा कर विभिन्न विभागों के लिये इमेजरी बेसमैप के रूप में स्थापित किया जा चुका हैं। इस इमेजरी बेसमैप को आधार मानते हुए महत्वपूर्ण भू–संरचनाओं यथा सड़क व रेल मार्ग, जल–संरचनाएं इत्यादि का GIS प्लेटफॉर्म पर अंकन (Digitization) कर सभी विभागों के उपयोग के लिये मैप–सर्विस के रूप में स्थापित किया जा चुका हैं। संसाधित इमेजरी का उपयोग विभिन्न विभागों यथा RUIDP, SRSAC, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग इत्यादि द्वारा किया गया हैं, जब कि basemap को GIS आधारित applications पर उपयोग हेतु उपलब्ध करवाया गया हैं।

7.24 राज ई. आर. पी.

RISL द्वारा विकसित RajERP Project राज्य सरकार के सभी उपक्रमों के कार्यो एवं गतिविधियों के परिचालन की दक्षता बढाने के लिए डिजायन किया गया है। RajERP का लक्ष्य विभागीय कार्यो को एक सामान्य प्लेटफार्म का उपयोग करके एक ही सिस्टम में एकिकृत करना है।

परियोजना का उदेश्यः-

राज–ईआरपी में कुशल सेवा वितरण के लिए विभिन्न इंटरफेस के साथ मॉड्यूल विकसित किये

गये है। सभी मॉड्यूल एक दूसरे से एकीकृत हैं। एकीकृत मॉडयूल्स के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, एकीकृत डेटा बनाए रखने व आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकसित किया गया है। राज–ईआरपी में निम्नानुसार मॉडयूल्स विकसित किये गये हैः–

S.N.	Modules	Sub Modules
1	मानव संसाधन मेनेजमेन्ट HRMS (Human Resource Management)	आर्गनॉइजेशन स्ट्रक्चर। एम्लॉय एन्रोलमेन्ट। एम्लॉय प्रोफाइल। एम्लॉय सेल्फ सर्विस। लीव मेनेजमेन्ट। उपस्थिति मेनेजमेन्ट। शिफ्ट मेनेजमेन्ट। पेरोल कॉन्फिगरेशन। पेरोल प्रोसेसिंग। लोन मेनेजमेन्ट। ट्रांसफर। वेतन वृद्धि। ट्रांसफर। प्रतिनियुक्ति इन/प्रतिनियुक्ति आउट। जॉइनिंग/रिलीविंग। पदोन्नति/वेतन निर्धारण। आयकर। एसीपी। एपीएआर। पृथक्करण। सीनियरटी लिस्ट। टूर रिम्बर्समेन्ट। बिल रिम्बर्समेन्ट। कॉन्फिगरेशन मास्टर। एमआईएस रिपोर्टिंग। अन्य मॉड्यूल के साथ इन्टीग्रेशन
2	लेखा एवं वित्त मेनेजमेन्ट FA (Accounts and Finance Management)	वाउचर। एडवॉन्स बिलिंग। वेन्डर/सप्लॉयर मेनेजमेन्ट। परचेज इन्वॉइस। सेल इन्वॉइस। बजट प्रक्रिया। बैंक सॉल्युशन। टैक्स कम्पोनेंन्ट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। सबसिड्यरी मेनेजमेन्ट। MIS रिपोर्ट। ओपनिंग बेंलेंस मेनेजमेन्ट। बुक क्लोजिंग। कॉन्फिगरेशन।
3	कार्य निगरानी और परियोजना मेनेजमेन्ट WPM (Works Monitoring and Project Management)	प्लानिंग एस्टीमेनशन और सेक्शन मेनेजमेन्ट। टेन्डर मेनेजमेन्ट। आर्डर मेनेजमेन्ट। कार्य निष्पादन। बिल मेनेजमेन्ट। रिफन्ड मेनेजमेन्ट। गारंटी मेनेजमेन्ट। सर्विस आइटम मेनेजमेन्ट। बीएसआर आइटम। नॉन–बीएसआर आइटम। मास्टर कॉन्फिगरेशन। एमआईएस।
4	सामग्री मेनेजमेन्ट एवं खरीद MM (Material Management & Procurement)	डिमांन्ड प्लानिंग। प्रोक्यूरमेंन्ट मेनेजमेन्ट। रसीद और निरीक्षण। चालान और भुगतान। समस्यायें और उपभोग। मेन्टिनेंस और रिपेयर। डिस्पोजल। कॉन्फिगरेशन मास्टर। एमआईएस और रिपोर्टिंग। अन्य मॉड्यूल के साथ इन्टीग्रेशन
5	बिक्री और विपणन मॉड्यूल SM (Sales & Marketing Module)	प्रोडक्शन रजिस्ट्रेशन। कस्टमर मेनेजमेन्ट। परचेज आर्डर। कान्ट्रेक्ट रिलीज आर्डर। डिस्पेच प्रोसेस। वित्तीय गतिविधियाँ। डेबिट नोट प्रक्रिया। रसीद। स्टॉक का स्थानांतरण। लीज मेनेजमेन्ट। चालान। एजेंट पंजीकरण। डेस्कटॉप एप्लिकेशन। कन्जूमर पोर्टल। एमआईएस (मेनेजमेन्ट सूचना प्रणाली)।
6	अंशदायी भविष्य निधि मेनेजमेन्ट CPM (Contributory Provident Fund Management)	इन्वेस्टमेंट। लाभार्थी। सामान्य लेखा। कान्फिग्रेशन। रिपोर्ट।

परियोजना का लाभ

1. राज ईआरपी में विकसित सभी मॉड्यूल एक दूसरे से एकीकृत हैं और संगठनात्मक मेनेजमेन्ट के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं
2. ईआरपी संगठन के भीतर विभिन्न परिचालन आवश्यकताओं और परिवर्तनों के अनुकूल हो सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि ईआरपी प्रणाली सही ढंग से स्थापित है और सभी उपयोगकर्ता इसका उपयोग करने में कुशल हैं।

3. यह सुविधा कुशल सेवा वितरण के लिए विभिन्न इंटरफेस और संचार चेनलों का समर्थन करती है।

4. राजईआरपी विशेष रूप से संसाधनों, वित्तीय लेनदेन और संचालन में विनियामक अनुपालन का समर्थन करता है। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

5. राजईआरपी वास्तविक समय अपडेट और डेटा–संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह संचालन को गतिशील और कुशलता से प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न संगठनों की जरूरतों के अनुसार फॉर्म को कस्टमाइज किया जा सकता है।

6. सिस्टम संगठनात्मक आवश्यकताओं के लिए किसी भी प्रकार के वर्कफ्लो को कॉन्फिगर करने की अनुमति देता है, जो ऑडिट ट्रेल्स और मॉनिटरिंग क्षमताओं के साथ पूरा होता है।

7. 200 से अधिक मेनेजमेन्ट सूचना प्रणालियों (एमआईएस) के लिए एकीकरण क्षमताओं के साथ व्यापक, वर्णनात्मक और दृश्य डैशबोर्ड प्रदान करता है।

परियोजना की विशेषतायें

एकीकृत मॉड्यूल, अनुकूलन और लचीलापन, व्यापक कार्यान्वयन सेवाएँ, मल्टीचैनल सेवा वितरण, कार्य श्रेष्ठता, पारदर्शिता और अनुपालन, वास्तविक समय डेटा और विश्लेषण, मापनीयता और अनुकूलन, कॉन्फिगर करने योग्य वर्कफ्लोज, उन्नत डैशबोर्ड क्षमताएं, साइबर सुरक्षा, बैकअप और आपदा रिकवरी व बाह्य उपयोगिता एकीकरण इत्यादि।

परियोजना की प्रगतिः-

<table>
<tr><th>क्र.स.</th><th>स्थिति विवरण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>वर्तमान में सार्वजनिक उपक्रमों में RISL, JMRC, RSMML तथा विद्युत निगमों व उर्जा कंपनियों JVVNL, AVVNL, JdVVNL, RVNL व RVPNL में सूचारू रूप से RajERP Module का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
<table>
<tr><th>S.N</th><th colspan="2">PSU/SAB</th><th>Module</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">RSMML</td><td>HRMS, FA, MM and Sales & Marketing.</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">JMRC</td><td>HRMS & FA.</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">RISL</td><td>HRMS & FA.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">6</td><td rowspan="5">DISCOMS</td><td>JVVNL</td><td>HRMS, FA & MM.</td></tr>
<tr><td>AVVNL</td><td>HRMS, FA & MM.</td></tr>
<tr><td>JdVVNL</td><td>HRMS, FA & MM.</td></tr>
<tr><td>RVUNL</td><td>HRMS.</td></tr>
<tr><td>RVPNL</td><td>CPF/GPF.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>राज–ईआरपी प्लेटफार्म पर 100 से अधिक पीएसयू/एसयूबी पंजीकृत हैं जिसमें 37000 से अधिक कर्मचारी पंजीकृत है।</td></tr>
</table>

7.25 राज-लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (Raj-LMS)

राज–एलएमएस सरकारी विभागों को ई–लर्निंग पाठ्यक्रम और ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) है। विभाग स्वयं के ई–लर्निंग कंटेंट बनाकर तथा इस पोर्टल का उपयोग करके विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे सकता है । इस एप्लिकेशन का उपयोग मूल्यांकन के लिए आकंलन तैयार करने के लिए भी किया जा सकता है। एप्लिकेशन का उपयोग मूल्यांकन इंजन के रूप में भी किया जा सकता है।

इस एप्लिकेशन का उपयोग पुलिस विभाग, डीओआईटीएंडसी, शिक्षा विभाग, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद (आरसीएसई), ई–मित्र, आईटीआई, कॉलेज शिक्षा द्वारा किया जा रहा है।

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में 19 प्रशासनिक विभाग द्वारा राज–एलएमएस एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है।
- कुल 372462 उपयोकर्ताओ द्वारा एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है।
- अब तक 25,208 पाठ्यक्रम एप्लीकेशन पर उपयोग किया जा रहा है एवं 194 ई–लर्निंग कंटेंट अपलोडेड है।

7.26 जयपुर 3D सिटी परियोजना

बजट घोषणा वर्ष 2017–18 के अनुसार जयपुर शहर के लिए जीआईएस आधारित 3D मॉडल बनाने की घोषणा की गयी थी, जिसकी अनुपालना में इस परियोजना की क्रियान्विति की गई हैं।

परियोजना का उद्देश्य-

3D सिटी परियोजना (लगभग 3000 वर्ग कि० मी० जयपुर विकास प्राधिकरण के मास्टर डेवलपमेंट प्लान 2025 के अनुसार) का क्रियान्वन 3D GIS वातावरण में बुनियादी ढांचे के विकास, परिवहन योजना, भूमि नियोजन, नगर नियोजन, 3D सिटी मॉडलिंग और प्रभाव आंकलन करने, दृष्टिगोचर बनाने, अनुकरण करने, योजना बनाने और निष्पादित करने के लिए किया गया हैं।

परियोजना के लाभ-

- शहर का समग्र 3D दृश्य जो जयपुर शहर के वर्चुअल/डिजिटल ट्विन एवं शहर के लिए एकीकृत निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता हैं।

- सुरक्षित शहर प्रदान करने के लिए संबंधित क्षेत्र (area of concern) को दृष्टिगोचर करने और विश्लेषण करके कानून और प्रशासन में सहायता करना।
- आपातकालीन और आपदा प्रबंधन यथा आग, बाढ़, भूकंप या कोई अन्य आपात स्थिति में जीवन बचाने के लिए भी जमीनी स्तर पर त्वरित कार्रवाई में सहायता करना।
- क्षेत्र में दौरा किये बिना, विभिन्न नियोजन परिदृश्यों की योजना को दृष्टिगोचर बनाना, योजना बनाना, अनुकरण करना आदि से शहर की योजना बनाने में सहायता करना।
- बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजना बनाना और निगरानी में सहायता करना।

कार्यो का संक्षिप्त विवरण-

- 3D सिटी प्लेटफॉर्म Rajasthan State Data Center में स्थापित कर दिया गया हैं।
- भारतीय सर्वेक्षण विभाग के Ground Control Points एवं Bench marks को उपयोग में लेते हुए डीजीपीएस सर्वेक्षण (मय स्थायी स्मारक स्थापित करना) का कार्य पूर्ण कर मोबाइल वैन द्वारा 20,000 किमी सड़कों के डाटा संग्रहण का कार्य किया गया हैं।
- परियोजना क्षेत्र का डिजिटल सरफेस मॉडल (DSM @ 40 cm), डिजिटल टैरेन मॉडल (DTM @ 40 cm using aerial LiDAR), कंटूर (contour @ 50 cm interval), ट्रू ऑर्थो इमेजरी (@ 08 cm using aerial photography) स्लोप/आस्पेक्ट इमेजरी (@ 40 cm), ड्रैनेज इमेजरी (@ 40 cm), 3D बेस मैप, 3D लैंड–यूज़/लैंड कवर, 3D मैश मॉडल और शहर की विभिन्न प्रकार अवसरंचनाओं यथा ट्रांसफार्मर, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक पोल, ट्रांसमिशन टावर, ओवरहेड वाटर टैंक, बस स्टैंड आदि के 3D मॉडलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया हैं।
- परियोजना क्षेत्र की बिल्डिंग/भवनों के LoD (Level of Details), LoD 0, LoD 1, LoD 2, LoD 2.5 मॉडलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया हैं।
- शहर के विकास और प्रशासन प्राधिकरणों के लिए शहरी योजना एवं विकास, आपातकालीन/आपदा प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट मैनेजमेंट, यूटिलिटीज मैपिंग, सेवा वितरण प्रबंधन, सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, कानून और सुरक्षा व्यवस्था की योजना और अनुकरण, शोर उत्सर्जन विश्लेषण, यातायात प्रबंधन/नेविगेशन सिस्टम और मार्ग ढूँढना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और सोशल मीडिया एनालिटिक्स आदि के लिए यूज़केस विकसित किए गए है।

- विभिन्न विभागों यूडीएच, एलएसजी, नगर नियोजन, जेडीए, जेएनएन, आरएचबी, आरयूआईडीपी, स्मार्ट सिटी, एमएनआईटी, पीएचईडी आदि विस्तृत प्रशिक्षण भी दे दिया गया हैं।
- विभिन्न विभागीय डाटा सेट जैसे– जेडीए का मास्टर डेवलपमेंट प्लान–2025, मास्टर डेवलपमेंट प्लान–2011, जोनल डेवलपमेंट प्लान, जेडीए एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, नाहरगढ़ इको–सेंसिटिव जोन, खसरा/राजस्व गांव का नमूना मानचित्र, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण का कलर कोडिंग जोन मानचित्र (CCZM), जयपुर नगर निगम (ग्रेटर और हेरिटेज) के वार्ड, जोन और कॉलोनी की सीमा, वन सीमा, डीएलसी नमूना मानचित्र, पुलिस थाना सीमा, पीएचईडी के जल आपूर्ति पाइपलाइन का नमूना नक्शा, भूमिगत नाले का नमूना नक्शा आदि का भी 3D सिटी सोल्यूशन में एकीकरण कर दिया गया हैं।
- नाहरगढ़ इकोलॉजिकल जोन मैपिंग का कार्य जेडीए के मार्फत एमएनआईटी द्वारा क्रियान्वन किया जा रहा हैं, जिसके लिए 3D सिटी परियोजना से आवश्यक डाटा सांझा कर दिया गया हैं।

उपरोक्त समस्त डेटा सेट SSO ID के माध्यम से 3D सिटी सॉल्यूशन में उपयोग हेतु उपलब्ध हैं।

7.27 चीफ मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन सिस्टम (सीएमआईएस)

CMIS राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय की आंतरिक प्रक्रियाओं के लिए एक वेब–आधारित अनुप्रयोग हैं। सीएमआईएस पोर्टल राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति एवं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणाओं और प्रमुख परियोजनाओं के सभी निर्णयों/दिशा–निर्देशों की समग्र प्रगति/स्थिति की ऑनलाइन निगरानी की सुविधा प्रदान करता हैं।

CMIS के मॉड्युल निम्नानुसार है :-

Transaction	Report	Other
· Budget Announcement · Cabinet Decision · CM Announcements · CM Direction · Jan Ghoshna Patra · Recruitment	· Budget Announcement Report · Cabinet Decision Report · CM Announcements Report · CM Direction Report · Jan Ghoshna Patra Report · Recruitment Report	· Grievence Monitoring System · VIP Letter Monitoring System · News Monitoring System · Issues(PR) Monitoring

8 मानव संसाधन विकास

8.1 सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण

मानव संसाधन विकास विभिन्न विभागों में किये जा रहे कम्प्यूटरीकरण की सफलता सुनिश्चित करने के लिये कम्प्यूटर में दक्ष मानव संसाधन का विकास अति–आवश्यक हैं। इसके लिये विभाग द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर प्रशिक्षित किया जाता हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की दक्षता में सुधार करने के लिये, विभिन्न तकनीकों/प्रौद्योगिकियों पर नियमित रूप से ऑन–साइट/ऑन–लाइन प्रशिक्षण करवाया जाता हैं।

8.2 इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय

सरकारी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने दिशा–निर्देश जारी किये हैं। जिसके अनुसार जो सरकारी कर्मचारी इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा एम.सी.ए. का नियमानुसार शुल्क पूनर्भरण किया जाता हैं।

8.3 राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन

शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजीटल डिवाईड को मिटाने हेतु स्थापित राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात, इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों का शुल्क पुर्नभरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं। साथ ही नागरिकों को भी 'RS-CIT' पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण उपरान्त वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा परीक्षा ली जाती है एवं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण–पत्र दिया जाता हैं। इसके माध्यम से लगभग 6953 ITGK खोले गये है जिनमें लगभग 78.02 लाख प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षित किया गया हैं। वर्ष 2024 मे जनवरी से दिनांक 31.12.2024 तक लगभग 4.97 लाख प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया हैं।

8.4 राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (RIAL), जयपुर

राज्य सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसी क्रम में राज्य के युवाओं, उद्योगों, एमएसएमई (MSME) एवं स्टार्ट–अप के लिए रोजगार के अवसरों को बढाने की आवश्यकता है।

इस हेतु राज्य के युवाओं, उद्योगों, एमएसएमई (MSME) एवं स्टार्ट–अप को नवीनतम उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्र (Advanced Technology) जैसे–

- इलेक्ट्रोनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैनुफेक्चरिंग (ESDM),

- मेडिकल टेक्नोलॉजी (Med-Tech),
- क्लाइमेट टेक्नोलॉजी (Climate-Tech),
- एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी (Agri-Tech),
- डिजिटल डिजाइन टेक्नोलॉजी (Digital Design Technology),
- ड्रोन टेक्नोलॉजी (Drone Technology) एवं
- भविष्य की नई संभावित उन्नत प्रौद्योगिकी इत्यादि

के क्षेत्र में पाठ्यक्रमएवं अनुसंधान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 के राज्य बजट में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (RIAL) स्थापित करने की घोषणा की है।

RIAL अत्याधुनिक एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों में पाठ्यक्रम एवं अनुसंधान और विकास हेतु उन्नत तकनीक एवं प्रौद्योगिकी की प्रयोगशाला (Lab) स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। RIAL उद्योगों को तकनीकी परामर्श प्रदान करने और पेशेवरों, छात्रों और स्टार्टअप्स को उन्नत तकनीकों में प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के सहयोग से प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

उद्देश्य एवं लाभ

संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न उन्नत तकनीकों जैसे एआई/एमएल (AI/ML), आईओटी (IOT), ब्लॉक–चेन एवं बिग डाटा आदि का उपयोग करके अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन (स्टार्टअप के लिए) और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना RIAL के प्रमुख उद्देश्य हैं।

साथ ही ईएसडीएम, मेडी–टेक, क्लाइमेट–टेक एग्रीटेक, डिजिटल डिजाइन एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी आदि विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकियों की सहायता के लिए उन्नत एल्गोरिथम, अनुप्रयोग और विधियों के लिए एक अत्याधुनिक अनुसंधान, विकास और परीक्षण सुविधाओं/प्रयोगशालाओं का विकास करना तथा उपरोक्त क्षेत्रो में डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कार्यक्रम करवाना भी RIAL का कार्यक्षेत्र है।

उद्योगों/युवाओं/तकनीकी शिक्षण संस्थान/स्टार्टअप्स के लिए तकनीकी परामर्श और समाधान के लिए एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म विकसित करना और उद्योग की जरूरतों और प्रासंगिकता के आधार पर लघु और दीर्घकालिक पाठ्यक्रम तैयार करना एवं प्रशिक्षण करवाना।

नई पीढ़ी के तकनीकी उद्यमी तैयार करना, जो तकनीकी इनक्यूबेशन और स्टार्ट–अप सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए तैयार हों।

शिक्षा, छात्रों, उद्योग और उद्यमियों को अनुसंधान, नई तकनीकों के विकास, सर्विसिंग का विस्तार, कौशल विकसित करना, प्रोटोटाइप विकसित करना और वन–स्टॉप समाधान के रूप में अत्याधुनिक तकनीकी प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराना।

नवाचार, आविष्कार और प्रोडक्ट प्रोटोटाइप विकसित करने हेतु एवं स्टार्ट–अप और उद्योगों को उनके उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के मूल्यांकन के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) बनाना।

प्रस्तावित गतिविधि एवं विशेषताएं

- राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (RIAL) को उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों की प्रयोगशालाओं से लैस एक विश्वस्तरीय अत्याधुनिक प्रशिक्षण सह अनुसंधान एवं विकास सुविधा के रूप में विकसित किया जाना है।
- संस्थान में प्रायोजित किये जाने वाले सारे कार्यक्रम और पाठ्यक्रम, औद्योगिक एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये जायेंगे, जो कि प्रस्तावित अध्ययन क्षेत्रों में अति विशेषज्ञता (Super Speciality) के लिए राज्य के युवाओं को तैयार करेंगे।
- संस्थान के संकाय (Faculty), सलाहकार पैनल और विशेषज्ञ दल में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी से संबंधित विज्ञजन, स्टार्ट–अप और शीर्ष शिक्षाविद् शामिल होंगे।
- RIAL इंडस्ट्री, स्टार्टअप एवं उच्च शिक्षण संस्थान जैसे विभिन्न हितधारकों के लिए तकनीकी परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान करने का एकल समाधान केंद्र बनकर उभरेगा।
- RIAL विभिन्न क्षेत्रों जैसे ईएसडीएम, मेडी–टेक, क्लाइमेट–टेक, एग्री–टेक, डिजिटल डिजाइन, एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी आदि के लिए उन्नत तकनीकों से युक्त अलग–अलग "सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च" स्थापित करेगा जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर की अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध होगी।
- RIAL उद्योगोन्मुख अनुसंधान और प्रशिक्षण के साथ सभी क्षेत्रों में उपलब्ध एडवांस्ड लर्निंग और अनुसंधान के लिए अनूठा इंस्टीट्यूट होगा।

प्रस्तावित प्रौद्योगिकियों हेतु चयनित क्षेत्र

- इलेक्ट्रोनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैनुफेक्चुरिंग (ESDM)
- मेडिकल टेक्नोलॉजी (Med-Tech),
- क्लाइमेट टेक्नोलॉजी (Climate-Tech)

- एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी (Agri-Tech)
- डिजिटल डिजाइन (Digital Design)
- ड्रोन टेक्नोलॉजी (Drone Technology)
- राजस्थान के लिए कोई अन्य प्रासंगिक क्षेत्र एवं
- भविष्य की नई संभावित उन्नत प्रौद्योगिकी आदि

वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति

- 14 सितंबर 2023 को "RIAL फाउंडेशन" को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सेक्शन–8 कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है।
- आरआईएएल की स्थापना के लिए जयपुर में भूमि चिन्हित कर आवंटन किया जाना बाकी है।
- राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने पीपीपी मोड के तहत आरआईएएल में स्कूल/नवाचार और अनुसंधान केंद्र (पांच साल के लिए) की स्थापना के साथ–साथ आरआईएएल के सिविल निर्माण और रखरखाव और परिचालन व्यय के लिए 421 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है।

8.5 राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट (RGFDI), जोधपुर

फिनटेक दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। फिनटेक क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं के वितरण में तीव्रता, मजबूती, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए तथा वित्तीय अनुप्रयोगों के विकास एवं उत्पादों में नई डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जाता है। देश में फिनटेक स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र में वृद्धि के साथ, वित्तीय और नवीन आई.टी. प्रौद्योगिकियों के मिश्रित कौशल वाली जनशक्ति की आपूर्ति एवं उपलब्धता में एक बड़ा अंतर है।

- राज्य के युवाओं को फिनटेक क्षेत्र में तैयार करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने बजट सत्र वर्ष 2021–22 में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने की घोषणा की थी।
- राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट (RFGDI) को राज्य विधानसभा से पारित एक अधिनियम के तहत स्थापित किया जाएगा तथा इसे पब्लिक विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होगा और सफल उम्मीदवारों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने का अधिकार होगा।

- इस संस्थान में दो प्रकार के पाठ्यक्रम आयोजित किये जाएंगें–
- (i) यह एक फिनिशिंग स्कूल की तरह कार्य करेगा जहां ड़िजिटल एवं वित्तीय प्रौद्योगिकी डोमेन में प्रमाण–पत्र कोर्सेज तथा डिप्लोमा कोर्सेज की सुविधा उपलब्ध होगी।
- (ii) यह इंस्टीट्यूट विश्वविधालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त होगा तथा यह संस्थान वित्तीय प्रौद्योगिकी डोमेन में स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री और डॉक्टरेट अनुसंधान के पाठ्यक्रम आयोजित करेगा।

उद्देश्य एवं लाभ

- यह इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त होगा। यह संस्थान वित्तीय प्रौद्योगिकी डोमेन में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री और अनुसंधान डॉक्टरेट डिग्री के पाठ्यक्रम आयोजित करेगा।
- राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट (RFGDI) द्वारा वित्तीय प्रौद्योगिकी डोमेन में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री और अनुसंधान डॉक्टरेट डिग्री के पाठ्यक्रम से राज्य में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा के (BFSI) क्षेत्र में आई.टी. प्रौद्योगिकियों के साथ मिश्रित कौशल की उच्च गुणवत्ता वाली कुशल जनशक्ति तैयार

होगी। साथ ही एक फिनटेक इनोवेशन इकोसिस्टम भी विकसित होगा, जो राजस्थान में स्टार्ट–अप सहित फिनटेक उद्योगों को आकर्षित करेगा । जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

- राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट (RFGDI) वित्त और प्रौद्योगिकी डोमेन में मौजूदा अग्रणी उद्यमियों के साथ भी गठजोड़ करेगा ताकि फिनटेक उद्योगों की प्रासंगिकता के अनुरूप पाठ्यक्रम एवं प्रायोजित अनुसंधान सुनिश्चित किए जा सकें तथा इन–हाउस इन्क्यूबेशन सेन्टर की मदद से भविष्य के उद्यमियों को अपने फिनटेक उत्पादों को डिजाइन और डिप्लॉय करने में सुविधा प्राप्त हो सके।
- राज्य के युवाओं को राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट (RFGDI) में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा के (BFSI) क्षेत्र में विशिष्ट कौशल के साथ–साथ Wealthtech, Broking, SAS, एवं InsureTech, Alternate Lending (वैकल्पिक वित्तीय लेनदेन के साधन), Digital Payment इत्यादि जैसी नवीनतम आई.टी. तकनीकों में भी प्रशिक्षित किया जायेगा।
- साथ ही राज्य को अपनी फिनटेक परियोजनाओं के लिए भी उन्नत तकनीक की जन–शक्ति उपलब्ध हो पायेगी।

प्रस्तावित स्कूल

राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट के तहत चार स्कूल ऑफ स्टडीज स्थापित करने का प्रस्ताव हैंः–

- स्कूल ऑफ फाईनेंशियल इन्फोर्मेशन सिस्टम
- स्कूल ऑफ फाईनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्नोलॉजी एवं मार्केट
- स्कूल ऑफ फाईनेंशियल सिस्टम एंड एनालेटिक्स
- स्कूल ऑफ फिनटेक इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप

प्रशासनिक व्यवस्था (संस्थान की प्राधिकृत निकाय एवं निकाय)

- शासी मण्डल
- अकादमिक परिषद
- वित्त और खरीद समिति
- प्रवेश समिति
- परीक्षा समिति

- चयन समिति
- आउटरीच और उद्योग गठबंधन समिति
- ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिन्हे विनियमों द्वारा संस्थान का प्राधिकरण घोषित किया जा सकता है

वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति

- बजट घोषणा के अनुसार फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिए वित्त विभाग द्वारा रु. 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। बाद में नाम को संशोधित कर "राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट (आरजीएफडीआई) कर दिया गया और बजट प्रावधान बढ़ाकर रु. 672.45 करोड़ रुपये के लिए स्वीकृति जारी की गई है।
- आरजीएफडीआई विधेयक को उचित प्रक्रिया के साथ विधानसभा के समक्ष रखने के लिए कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जिसे 15.03.2023 को विधानसभा में पेश किया गया था और चर्चा के बाद इसे 17.07.2023 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। माननीय राज्यपाल ने भी अपनी मंजूरी दे दी है और अधिनियम 17.08.2023 को राजस्थान राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।
- पीएमयू ने कॉमसिस, टीआईएए, एसपीजेआईएमआर, द फिनटेक मीटअप, फाईसर्व, नियो बैंक, ओरेकल, स्नैपर फ्यूचर टेक, जैकफ्रूट के वरिष्ठ नेताओं के साथ उद्योग सर्वेक्षण किया है, ताकि उन मानकों को आधार बनाया जा सके और बेंचमार्क किया जा सके, जिनके लिए आरजीएफडीआई को प्रयास करना चाहिए।
- पीएमयू ने आईआईएम उदयपुर, बीएसई, ज़ेरोधा, कनाडा दूतावास और दक्षिण कोरिया दूतावास के साथ संभावित शैक्षणिक सहयोग के लिए प्रारंभिक दौर की चर्चा भी शुरू की हैं।
- अध्यक्ष और निदेशक के नामांकन और नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है।
- आरजीएफडीआई के निर्माण के लिए चयनित बोलीदाता मैंसर्स अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड – क्यूब कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड संयुक्त उद्यम को ऑर्डर भी दे दिया गया है और काम शुरू हो गया हैं।

8.6 राजस्थान सेन्टर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (R-CAT)

राजस्थान संेटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आर–कैट) भारत का एक अग्रणी आईटी फिनिशिंग स्कूल है, जो तकनीकी शिक्षा को ऊंचा उठाने और अकादमिक और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को कम करने के प्रति राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

अगस्त 2022 में स्थापित, आर–कैट का उद्देश्य उन्नत और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में उच्च–गुणवत्ता, रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण को सभी राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए सुलभ, सस्ता और समावेशी बनाना है। उद्योग के साथ मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देते हुए, आर–कैट छात्रों और शिक्षकों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में कौशल प्रदान करता है, ताकि एक तकनीकी–सक्षम और उद्योग के लिए तैयार कार्यबल तैयार किया जा सके।

R-CAT एक व्यापक शिक्षण वातावरण प्रदान करता है जो वैश्विक प्रमाणपत्रों और उन्नत तकनीकी विशेषज्ञता की चाह रखने वालों के लिए रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने में सहायक है। संस्थान ने Apple, CISCO, Oracle, VMware, SAS, RedHat, Adobe, EC-Council, Autofina Robotics, Microsoft, PHYTEC, AWS और ESRI जैसे प्रमुख मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) के साथ अद्वितीय साझेदारियाँ की हैं, जो एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सर्वर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा (Cyber Security), रोबोटिक्स, डिजाइनिंग, और भू–स्थानिक सूचना प्रणाली (GIS) जैसे क्षेत्रों में प्रमाणपत्र और जागरूकता प्रदान करते हैं।

आर-कैट के उद्देश्य:

- राज्य के युवाओं (स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों) की रोजगार क्षमता को प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में बढ़ाना।
- सूचना प्रौद्योगिकी, संबंधित सेवाओं और उभरती हुई तकनीकों के क्षेत्र में शोध कार्य करना।

- स्टार्ट–अप्स को उद्योग की नवीनतम जानकारी, सह–कार्यस्थल, स्थापित प्रयोगशालाओं के उपयोग आदि में सहायता प्रदान करना।
- उन जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिए एक समन्वित वातावरण प्रदान करना जो अपनी तकनीकी क्षमताओं को वैश्विक स्तर की प्रमाणपत्रों के माध्यम से विकसित करना चाहते हैं, जिससे रोजगार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त हो।

R-CAT की सेवाएं:

1. R-CAT की तिमाही क्विज–ए–थॉन छात्रों को अपनी ज्ञान क्षमता प्रदर्शित करने और प्रतिष्ठित प्रशिक्षण सहयोगियों द्वारा प्रमाणित नए युग के पाठ्यक्रमों में छात्रवृत्ति प्राप्त करने का एक मंच प्रदान करती है। ये पाठ्यक्रम, जो वैश्विक प्रमाणन कार्यक्रम का हिस्सा हैं, न केवल अकादमिक प्रमाण–पत्रों को उन्नत करते हैं, बल्कि छात्रों को आज की कार्यक्षेत्र में सफल होने के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल से भी सुसज्जित करते हैं। इसके अतिरिक्त, R-CAT में इंटर्नशिप पाठ्यक्रम भी हैं, जहाँ छात्र विभिन्न संगठनों में व्यावहारिक परियोजनाओं में हिस्सा लेकर अमूल्य अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। प्रदान की गई प्रमाण–पत्र विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं, जो छात्रों के रिज़्यूम में अत्यधिक मूल्य जोड़ते हैं। R-CAT अब तक 7 क्विज–ए–थॉन पूरे कर चुका है और 8वां क्विज–ए–थॉन जारी है।
2. R-CAT छात्रवृत्तियां – R-CAT क्विज–ए–थॉन परीक्षाओं में 65 पर्सेंटाइल से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र R-CAT से छात्रवृत्तियों के लिए पात्र होते हैं, जो R-CAT के वैश्विक प्रमाणन कार्यक्रमों पर 50% से 100% तक की छूट प्रदान करती हैं। R-CAT ने विभिन्न वैश्विक प्रमाणन कार्यक्रमों में 1280+ छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं।
3. हाल ही में, R-CAT ने राजस्थान के कक्षा 12 के स्नातकों के लिए अर्ली करियर प्रोग्राम (निश्चित नियुक्तियाँ) लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम में, R-CAT ने एक प्रमुख सॉफ्टवेयर विकास और सेवाओं की संगठन के साथ साझेदारी की है ताकि कक्षा 12 के स्नातकों को IT में उद्योग–संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके, जो उन्हें अपने संगठन या इसकी सहायक कंपनियों में निश्चित नियुक्ति के लिए आवश्यक कौशलों से लैस करता है। R-CAT प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के विकल्प की भी तलाश कर रहा है।
4. R-CAT विभिन्न औद्योगिक यात्राओं, वेबिनार और सेमिनार के रूप में नए युग की प्रौद्योगिकियों पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इन पहलों का उद्देश्य छात्रों और पेशेवरों को शिक्षित और प्रेरित करना है, जिससे वे उभरते हुए क्षेत्रों में नवीनतम जानकारी से लैस हो सकें। विशेषज्ञ–नेतृत्व वाली चर्चाओं के माध्यम से R-CAT प्रतिभागियों

को तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य में आगे रहने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, R-CAT प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उद्योग साझेदारों से जोड़कर उन्हें कई नौकरी के अवसर प्रदान करने में सहायता करता है। R-CAT ने विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकियों पर 15+ से अधिक वेबिनार और सेमिनार आयोजित किए हैं और कॉलेजों की औद्योगिक यात्राओं के रूप में 7000+ छात्रों को जागरूकता प्रदान की है।

5. R-CAT फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (FDP) भी आयोजित करता है, ताकि शिक्षकों को नवीनतम उद्योग रुझानों और प्रभावी शिक्षण पद्धतियों के साथ तैयार किया जा सके। R-CAT ने राजस्थान के 400+ शिक्षकों को FDP प्रदान की हैं। 100+ सरकारी कर्मचारियों को भी विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण दिया गया है।

6. केंद्र ऑफ एक्सीलेंस (CoE): R-CAT ने साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं, साथ ही IIM उदयपुर के साथ मिलकर मानव व्यवहार और उपभोक्तावाद पर इसके प्रभाव पर एक समर्पित अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया है। ये केंद्र इन अत्याधुनिक क्षेत्रों में प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यशालाओं, प्रशिक्षण और अनुसंधान पहलों के माध्यम सेए, CoEs उद्योग–संबंधी ज्ञान प्रदान करते हैं, नवाचार को बढ़ावा देते हैं और छात्रों, पेशेवरों, और शोधकर्ताओं को इन तेजी से विकसित होते क्षेत्रों में आगे रहने के लिए व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हैं। R-CAT सरकारी कर्मचारियों के लिए ई–गवर्नेंस में आईटी कौशल और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी विकसित कर रहा है।

9. अन्य विभागों की महत्वपूर्ण परियोजनाएं

9.1 वाइल्डलाइफ सर्विलांस एंड एंटी-पॉचिंग सिस्टम (WS&APS)

वाइल्डलाइफ सर्विलांस एंड एंटी–पॉचिंग सिस्टम (WS&APS) परियोजना रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जवाई बाघ तेंदुआ संरक्षण रिजर्व और झालाना नेचर पार्क जैसे वन्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक एकीकृत सॉफ्टवेयर आधारित निगरानी सोल्यूशन हैं। इस परियोजना में उच्च स्तरीय थर्मल/ऑप्टिकल कैमरें, पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस नेटवर्क और संचार उपकरण, सौर ऊर्जा प्रणाली, ड्रोन आदि का समावेश हैं।

संपूर्ण सॉल्यूशन के मुख्य घटक:

- ऑनसाइट सेटअप टॉवर/पोल, थर्मल, ऑप्टिकल और पीटीजेड कैमरे (PTZ), रेडियो सेटअप, सोलर सोल्यूशन, Aviation lighting, नेटवर्क स्विच आदि।

- लोकल कंट्रोल रूम सेटअपः सर्वर, Computer Storage, पीएसी, आवश्यक सॉफ्टवेयर/एप्लिकेशन, नेटवर्क उपकरण, वर्क स्टेशन केबिनेट आदि से सुसज्जित स्थानीय मॉड्यूलर और कंटेनरीकृत डेटा केंद्र प्रत्येक साइट पर मॉड्यूलर कंटेनर में स्थापित किए जाते हैं।

सॉफ्टवेयर/अनुप्रयोग वीएमएस, सीसीसी, एनालिटिक्स, हेल्पडेस्क आदि।

- संचार उपकरणः बेस रेडियो स्टेशन, डिजिटल रेडियो और आरओआईपी (ROIP)।
- एकीकरण सपूर्ण सॉल्यूशन विभिन्न राजस्थान आई.टी. ब्लाक्स जैसे RajSSO, एम्बेडेड, एनालिटिक्स, हेल्पडेस्क आदि के साथ एकीकृत हैं।
- फाइबर के माध्यम से स्थानीय नियंत्रण कक्ष और केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के बीच कनेक्टिविटी प्रदान की गई।
- UAV (मानव रहित वाहन): ग्राउण्ड स्टेशन, एकीकृत मिशन योजना, केन्द्रीय निगरानी सॉफ्टवेयर

WS&APS एप्लीकेशन के उद्देश्य-

- तकनीक सक्षम WS&APS एप्लीकेशन वन विभाग की निगरानी प्रणाली और निगरानी तंत्र में सुधार करेगी :–
- बाघ और अन्य वन्यजीव जानवरों का संरक्षण करना
- वन अधिकारियों की निगरानी क्षमता में सुधार करना
- अवैध शिकार या अन्य वन्यजीव अपराध प्रवण क्षेत्रों की पहचान
- घुसपैठ, अवैध शिकार और अवैध खनन की निगरानी करना
- प्रभावी निर्णय लेने के लिए तथ्य आधारित जानकारी प्रदान करना

वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति-

WS&APS परियोजना अक्टूबर, 2017 में प्रारम्भ हुई एवं दिनांक 10 दिसम्बर 2019 में Go-Live हुई और वर्तमान में यह परियोजना Operation & Maintenance (O&M) चरण में हैं।

इसके साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न बजट घोषणाओं एवं अनुमोदन के पश्चात् राज्य के रणथंभौर, सरिस्का एवं मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व तथा जवाई बांध–पाली और झालाना नेचर पार्क–जयपुर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्वस में वर्तमान Wildlife Surveillance and Anti-Poaching System (24) (WS & APS) को मजबूत करने के साथ–साथ रामगढ विषधारी–बूंदी,

जमवारामगढ अभ्यारण्य–जयपुर, कुम्भलगढ़ अभ्यारण्य–राजसंमद–उदयपुर– पाली, टॉडगढ रावली–अजमेर– राजसमंद–पाली आदि वन क्षेत्रो में भी इसका विस्तार किया जा रहा है।

WS&APS एप्लीकेशन से उपार्जित लाभ-

- 24x7 निगरानी और अवैध शिकार विरोधी प्रणाली की स्थापना।
- बाघ या अन्य पहचान किए गए वन्यजीव प्रजातियों के गतिविधि की स्वचालित निगरानी।
- किसी भी वन्यजीव अपराध/पशु की प्रतिक्रिया/बचाव की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार।
- वन्यजीव/वन अपराध के खिलाफ रोकथाम प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना ।
- परिचालन संचालन स्तर की दक्षता और प्रभावी निर्णय लेने के लिए सिस्टम संचालित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट।

WS&APS एप्लीकेशन पर कुल ट्रांजेक्शन-

WS&APS एप्लीकेशन एक निगरानी समाधान है जहां कोई ट्रांजेक्शन डेटा कैप्चर नहीं किया जाता हैं। सिस्टम जनरेट अलर्ट या अलार्म (गतिविधि/अवैध प्रवेश) और Incidence का विवरण निम्नानुसार हैं:–

- अलर्ट/अलार्म – 4 करोड से अधिक
- इंसीडेन्ट्स की सूचना – 28,405
- AI डिटेक्शन – 4,64,455

9.2 वन विभाग और निर्णय सहायता प्रणाली (FMDSS)

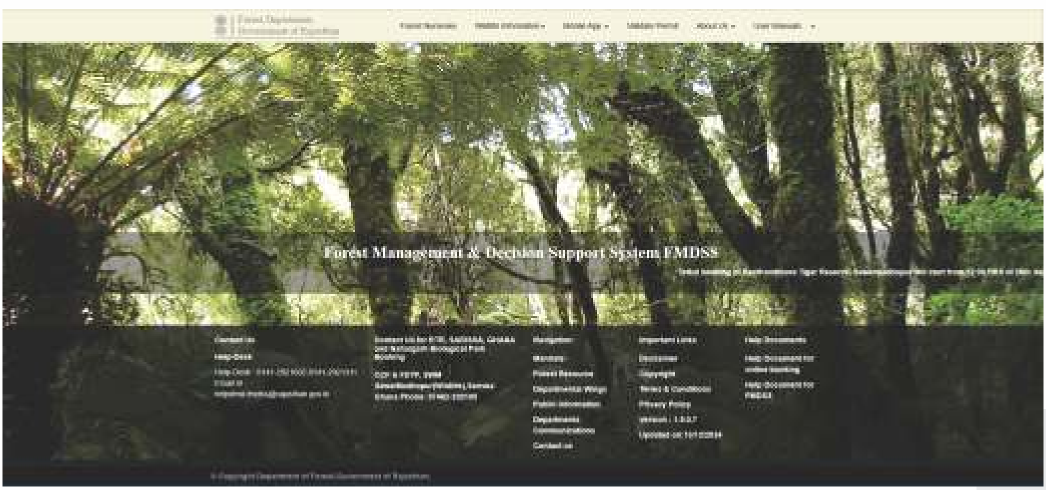

- FMDSS को एक एकल एकीकृत वेब आधारित प्रबंधन और निगरानी प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है, इस पोर्टल द्वारा वन विभाग के विभिन्न अनुभागों की गतिविधियों का ऑनलाइन प्रबंधन किया जाता है एवं नागरिक वन विभाग की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- FMDSS पोर्टल में निम्नलिखित मॉड्यूल विकसित किये गए हैं :

1. Citizen Service Delivery Module
2. Forest Development Management Module
3. Forest Production Management Module
4. Financial Management Module
5. Forest Protection Management Module
6. Forest Administration and Land Management
7. Comprehensive & Interactive Dashboard
8. Plantation and Monitoring Module
9. Nursery Module
10. NOC Module

- FMDSS के विभिन्न मॉड्यूल के लिए मोबाइल एप भी विकसित किया गया है।
- प्लांटेशन मॉनिटरिंग एप की मदद से प्लांटेशन साइट्स की मॉनिटरिंग की जा रही है|
- वन क्षेत्र में अपराध और अतिक्रमण के प्रबंधन के लिए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मॉड्यूल विकसित किया गया है।
- इस एप्लिकेशन का उपयोग करके, नागरिक राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, चिड़ियाघर, प्राणी उद्यान के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं।
- यह एप्लीकेशन वन विभाग के निकट नर्सरी, पौधों की जानकारी प्रदान करता है।
- यह एप्लीकेशन बांस, लकड़ी आदि की नीलामी के लिए जानकारी प्रदान करता है।
- यह पोर्टल मुख्यालय, मंडल कार्यालय, रेंज कार्यालय और वनस्थल के भीतर त्वरित सेवा विनिमय और सूचना प्रदान करता है।

सांख्यिकी

उत्पादन

- कुल वनोपज नीलामी – 15951 (राजस्व – ₹ 10485 लाख)

विकास

- वित्तीय वर्ष 2024–25 में 4 करोड़ पौधों (208 प्रकार के पौधों) की कुल स्टॉक क्षमता के साथ संचालित 686 नर्सरी साइट हैं।
- एफएमडीएसएस द्वारा 10199 सक्रिय साइटों की ऑनलाइन रीयल टाइम निगरानी की जा ही हैं।
- CAMPA मॉड्यूल के अंतर्गत कुल 1544 आवंटन किये गए हैं।
- Monitoring & Evaluation मॉड्यूल के अंतर्गत मूल्यांकन के लिए कुल – 584 साइट आवंटित की गई हैं।

संरक्षण

- कुल पंजीकृत वन अपराध – 1,39,040
- कुल पंजीकृत आग की घटनाएं– 13,499
- Animal rescue मॉड्यूल के अंतर्गत कुल पंजीकृत रेस्क्यू – 7,964

अनुमति/एनओसी

- जारी एनओसी – 15292 (राजस्व – ₹ 105.61 लाख)

नागरिक सेवा

- कुल ऑनलाइन बुकिंग – 19,76,368 (राजस्व – ₹ 460.00 करोड़)

ToFR (Trees outside Forest in Rajasthan)

वन विभाग की ToFR (Trees outside Forest in Rajasthan) योजना के अन्तर्गत पौधों की ऑनलाइन बिक्री Forest Management – Decision Support System (FMDSS) के माध्यम से की जा रही है। जिसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, यूएलबी, ग्राम पंचायत, गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों को 9 करोड़ पौधे ऑनलाइन खरीददारी करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। अब तक इस पोर्टल के माध्यम से लगभग 6.5 करोड़ पौधे बेचे जा चुके हैं। इस पोर्टल में जीआईएस सुविधा का उपयोग किया गया है, जिसके द्वारा खरीददार को नजदीकी नर्सरी का पता लगाने की सुविधा प्रदान की गई है। ऑनलाइन भुगतान के लिए आरपीपी (राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म) का उपयोग किया गया है। आमजन इस पोर्टल के माध्यम से पौधों के लिए ऑर्डर और ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं और फिर रसीद या QR code दिखाकर नर्सरी से पौधे ले सकते हैं।

9.3 आरटीआई पोर्टल

राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने सभी विभागों, बोर्डों, और स्वायत्त शासन संस्थाओं को ऑनलाइन "आरटीआई" पोर्टल पर जोड़ दिया है। "आरटीआई" पोर्टल पर आरटीआई अधिनियम–2005 के तहत सभी सूचनाएं एवं सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

इसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 01 अक्टूबर 2013 को शुरू किया गया था। वर्तमान में 287 विभाग के 60,000 से अधिक सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी ऑनलाइन "आरटीआई" पोर्टल rti.rajasthan.gov.in का उपयोग कर रहे हैं।

परियोजना का उद्देश्य-

"आरटीआई" पोर्टल का मुख्य उद्देश्य नागरिक द्वारा आरटीआई अधिनियम–2005 के तहत अनिवार्य सभी सूचनाएं एवं सेवाएं प्राप्त करने हेतु ई–मित्र कियोस्क या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं आरटीआई आवेदन दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध करवाना हैं। पोर्टल विभागीय उपयोगकर्ताओं को आरटीआई आवेदनों और अपीलों को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बनाए रखने और संसाधित करने की सुविधा प्रदान करता हैं। यह पोर्टल राज्य में सरकारी पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों पर सूचना, ट्रैकिंग और रिपोर्ट आवश्यकताओं (एमआईएस) की सेवा उपलब्ध करवाता हैं। यह पोर्टल सूचनाओं के आदान–प्रदान और प्रसार के लिए राजस्थान सरकार के कार्यालयों और नागरिकों के बीच एक सेतु प्रदान करता हैं।

राजस्थान सूचना आयोग मॉड्यूल के अन्तर्गत नागरिकों "आरटीआई" पोर्टल के माध्यम से दर्ज

द्वितीय अपीलों एवं परिवादों/आवेदनों की निस्तारण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया हैं।

1. नागरिकों द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदनों की डाक दर्ज करना।
2. संविक्षा (स्क्रूटनिंग) व सुनवाई दिनांक निर्धारण हेतु नोटिस जारी करना।
3. अपीलों एवं परिवादों के निर्णयों की प्रति ऑनलाईन उपलब्धता।

परियोजना का लाभ-

1. नागरिक ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके स्वयं या ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन दाखिल करने के साथ–साथ आवेदन शुल्क भी ऑनलाइन ही नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड और ई–मित्र के माध्यम से जमा कर सकता हैं।
2. आरटीआई आवेदनों और अपीलों की तय समय सीमा में ट्रैकिंग।
3. पत्र और नोटिस, ईलेक्ट्रॉनिक माध्यम (एसएमएस और ईमेल ट्रिगरिंग) से सूचना स्वतः उत्पन्न।
4. सभी विभागों की रिपोर्ट तक सार्वजनिक पहुंच, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा।
5. द्विभाषी अनुप्रयोग उपयोग में आसानी देता हैं।
6. नागरिक के यात्रा के समय और लागत में कमी, समयबद्ध सूचना विवरण, कार्यालयों का शून्य या कम दौरा।
7. ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदनों और अपीलों को दर्ज करने और संसाधित करने में उपयोगकर्ताओं की मदद करने के लिए एक हेल्पडेस्क स्थापित किया गया हैं।
8. पोर्टल पर सभी पंजीकृत विभागों के लिए आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से उपयोगकर्ता लाभान्वित हुए एवं यह प्रशिक्षण विभागों के अनुरोध अनुसार लगातार जारी हैं।

आरटीआई पोर्टल पर प्राप्त कुल आवेदन, प्रथम अपील एवं उनके निस्तारण की स्थिति (दिनांक 31.12.2024)

	कुल प्राप्त	निस्तारित
आर.टी.आई आवेदन	3,45,108	2,52,181
आर.टी.आई अपील	57,779	30,705

राजस्थान सूचना आयोग (आरआईसी) मॉड्यूल :-

आरआईसी मॉड्यूल अप्रैल–2022 को लॉन्च किया गया हैं। आरआईसी मॉड्यूल के तहत "आरटीआई" पोर्टल के माध्यम से अपीलार्थीयों द्वारा दर्ज करवाई गई द्वितीय अपील एवं

शिकायत आवेदनों का निस्तारण किया जा रहा हैं।

आरआईसी मॉड्यूल पर प्राप्त द्वितीय अपील एवं शिकायत आवेदनों के निस्तारण की स्थिति (दिनांक 31.12.2024) :—

	कुल प्राप्त आवेदन	निस्तारित
द्वितीय अपील आवेदन	1,15,089	96,285
द्वितीय शिकायत आवेदन	12,943	6,068

9.4 अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर

जी.पी.एस. तथा सी.सी.टी.वी. कैमरा आधारित सुरक्षा के एकीकृत समाधान हेतु राज्य के 7 संभागीय मुख्यालयों सहित सभी 33 जिलों में अभय कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निम्न घटक सम्मिलित हैं:—

- वीडियो निगरानी तंत्र
- डायल 100 नियंत्रण कक्ष
- फोरेंसिक अनुसंधान प्रणाली
- कुशल यातायात प्रबन्धन तंत्र
- वाहन ट्रेकिंग तंत्र
- भौगोलिक सूचना तंत्र

परियोजनान्तर्गत प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विषय	विवरण
1	कमाण्ड कन्ट्रोल सेन्टर की स्थापना	सभी 7 संभागों और 26 जिला मुख्यालयों पर स्थापित कर कार्यशील है। वीडियो निगरानी तंत्र द्वारा राज्य के सभी जिलों में कुल 11,753 लाइव कैमरो के द्वारा सतत निगरानी डायल 100 नियंत्रण तंत्र सभी जिलों (24X7) में कार्यशील

जिले वार स्थापित कैमरों की स्थिति

S.No.	District Cameras	Total
1	अजमेर	1194
2	भीलवाड़ा	277
3	नागौर	233
4	टोंक	212
5	भरतपुर	473
6	धौलपुर	133
7	करौली	114
8	सवाई माधोपुर	200
9	बीकानेर	781
10	चूरू	263
11	हनुमानगढ़	217
12	श्रीगंगानगर	409
13	जयपुर	1231
14	अलवर	534
15	दौंसा	315
16	झुंझुनूं	284
17	सीकर	296
18	जोधपुर	1049
19	बाड़मेर	221
20	जैसलमेर	258
21	जालौर	184
22	पाली	227
23	सिरोही	153
24	कोटा	452
25	बांरा	215
26	बूंदी	189
27	झालावाड़	152
28	उदयपुर	532
29	बांसवाड़ा	160
30	चित्तौड़गढ़	244
31	डूंगरपुर	158
32	प्रतापगढ़	176
33	राजसमंद	217
	योग	**11,753**

9.5 राज्य भर्ती पोर्टल (State Recruitment Portal)

स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल,राज्य सरकार के विभागों में विभिन्न भर्तियों के लिए ऑनलाईन आवेदन के लिए एक ऑनलाईन प्रणाली हैं। यह एप्लिकेशन पोर्टल विभिन्न राज्यों के अभ्यर्थियों को अपने घर से या राज्य भर में स्थित ई–मित्र केद्रों के माध्यम से विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता हैं।

परियोजना का उद्देश्यः-

- परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंगल पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभागों को भर्ती का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने में सुविधा प्रदान करना हैं।
- इस पोर्टल से सभी विभाग अपने स्तर पर भर्तियों को प्रकाशित कर सकते हैं। भरे गये आवेदन प्रपत्र एवं भर्ती से संबंधित सभी प्रकार के आंकडे अपने SSO Login में देख सकते हैं।
- अभ्यर्थी SSO ID के माध्यम से सरकारी भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है तथा विभागों द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में वन टाईम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रणाली को लागू किया गया है जिससे कि अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में बार–बार विवरण भरने की आवश्यकता नहीं रहती हैं। इसके अंतर्गत जनआधार/आधार से OTR रजिस्ट्रेशन करने के विकल्प को प्राथमिकता दी गई हैं।
- अभ्यर्थी को स्वयं के स्तर पर अपने शैक्षणिक दस्तावेजों का ऑनलाईन सत्यापन करने की सुविधा भी प्रदान की गई हैं।

वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति

वर्तमान में यह पोर्टल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर और राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा उपयोग में लिया जा रहा हैं।

भर्ती पोर्टल के लाभः-

1. आयोग/बोर्ड/राज्य सरकार के अन्य विभाग -

- कम समय में किसी भी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाने की सुविधा उपलब्ध हैं।
- आवेदन की प्राप्ति एवं आवेदन में आसानी से बदलाव की सुविधा उपलब्ध हैं।
- प्रवेश पत्र/रोल नंबर जनरेशन, परीक्षा केंद्र आवंटन, परिणाम अपलोड (upload) एवं आपत्तियां (objections) जैसी सुविधायें प्रदान की गई हैं।
- भर्तियों से संबंधित यथार्थ रिपोर्टस् आसानी से प्राप्त करने में सक्षम बनाता हैं।
- यह एक कुशल एवं तेज प्रणाली हैं।
- एप्लिकेशन में एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही भर्ती के लिए एक से अधिक आवेदन नहीं किया जा सकता हैं।
- पोर्टल द्वारा भर्तियों से संबंधित शुल्क के भुगतान की सूचना आसानी से प्राप्त करने में सक्षम बनाता हैं।
- पोर्टल में वन टाइम डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन की सुविधा भी दी गई है जो भविष्य में भर्ती बोर्ड/विभाग को अभ्यर्थी के डोक्युमेंट सुरक्षित रखते हुये विभाग को अभ्यर्थियों के डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन की पुनरावृत्ति नहीं करने के लिये सक्षम बनाता हैं।

2. नागरिकों के लिए लाभः-

- सभी भर्तियों के आवेदन एवं सूचना के लिए यह एकमात्र प्रणाली हैं।
- प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए डैशबोर्ड उपलब्ध हैं।
- नई भर्तियों के लिए अधिसूचना आसानी से डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध हैं।
- शुल्क का भुगतान ऑनलाईन एवं राज्य भर में स्थित ई–मित्र केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता हैं।
- आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र एवं परिणाम आसानी से डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध हैं।
- व्हाट्सएप मैसेज, एसएमएस एवं ई–मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हैं।
- प्रश्न–पत्र एवं परिणाम से संबंधित आपत्तियां ऑनलाईन अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध हैं।
- प्रत्येक आवेदन से संबंधित पूरा विवरण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हैं।

पोर्टल के माध्यम से भर्तियों के आंकडे (वित्तीय वर्ष 2024–2025)

कुल भर्तियां	कुल आवेदन की संख्या

9.6 ई-टेन्डर (e-Procurement)

राज्य सरकार द्वारा राज्य में सार्वजनिक खरीद में निष्पक्षता, स्वतंत्रता एवं पारदर्शिता बढ़ाने हेतु दिनांक 1 अक्टूबर 2011 से भारत सरकार की मिशन मोड परियोजना ई–प्रोक्योरमेंट (Government eProcurement solution - GePNIC) प्रारम्भ की गई थी। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत 1 सितम्बर 2016 से सभी सरकारी विभागों एवं अर्ध सरकारी विभागों के लिए Goods and services हेतु 10 लाख रूपये तथा Works हेतु 5 लाख रूपये की निविदाएं अनिवार्य रूप से ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से करनी निर्धारित की गई ।

यह प्रोजेक्ट 2011 से अब तक सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। अब तक 296 विभागों की 13,94,033 करोड़ रूपये के 8,12,727 टेण्डर इस प्रणाली के माध्यम से जारी हो चुके हैं। ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अब तक 24,52,403 बिड्स प्राप्त हो चुकी हैं।

इस प्रोजेक्ट का वर्षवार status निम्न तालिकानुसार है।

कमांक	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 Til 31-12-2024
1.	विभागों /सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या	197	203	207	205	222	229	296
2.	कुल निविदायें	79329	67002	64821	83208	103403	110056	93208
3.	प्रकाशित की गई निविदाओं का मूल्य (करोड रूपये में)	89583	64482	74054	118166	217586	227613	182845
4.	निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई निविदाऐं	285744	259238	236994	255942	213257	168273	104459

9.7 एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली (IHMS)

इंटीग्रेटेड हैल्थ मैनेजमेन्ट सिस्टम (IHMS) को वर्ष 2017–18 की मुख्यमंत्री बजट घोषणा की अनुपालना में प्रारंभ किया गया है। यह एक नागरिक केंद्रित ऑनलाइन हैल्थ मैनेजमेन्ट प्रणाली है, जिसके माध्यम से नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाऐं बेहतर तरीके से प्राप्त हो रही हैं।

यह एप्लिकेशन मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और डेंटल कॉलेज अस्पतालों से लेकर उप–केंद्रों तक सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए उपलब्ध है।

परियोजना के उद्देश्यः

परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में रोगी के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को उसकी विशिष्ट पहचान आधार/जनाधार संख्या इत्यादि के साथ जोडते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (EHR) प्रदान करना है।

परियोजना के लक्ष्य निम्नानुसार हैः -

- इंटीग्रेटेड हैल्थ मैनेजमेन्ट सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए वेब आधारित एप्लिकेशन डिजाइन करना एवं एप्लिकेशन को राजस्थान डिजिटल स्टैक से जोड़ना।
- यह रोगी की देखभाल की गुणवत्ता और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए भाग लेने वाले संगठनों/अस्पतालों में हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक हैल्थ रिकॉर्ड के बीच क्लीनिकल और प्रशासनिक डेटा के आदान–प्रदान की सुविधा प्रदान करना।
- रोगियों की देखभाल की गुणवत्ता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए रोगियों और संगठनों/अस्पतालों को ऑनलाईन क्लीनिकल जानकारी उपलब्ध करवाना।
- तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता वाली बीमारी/स्थितियों की पहचान कर उन पर प्रतिक्रिया तैयार करने के साथ–साथ राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधियो के बेहतर समन्वय के लिए स्वास्थ्य मानकों पर समग्र जानकारी उपलब्ध कराना।

प्रगतिः

➢ सफलतापूर्वक एप्लिकेशन विकसित कर 1200+ स्वास्थ्य सुविधाओं में कॉन्फिगर किया गया/कार्यान्वित किया गया जिसमें मेडिकल कॉलेज अस्पताल/जिला अस्पताल/उप

जिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि शामिल हैं।

➢ इस प्रणाली के माध्यम से औसतन 3.5 लाख रोगियों का पंजीकरण प्रतिदिन स्वास्थ्य संगठन/अस्पतालों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

वर्ष	पंजीकृत रोगियो की संख्या (लाखों में)		
	OPD	**IPD**	**Emergency**
2019	204.57	13.39	31.76
2020	285.54	17.75	41.86
2021	566.12	27.14	54.00
2022	799.58	30.24	74.82
2023	1065.90	33. 20	81.34
2024	909.47	27.01	78.59

➢ अब इस प्रणाली के माध्यम से 33208016 EHR जिनमें लैब रिपोर्ट सम्मलित है, जनरेट किए गए है।

➢ राज्य की विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे—आर.जी.एच.एस, चिंरजीवी इत्यादि का इस प्रणाली में एकीकरण किया गया है।

➢ एस.एम.एस अस्पताल, जयपुर में इस परियोजना का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

➢ वर्तमान में IHMS प्रोजेक्ट में FMS सर्विसेज़ क्रियाशील है।

➢ IHMS प्रोजेक्ट में 26 मॉडयूल हैं जिनमें से एस.एम.एस अस्पताल, जयपुर में 18 मॉडयूल क्रियाशील है।

परियोजना के मॉडयूलः-

IHMS Modules	Live in SMS Hospital	IHMS Modules	Live in SMS Hospital
1. User Management	✓	14. Blood Bank	✓
2. Emergency	✓	15. Telemedicine and PACS Module	×
3. OPD	✓	16. Wellness and Risk Factors Module & Wellness Clinics	PCTS
4. Enquiry Module	✓	17. Patient Medical Record Department (PMRD)	✓

5. IHMS Web - Portal/Online Appointment Module	✓	18. Bio Medical Waste	✓
6. Electronic Health Record (including Electronic Medical Record)	✓	19. Diet / Kitchen	✓
7. Transport Management	✓	20. Laundry	✓
8. Investigation & Billing	✓	21. Estate and Facility Management	✓
9. Inpatient Management	✓	22. Purchase & Offline Procurement	✓
10. Operation Theatre Management	×	23. Eligible Couple & Family Planning Module	PCTS
11. Central Sterile Stores Department	✓	24. Pregnancy, Delivery, Newborn & Child Care Module	PCTS
12. Stores Management	✓	25. Bio-Medical Equipment Department/ e-Equipment	×
13. Pharmacy Module	✓	26. Rajasthan Medicare Relief Society	✓

- IHMS सिटिजन पोर्टल यूआरएल:

  https://ihms.health.rajasthan.gov.in/IHMS/online/index.html

- वर्तमान में IHMS मरीजों को लैब रिपोर्ट उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेजने के लिए IHMS ने अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। आईएचएमएस के साथ व्हाट्सएप की सेवाओं के एकीकरण के बाद लैब रिपोर्ट (रक्त या किसी अन्य जांच के लिए) एवं स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा रिपोर्ट आईएचएमएस एप्लिकेशन पर ऑनलाईन करने के उपरान्त, रिपोर्ट मरीज के रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर (यदि नंबर आईएचएमएस एचआईडी से लिंक है) पर भेजी जा रही है।

IHMS 2.0:

- वर्ष 2023–24 की बजट घोषणा के अनुपालन में उन्नत सुविधाओं, कार्यों और क्षमताओं के साथ IHMS एप्लिकेशन के नए संस्करण (IHMS 2.0) के विकास और कार्यान्वयन का निर्णय लिया गया है।
- IHMS 2.0 की परिकल्पना नवीनतम तकनीकों, उच्च दक्षता और रोगियों के रिकॉर्ड और अस्पताल उपयोगकर्ताओं की बड़ी मात्रा को पूरा करने की क्षमता के साथ की गई है जैसे ई

डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, दवा वितरक, फ्रंटएंड उपयोगकर्ता आदि।

- IHMS 2.0 मौजूदा IHMS एप्लिकेशन का उन्नत संस्करण है। IHMS 2.0 के आधिकारिक तौर पर लाइव होने के बाद, IHMS 2.0 मौजूदा IHMS एप्लिकेशन का स्थान ले लेगा।

9.8 एकीकृत ई-पंचायत सॉफ्टवेयर

एकीकृत ई–पंचायत सॉफ्टवेयर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के विभिन्न संस्थानों तथा जिला परिषद्, पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों को डिजिटली सशक्त करने का माध्यम है। इस परियोजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता, पारदर्शिता व जवाबदेही में सुधार लाना तथा सम्पूर्ण खाता प्रबंधन, कार्य प्रबंधन, विभिन्न योजनांर्गत किये जा रहे कार्यों के भुगतान की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है।

इसके अर्न्तगत विकसित किये गये मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा पंचायती राज संस्थानों द्वारा किये जा रहे कार्यों की जियो –टैगिंग करने का प्रावधान भी है।

चूंकि यह प्लेटफॉर्म ग्राम पंचायत स्तर तक उपयोग में लिया जाता है तथा इसमें विभिन्न विभागों के ग्राम पंचायत स्तर तक के यूजर Onboarded हैं, अतः इसका उपयोग समय–2 पर सरकार की विभिन्न Flagship योजनाओं अथवा शिविरों यथा प्रशासन गॉवों के संग, ग्रामीण ओलंपिक खेल, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इत्यादि के क्रियान्वयन हेतु भी किया जाता है।

इस एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिक अपने क्षेत्र के विकास कार्यो के निष्पादन हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इसका उपयोग कर नागरिको को पंचायती राज विभाग के कार्यों से सम्बन्धित जानकारी सुगमता से उपलब्ध करवायी जा रही है।

वर्तमान स्थिति

आर.पी.पी. पर पंचायती राज संस्थानों के कुल पंजीकृत खाते	16,910
ऑनलाइन लेनदेन करने वाली कुल ग्राम पंचायतें	11,346
कुल भुगतान (निर्माण/अन्य)	24,865.65 Cr.
कुल पंजीकृत कार्य	21,28,275
कुल जारी स्वीकृतियां	57,29,578 (AS-20,91,572, TS-18,47,209, FS-17,90,797)

भविष्य की योजनाएं

- मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा Geo–Tagging के आधार पर कार्यो की निगरानी।
- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लिए एक राज्यव्यापी एकीकृत समाधान के रूप में इसकी स्थापना, विभाग के विभिन्न मौजूदा पोर्टलों के साथ सभी संभव एकीकरण।
- लोकसभा और विधानसभा की ग्राम पंचायतों से मैपिंग
- जिला परिषद् सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों की ग्राम पंचायतों और गांवों से मैपिंग
- लोक सभा सदस्य और विधानसभा सदस्य को उनके निर्वाचन क्षेत्रवार रिर्पोर्ट्स और प्रगति देखने का ऑप्शन सॉफ्टवेयर में विकसित किया जा रहा है।
- जिला परिषद् सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के अन्तर्गत आने वाले एरिया की प्रगति को देखने का ऑप्शन सॉफ्टवेयर में विकसित किया जा रहा है।
- फीट इंडिया फ्रीडम रन की डीटेल्स इंद्राज।
- डिजिलॉकर के साथ सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन।
- ग्राम पंचायत प्रोफाइल व ग्राम सभा आयोजन हेतु मोड्यूल।

9.9 राजफेब (RajFab)

विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक वेब एप्लीकेशन "राजफैब" rajfab.rajasthan.gov.in को विकसित किया गया है और इसका उपयोग विभागीय गतिविधियों को कम समय में, पारदर्शी, आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा रहा है ।

वर्तमान स्थिति

कुल आवेदन प्राप्त	61,686
आवेदन निस्तारित	59,052
विभाग के पास लंबित	649
आवेदक के पास लंबित	1,985

भविष्य की योजनाएं -

- कारखानों में सुरक्षा हेतु रिस्क एसेसमेंट में नवीन तकनीकों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) व अन्य तकनीकों आदि के उपयोग को बढ़ावा देकर औद्योगिक दुर्घटनाओं में कमी।

AI Assisted Risk Assessment Modules

1. Drawing assessment software
2. Document assessment software with English and Hindi OCR
3. Chemical and its Material Safety Data Sheet (MSDS) Knowledge base software
4. Manufacturing Process Knowledge base software

- परियोजना का संचालन और रखरखाव।
- रिपोर्ट किए गए सभी ईओडीबी संबंधित विशेषताओं की अनुपालन।

9.10 स्टेट इंश्योरेंस एवं प्रोविडेंट फण्ड पोर्टल (SIPF)

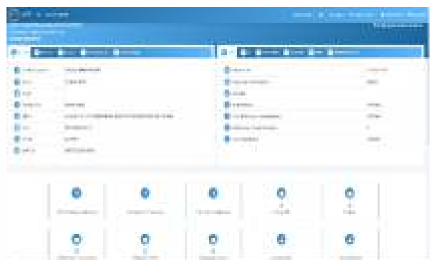

राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए एक ऑनलाइन वर्कफ़्लो आधारित एप्लीकेशन (SIPF Portal 3.0) विकसित की गई है जिसके माध्यम से निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं। :–

- राज्य बीमा (एस.आई.)
- सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.)
- सामूहिक दुर्घटना बीमा
- मोबाईल एप

वर्तमान स्थिति -

सेवारत कर्मचारी	8,64,315
सेवानिवृत कर्मचारियों के जी.पी.एफ. खातों का पुनः संचालन	2,560
पुनः संचालित जी.पी.एफ. खातों का क्लेम	122
जी.पी.एफ. क्लेम	83,428
जी.पी.एफ. आहरण	1,62,965
जी.पी.एफ. रिफन्ड	13,934
एस.आई. क्लेम	86,803
एस.आई. ऋण	1,31,908
नई एस.आई.पॉलिसीयों का स्वतः निर्माण व संचालन	4,07,635

9.11 लाईट्स-न्याय विभाग (Litigation Information Tracking & Evaluation System)

न्याय विभाग के लिए न्यायिक प्रकरणों के प्रबंधन में सुधार करने हेतु प्रारूपों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर LITES सॉफ्टवेयर और उसकी वेबसाइट को तैयार किया गया हैं। (LITES-Litigation Information Tracking and Evaluation System) तथा सॉफ्टवेयर का नवीन संस्करण 03.02.2016 से उपयोग किया जा रहा हैं।

उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न न्यायालयो में लंबित न्यायिक प्रकरणों का राज्य/ जिला स्तर पर पर्यवेक्षण किया जाता हैं। जिनमें राज्य सरकार एक पक्षकार है।

प्रगति:-

वर्तमान में 54 प्रशासनिक विभागों के अधीन 311 विभाग (यूनिट) एवं उक्त विभागों के अधीन कुल 7,855 कार्यालयों द्वारा लाइट्स सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा हैं।

- गत वर्ष (2023-24) 39,358 नए न्यायिक प्रकरणों को इन्द्राज किया गया हैं।
- अभी तक 7,885 अधिवक्ताओं को इससे जोड़ा गया हैं।
- राज्य सरकार के पक्ष में 79.62% न्यायिक प्रकरणों के निर्णय पारित हुए हैं।
- विभिन्न प्रारूपों में कुल अभी तक 1,06,44,565 ट्रांजेक्शन्स दर्ज किये गए हैं।
- एपीआई (API) के माध्यम से उच्च न्यायालय जोधपुर और जयपुर के न्यायिक प्रकरणों में सी.एन.आर. (CNR केस नंबर रिकॉर्ड) का अद्यतन तथा अगली सुनवाई तिथि का स्वतः

अद्यतन किया जा रहा हैं। Link- https://lites.law.rajasthan.gov.in/

- उन्नयन पोर्टल LITES 3.0 विकसित किया जा रहा हैं।

9.12 एकीकृत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पोर्टल

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा (HTE) पोर्टल के माध्यम से उच्च शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी एकीकृत उपलब्ध करवाई जा रही हैं। HTE पोर्टल पर आमजन के द्वारा विभिन्न योजनाओं, महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी, परीक्षा परिणाम की घोषणा, विश्वविद्यालय की जानकारी एवं राजस्थान में चल रहे उच्च शिक्षा के कॉलेजों से सम्बंधित जानकारी एकीकृत रूप से उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

पोर्टल पर सभी उच्च शिक्षा से सम्बंधित विभागों की जानकारी यथा महत्वपूर्ण वेबसाइट्स छात्रवृत्ति, प्रवेश, विभिन्न योजनाओं एवं कॉलेजों की NOC प्रक्रिया की जानकारी का ब्यौरा सर्व सुलभ उपलब्ध किया जा रहा हैं।

प्रगति -

- वर्तमान में 7 प्रशासनिक विभागों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
- गत वर्ष मे 75 विश्वविद्यालय, 3056 कॉलेजों की जानकारी उपलब्ध कराई गयी। जिनमें 9,873 कोर्स सम्मिलित हैं।
- गत वर्ष में 1,91,276 स्नातक तथा 32,671 स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया संपादित की गयी।

- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पोर्टल का उन्नयन संस्करण कौशल दर्पण पोर्टल विकसित किया जाना प्रस्तावित हैं।

9.13 राजस्थान जन-आधार योजना

विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान जन–आधार योजना लागू की गई थी। आयोजना विभाग की इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आयोजना विभाग द्वारा राजकॉम्प को राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया हैं।

राजस्थान जन-आधार योजना का उद्देश्य :-

जन–आधार योजना के तहत जन–आधार रेजिडेन्टस् (JRDR) का सफल प्रबन्धन जिसमें राज्य के 2 करोड से अधिक निवासी परिवारों की जन–सांख्यिकीय एवं सामाजिक–आर्थिक (Demographic and Socio-Economic) सूचनाओं का डाटाबेस तैयार कर–

- प्रत्येक परिवार को जन आधार प्रदान किया जाना, जिसे परिवार एवं उसके सदस्यों की

पहचान, पते तथा सम्बन्ध के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करना।

- पात्र लाभार्थियों को नकद लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उनके बैंक खातों में और गैर–नकद लाभ, आधार/जन आधार अधिप्रमाणन उपरान्त घर के समीप हस्तान्तरित करवाना।
- ई–कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करना।
- महिला सशक्तीकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

राजस्थान जन-आधार योजना का लाभ :-

इस योजना में लाभ वितरण हेतु मानवीय हस्तक्षेप को कम कर सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाकर, विभिन्न राजकीय योजनाओं के नकद व गैर–नकद लाभ सीधे एवं पारदर्शी रूप से पात्र वास्तविक लाभार्थी को ही हस्तान्तरित किए जाते हैं। जिसकी सूचना नियमित रूप से मोबाईल पर भी प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार लाभ वितरण की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता हैं।

राजस्थान जन-आधार योजना की वर्षवार प्रगति :-

जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं की प्रगति तालिका निम्नानुसार है।

वर्तमान स्थिति (Status)-

नामांकन (Enrolment)

परिवार नामांकन	2.03+ करोड
व्यक्तिगत नामांकन	7.88+ करोड

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)

डीबीटी ट्रैन्जेक्शन्स	181+ करोड
डीबीटी राशि	1,03,377 + करोड

9.14 राजस्थान ई-आर्काइवल मैनेजमेंट सिस्टम (ReAMS)

ReAMS राजस्थान सरकार के समस्त विभागों के डिजिटल दस्तावेजों को संग्रहित कर सरकारी विभागों तथा प्रदेश की जनता को डिजिटल दस्तावेजों को सुलभ ऑनलाईन उपलब्ध करानें वाला पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों के अब तक 28.6 लाख डिजिटल दस्तावेजों का संग्रहण तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग की 7,930 असाधारण गजट अधिसूचनाओं एवं 105 साधारण गजट अधिसूचनाओं का ऑनलाईन प्रकाशन किया जा

चुका है तथा इस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों के अब तक 17,214 साधारण गजट अधिसूचनाओं का ऑनलाईन प्रकाशन भी किया जा चुका है।

परियोजना का उद्देश्य

ReAMS परियोजना का उद्देश्य राजस्थान सरकार के सभी विभागों की महत्वपूर्ण पत्रावलियों तथा ऐतिहासिक दस्तावेजों की डिजिटल प्रतियों को विभागों के अधिकारियों/कार्मिकों को 24x7 ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। साथ ही, विभागों के मूल दस्तावेजों से संबंधित स्थान, समय तथा धन की बचत कर आमजन को भी दस्तावेजों की ऑनलाइन उपलब्धता घर बैठे सुनिश्चित करवाना तथा अनुमोदन युक्त दस्तावेज प्रकाशन ऐप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन दस्तावेजों का प्रकाशन करना भी है।

परियोजना का लाभ :- ReAMS परियोजना के निम्नलिखित लाभ है:–

- सरकारी विभागों के डिजिटाइज दस्तावेजों का ऑनलाइन संग्रहण कर 24x7 उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- सरकारी विभागों के मूल दस्तावजों से संबंधित स्थान, समय तथा धन की आवश्यकताओं में बचत करना।
- डिजिटल प्रतियों के माध्यम से मूल दस्तावेजों का संरक्षण कर लंबे समय तक सुरक्षित रखना।
- डिजिटाइज दस्तावेजों की आमजन को घर बैठे सुगम उपलब्धता।
- ऐतिहासिक दस्तावेजों की इतिहासकारों तथा शोधार्थियों को ऑनलाइन उपलब्धता।
- ऑनलाइन दस्तावेजों का प्रकाशन करना।

परियोजना की वर्षवार प्रगति :-

वर्ष	संग्रहित डिजिटाइज दस्तावेजों की संख्या	असाधारण गजट अधिसूचनाओं की संख्या	लाभान्वित विभागों के नाम
2017	2110	0	1. नगर निगम, अजमेर
2018	4,93,884	0	2. देवस्थान विभाग, उदयपुर
2019	8,77,344	1250	3. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर
2020	2,00,746	1196	4. पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर
2021	3,29,122	1233	5. विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर
2022	4,60,167	1383	6. सूचना एवं जन संपर्क विभाग, जयपुर

			7. मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर 8. राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर 9. राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, उदयपुर 10. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर 11. राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर
2023	4,76,064	1492	
2024	11,990	1385	
कुल दस्तावेजों की संख्या	28,60,205	7930	

साधारण गजट

वर्ष	विभागों की साधारण गजट अधिसूचनाओं की संख्या	नागरिकों की साधारण गजट अधिसूचनाओं की संख्या
2023	0	121
2024	105	17,093
कुल दस्तावेजों की संख्या	105	17,214

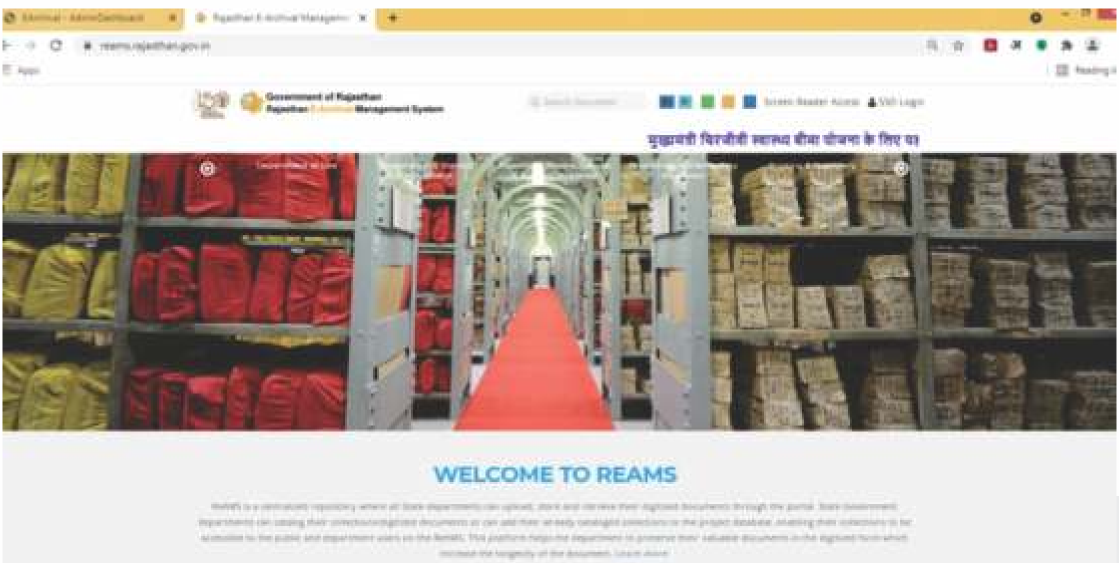

9.15 आपदा प्रबन्धन सूचना प्रणाली (DMIS)

RISL द्वारा विकसित आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली में आपदा चरणों के दौरान, पूर्व और बाद में दी जाने वाली सहायता गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला के परिचालन प्रक्रिया को शामिल किया गया है, ताकि जीवन/संपत्ति के नुकसान के जोखिम को कम किया जा सके।

परियोजना का उद्देश्य

प्रभावित नागरिकों को आवश्यक राहत और पुनर्वास प्रदान किया जा सके। ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़ आदि आपदाओं के मामले में किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी डी.एम.आई.एस. पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

परियोजना का लाभ

DMIS ऐप्लीकेशन ने IFMS सिस्टम के माध्यम से DBT (डायरेक्ट बेनिफिशरी ट्रांसफर) की एक पारदर्शी और पेपरलेस प्रक्रिया बनाई है। एप्लीकेशन ने सब्सिडी इस एप्लीकेशन वितरण के समय को कम करने और अपात्र लाभार्थियों को हटाने में मदद की है, जिससे सरकारी खजाने को भारी बचत हुई है।

परियोजना की वर्षवार प्रगति

Agriculture Input subsidy

S. No.	Year	Farmer Count	Bill Amount
1	upto 2020	19,54,213	13696883257
2	2020-21	10,81,048	6446015687
3	2021-22	13,72,490	10551253194
4	2022-23	10,56,304	7467576199
5	2023-24	13,96,323	15340528976
6	2024-25 till date	54,9,720	6236530630
Total		**74,10,098**	**59738787943**

Other Relief

S. No.	Year	No. of Persons	Bill Amount
1	upto 2020	-	-
2	2020-21	173	16307500
3	2021-22	1,151	49588720
4	2022-23	22,872	390440120
5	2023-24	3,006	72581431
6	2024-25 till date	612	33319576
Total		**27,814**	**562237347**

Relief Type	No. of Farmers/Persons	Bill Amount
Agriculture Input Subsidy	7410098	59738787943
Other Relief	27814	562237347
Total	**7437912**	**60301025290**

9.16 राजकिसान साथी

Ease of Doing Farming (EoDF)" प्लैटफ़ॉर्म के माध्यम से कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, विपणन आदि जैसे सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विस्तारित किसान संबंधी सभी सेवाएं उपलब्ध होती हैं।

राजकिसान साथी परियोजना राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो किसानों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कृषि से जुड़ी सभी सेवाएँ और योजनाएँ उपलब्ध कराती है। इस परियोजना का उद्देश्य कृषि, बागवानी, पशुपालन, और विपणन जैसे विभिन्न विभागों की सेवाओं को एकीकृत करना और किसानों को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर उनकी ज़रूरतों के अनुसार समाधान प्रदान करना है। राजकिसान साथी किसानों की पहचान, भूमि रिकॉर्ड, फसल उत्पादन, बीज और उर्वरक वितरण जैसी सेवाओं को पारदर्शी और कुशलतापूर्वक पहुँचाने में सहायक है। इसके साथ ही यह एआई/एमएल आधारित फसल रोग प्रबंधन और मौसम पूर्वानुमान जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है, जिससे किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि होती है।

यह परियोजना कृषि क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का समाधान करते हुए सरकार की योजनाओं और सब्सिडी का लाभ किसानों तक त्वरित और पारदर्शी ढंग से पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका

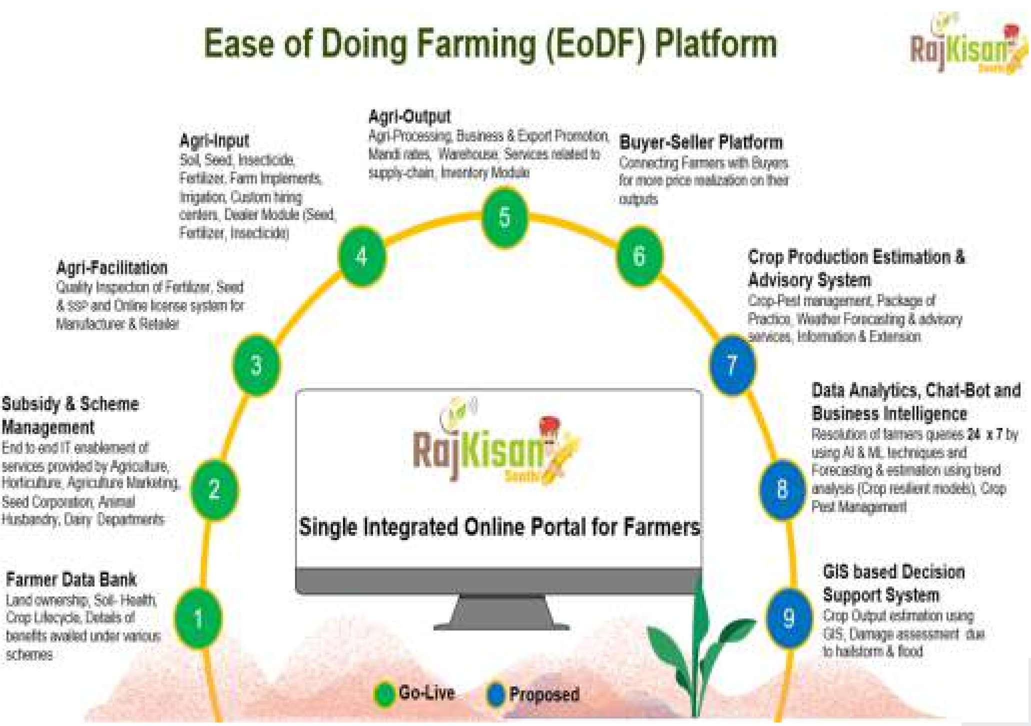

निभा रही है। राजकिसान साथी के माध्यम से किसान डिजिटल रूप से पंजीकरण कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं और विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इस परियोजना ने कृषि क्षेत्र में तकनीकी क्रांति लाकर किसानों की जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाया है और राजस्थान के कृषि विकास में एक नई दिशा प्रदान की है।

राजकिसान साथी परियोजना के अंतर्गत G2C, G2B और G2G से संबंधित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं को विकसित किया जा रहा है। राजकिसान साथी परियोजना में किसान डाटाबैंक (किसान की पहचान, भूमि और फसल की जानकारी), कृषि इनपुट प्रबंधन प्रणाली (मिट्टी, बीज, उर्वरक, सिंचाई का बुनियादी ढांचा, कृषि मशीनरी), कृषि उत्पादन प्रबंधन प्रणाली (फसल उत्पादन, बाजार/मंडी, भंडारण और परिवहन), कृषि सुविधा (परीक्षण और क्यूसी, कृषि–प्रसंस्करण, सूची और डीलर सूचना), ई–मार्केट प्लेस– ऑर्गेनिक (ऑनलाइन मार्केटप्लेस), सब्सिडी/स्कीम मॉनिटरिंग–डीबीटी आदि शामिल हैं। उपरोक्त गतिविधियों के अलावा, प्रस्तावित समाधान में जीआईएस आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (कृषि सलाहकार, जीआईएस आधारित मॉडलिंग), सूचना और चेतावनी (मौसम रिपोर्टिंग, सूचना प्रबंधन और विस्तार), डाटा विश्लेषण (प्रवृत्ति विश्लेषण, अनुमान और पूर्वानुमान) भी शामिल होंगे।

परियोजना के लाभ-

- राजकीय अनुदान योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण(डीबीटी)।
- कृषि आदान विक्रेताओं, व्यवसायियों को ऑनलाईन लाईसेंस/पंजीयन की सुविधा उपलब्ध।
- कृषि, मौसम विज्ञान और तकनीकी जानकारी।
- फसल उत्पादन में निर्णय लेने के लिए पूर्वानुमान सेवाओं की स्थापना।
- एक संपूर्ण सूचना प्रणाली जिसके माध्यम से किसानों को बाजार की उपलब्धता, मौसम की जानकारी, मिट्टी के अनुरूप उर्वरक, बीज आदि के लिए सलाह जैसी विभिन्न सलाहकार सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।
- किसानों को सब्सिडी संबंधी सेवाओं की सुगमता और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इसकी सुपुर्दगी।
- AI/ML आधारित फसल कीट प्रबंधन प्रणाली
- एकीकृत किसान सहायता प्रणाली
- राजकिसान सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

योजनाओं की जानकारी, पात्रता कैलकुलेटर और सब्सिडी के लिए आवेदन करने और आवेदन की प्रगति पर नज़र रखने की सुविधाएं शामिल हैं। किसान जैव–उर्वरक, जिप्सम, सूक्ष्म पोषक तत्व और सब्सिडी वाले बीज के लिए आवेदन कर सकते हैं और काम पूरा होने की पुष्टि ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐप पीएमएफबीवाई के तहत फसल नुकसान पंजीकरण का भी समर्थन करता है, मौसम का पूर्वानुमान, गोदाम विवरण प्रदान करता है और समर्थन के लिए एक एकीकृत हेल्पडेस्क भी शामिल करता है। अतिरिक्त सुविधाओं में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला विवरण, कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की जानकारी, राज हंस नर्सरी और स्थानीय उर्वरक, बीज और कीटनाशक आपूर्तिकर्ता विवरण और एक एफएक्यू अनुभाग शामिल हैं। ऐप एमएसपी, पौधों की नर्सरी, कृषि–निर्यातकों और अधिक संसाधनों के साथ एक ई–लाइब्रेरी भी प्रदान करता है, साथ ही कृषि ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर निर्देशात्मक वीडियो तक पहुंच प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य किसानों को जानकारी और सहायता तक आसान पहुंच के साथ सशक्त बनाना है।

कृषको के लिए लाभ

- जन–आधार डाटाबेस का उपयोग करके आवेदन प्रपत्रों का सरलीकरण।
- सब्सिडी वितरण के प्रत्येक चरण में किसान को एसएमएस।
- आवेदन वास्तविक समय में कृषि कार्यालय तक पहुंचता है।
- आवेदन के समय पात्रता की जानकारी, आवश्यक दस्तावेज की जानकारी उपलब्ध होती हैं।

विभाग के लिए लाभ

- सभी कृषि संसाधनों से संबंधित डाटा का एक केंद्रीकृत डाटाबेस।
- कृषि संबंधी नियोजन गतिविधियों को संभालने में लगने वाले समय में कमी।
- सरकारी अधिकारियों और एमआईएस रिपोर्ट के लिए एकीकृत बिजनेस इंटेलिजेंस डैशबोर्ड।
- संपूर्ण सेवा वितरण प्रणाली का बेहतर मूल्यांकन, विश्लेषण और सत्यापन।
- जीआईएस और इमेज प्रोसेसिंग के उपयोग से कृषि संबंधी भविष्यवाणी और मॉडलिंग क्षेत्र।
- योजनाओं की स्थिति और उसकी प्रगति के बारे में ऑनलाइन जानकारी।
- सब्सिडी वितरण के लिए कृषि कार्यालयों के विभिन्न स्तरों के बीच घनिष्ठ संपर्क
- कार्य दोहराव में कमी।

- वेब–ऐप्लीकेशन, पेमेंट गेटवे और एसएमएस के माध्यम से कुशल और पारदर्शी सेवा वितरण।
- सभी हितधारकों (किसान, कर्मचारी, कृषि–व्यवसाय समुदाय आदि) तक विस्तारित पहुंच।

परियोजना की सांख्यिकी प्रगति

परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है और यह लक्षित हितधारकों पर भारी प्रभाव डालता है

- 4.6 करोड़ से अधिक विजिटर राजकिसान साथी पोर्टल पर हैं
- 75 लाख़ से ज्यादा अद्विितीय किसानों को ऑनलाईन किया गया ।
- 17 लाख किसानों ने सेवाओं के लिए आवेदन किया ।
- 1 करोड़ से अधिक मिनीकिट मोबाइल ऐप के माध्यम से वितरित ।
- 2800 करोड़ रूपये से अधिक डीबीटी भुगतान।
- 50000 से अधिक बालिकाएँ "Incetive to Girls scheme" के अंतर्गत लाभान्वित हुईं और 100 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई
- 2 लाख से अधिक सोलर पंप सब्सिडी ऑनलाइन आवेदन।
- 5 लाख से अधिक कांटेदार तार सब्सिडी आवेदन।
- 1.50 लाख से अधिक लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए ।
- 1 लाख से अधिक नमूने राज एग्री क्यूसी मोबाइल एप द्वारा लिए गए हैं, जो डिजिटल रूप से सक्षम end to end सैंपलिंग है।
- 2500 से अधिक संचयी क्रेता/विक्रेता व्यापार सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किए गए हैं।
- 400 से अधिक स्थलों का टिड्डी हमले से टिड्डी हॉपर और कंट्रोल मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से नियंत्रित किया गया।
- 10000 से अधिक कृषि, बागवानी और संबद्ध विभागों के कर्मचारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करने सहित राजकीय समिति पर अपना पंजीकरण कराया है।
- 4 लाख कृषको द्वारा राजकिसान सुविधा मोबाइल ऐप उपयोग में लिया गया हैं।
- एआई/एमएल आधारित किट प्रबंधन हेतु 43 प्रकार की फसलो की 12 हजार से अधिक फसल छवियां उपलब्ध कराई गई है।

9.17 सर्किट हाऊस मैनेजमेंट सिस्टम (CHMS)

सर्किट हाउस मैनेजमेंट सिस्टम (सी.एच.एम.एस.) एक ऑनलाइन आईटी आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसमें राजस्थान राज्य सरकार के अधिकारी, अन्य राज्य/केंद्र, राज्य अतिथि, विदेशी अतिथि, जन प्रतिनिधि, स्थानांतरण, सेवानिवृत्त अधिकारी, निजी और सार्वजनिक उपक्रम को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

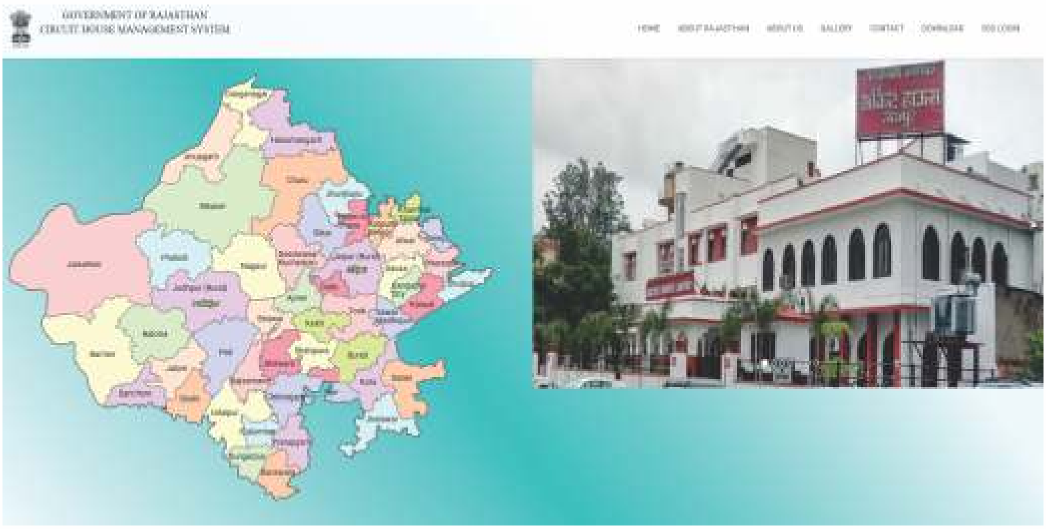

परियोजना का उद्देश्य निम्न है-

- राजस्थान के सभी सर्किट हाउस, दिल्ली में राजस्थान हाउस और मुंबई में गेस्ट हाउस में कमरे के आरक्षण के लिए ऑनलाइन सेवा अनुरोध ।
- सर्किट हाउस मैनेजर द्वारा कमरे के आरक्षण को ऑनलाइन स्वीकार या अस्वीकार करना।
- यात्रा कार्यक्रम का अनुकूलन ।
- खपत एवं सेवाओं के आधार पर मेहमानों के लिए ऑनलाइन बिल जारी करना।
- रसोई, स्टोर और हाउसकीपिंग प्रबंधन को ऑनलाइन करना ।
- वार्षिक, मासिक, दैनिक रूम ओक्यूपेंसी एनालिटिक्स डैशबोर्ड विकसित किया गया है ।
- वास्तविक समय पर प्रभावी निगरानी और प्रशासन के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली ।

आज तक, 35 सर्किट हाउस स्वचालित हो चुके हैं। कुल कमरे बुकिंग अनुरोध (ट्रांजेक्सन की संख्या) 136153 हैं। इसमें से 73103 अनुरोधों को इस पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक चेक–आउट किया गया है और 38473 अनुरोधों को रद्द किया गया है।

9.18 सोशल मीडिया नेटवर्क मैनेजमेन्ट प्लेटफॉर्म

राजस्थान के नागरिकों के साथ अत्यधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से त्वरित और सीधा संवाद करने के लिए सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट एक लोकप्रिय परियोजना है। यह प्लेटफॉर्म आमजन के साथ सरल और शक्तिशाली संपर्क बनाने के साथ नेटवर्किंग और जुड़ाव बनाए रखने में भी मदद करता है।

परियोजना का उद्देश्य:

- राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को अन्तिम छोर तक पहुँचाना, जिससे अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ ले सके।
- नये ब्लॉग, वेबसाइट, ऑर्टिकल के माध्यम से आमजन को जागरूक करना।
- मास मीडिया नेटवर्क प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मीडिया ट्रैकिंग करना।
- प्रोफेशनल इनफॉरमेशनल वीडियोज का निर्माण करना।
- विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग/लाइव वेबकास्टिंग करना।
- Crisis management के लिए विभिन्न प्रकार के पोस्ट/क्रिएटिव वीडियो आदि का निर्माण करना।
- साइबर सिक्योरिटी के बारे में लोगों को जागरूक करना।

परियोजना का लाभः

वर्तमान में विभिन्न सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से विभिन्न हेन्डल्स (GoR, CMO, DoIT&C, RajSampark, eMitra, R-CAT, RajPoliceHelp) पर निरंतर विभिन्न प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिससे पात्र व्यक्ति/परिवार उस स्कीम/परियोजना का लाभ ले सके।

इन platforms पर विभिन्न informational images, videos, stories post की जाती हैं, जो रिट्वीट एवं रिशेयर भी की जाती हैं। प्रदेश के लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के केम्पेन संचालित करना जैसे– #SabseAageRajasthan #EmpoweredRajasthan, #BadhtaRajasthan आदि।

परियोजना की वर्षवार प्रगतिः

70+ Handles of CMO, GoR, DoIT&C, eMitra, Rajsampark, R-CAT, Rajasthan Police Department has been created on different Social Media Platforms i.e Facebook, Twitter, Instagram, YouTube etc.

The Growth rate for the year (2020-2024) is:

Handles	Twitter	Facebook	Instagram
CMO	558.43%	111.18%	175.46%
GoR	609.71%	127.22%	418.28%
DoIT&C	1146.99%	626.05%	2106.23%
RajSampark	1052.97%	589.08%	1250.54%
e-Mitra	368.45%	588.97%	15720.30%
R-CAT	1445.00%	1071.88%	389.18%
Rajpolice HelpDesk	3630.75%	-	-

- Campaigns: #विकसित_भारत_संकल्प_यात्रा #HamaraSankalpViksitBharat, #AapnoAgraniRajasthan, #आपणो_अग्रणी_राजस्थान, #सेवा_भी_सुविधा_भी #AapkiSevaMein, #BeCyberSmart, #WomenEmpowerment #DigitallyIndependentRajasthan, #BeCyberSmart, #GetAdvancedwithDOITC #DoITCWeekly, #ITDay, #AppsForEase, #BeCyberSmart, #RajKisanSathi, #LiveSmarterWitheMitra #EmitraForEverything #सफलता_ईमित्र_की #HarJaruratKaSaathi, Outreach & Awareness Session, Virtual Mentorship Session, Startup Conclave, etc.

- Handling 2 Chatbots (https://m.me/RajGovOfficial)
  jioChat (https://jiochat.com/channel/ 600000000916/1)
- A blog website (http://rajasthanrevealed.com/)

S.no	Social Media Works	2020-24
1	Produced campaigns	170+
2	Creatives	27500+
3	Videos	900+
4	Live broadcast	590+
5	Professional videos	88
6	Written Blogs	115+
7	Queries on @RajPoliceHelpDesk and Facebook messenger	55,000 +

9.19 ई-लाइब्रेरी

ई–लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में, विभिन्न राजकीय कॉलेजों की लाइब्रेरी प्रकिया को कम्प्यूटरीकृत किया हैं। ऐप्लीकेशन को लाइब्रेरियन से इनपुट के साथ विकसित किया गया हैं, ताकि इसे अधिक प्रासंगिक और उपयोगी बनाया जा सके।

सभी पुस्तकालय संचालन, जैसे– पुस्तक क्रय, जमा, अधिग्रहण, परिग्रहण और स्टॉक सत्यापन स्वचालित किया गया हैं।

सरकारी कॉलेज के पुस्तकालयों में संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए, यह ऐप्लीकेशन सीमित संसाधनों के साथ दैनिक संचालन का प्रबंधन करने के लिए लाइब्रेरियन के लिए एक वरदान साबित हो रहा हैं। यही आवेदन विभागीय पुस्तकालयों में भी उपयोग लिया जा रहा हैं।

मुख्य विशेषताएं

- सभी पुस्तकालय प्रबंधन कार्यों का स्वचालन, जिसमें पुस्तक जारी करना, जमा, सदस्य जोड़ना आदि शामिल हैं।

- संबंधित पुस्तकालयों की वास्तविक समय स्थिति देने के लिए डैशबोर्ड की रिपोर्ट।
- कॉलेज की लाइब्रेरी जरूरतों के लिए उपयोगी।
- भौतिक पुस्तकों के डाटा का पूर्ण डाटा प्रविष्टि।
- आवेदन में छात्रों के डाटा के प्राप्त करने के लिए DCE प्रवेश मॉड्यूल के साथ जुड़ा हुआ हैं।

वर्तमान स्थिति

- 42 शासकीय महाविद्यालय पुस्तकालय, 7 शासकीय विभाग (राजभवन, राजस्थान भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी, बीकानेर, संगीत संस्थान, टीआरआई एवं वन), सचिवालय पुस्तकालय एवं जवाहर कला केन्द्र अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सॉफ्टवेयर को अनुकूलित कर उपयोग कर रहे हैं।
- लगभग 24 लाख पुस्तकों की डाटा प्रविष्टि का कार्य पूरा कर लिया गया हैं। 4,20,000 सदस्यों का डाटा आवेदन में अपडेट किया जा चुका हैं।
- सॉफ्टवेयर मुफ्त प्रदान किया जाता है, लेकिन अनुकूलन, एफएमएस और डाटा प्रविष्टि के लिए शुल्क संगठन द्वारा वहन किया जाता हैं।

  URL: https://dce.rajasthan.gov.in/elib

9.20 जी.सी.एम.एस. (Generalized Court Management System)

जी.सी.एम.एस.(Generalized Court Management System) राज्य के सभी प्रकार के न्यायालयों में विभिन्न अदालती कार्यों के मानक कार्यात्मकता वाला एक जेनेरिक प्लेटफार्म हैं। इस प्रणाली को समग्र न्यायालय प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करने के लिए विकसित किया गया हैं। जहां एक अपीलकर्ता अपने मामले को वास्तविक समय के आधार पर तकनीकी मदद से प्रतिवादी के पूरे विवरण के साथ देख सकता हैं। सिस्टम कुल मामलों, लंबित मामलों, पूर्ण मामलों के संदर्भ में आंकडे प्रदान करता हैं, ताकि अदालतो के मामलों को निपटाने के लिए विश्लेषण कर सके।

यह न्यायालयों के स्वचालन को न्यूनतम लीड–टाइम और अदालती कार्यवाही के मानकीकरण में सहायक होता हैं। जी.सी.एम.एस.एप्लिकेशन (Generalized Court Management System) को न्यायालय के प्रबंधन संबंधी कार्यो के वेब–आधारित ऐप्लीकेशन के रूप में विकसित किया गया हैं, जिसे किसी भी प्रकार के न्यायिक संगठन के कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता हैं। विभिन्न न्यायालयों (राजस्व, सिविल आदि) की प्रक्रिया जैसे– पंजीकरण, नोटिस/सम्मन, वाद

सूची, फीडबैक, अंतिम निर्णय और कार्यान्वयन, कैविट्स, फाइल प्रबंधन, संदेश और विभिन्न कार्यों के अनुमोदन और संचालन के लिए उपयोग में लिया जाता हैं।

वर्तमान में विभिन्न विभागों जैसें राजस्व मण्डल कोर्ट, समस्त अधिनस्थ राजस्व न्यायालय, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण (आर.सी.सैट), राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (एल.ए.आर.आर.ए), चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, खान और भूविज्ञान विभाग(डी.एम.जी) और राजस्थान टैक्स बोर्ड इस एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं।

आम जनता के लिए प्रकरण की जानकारी हेतु पब्लिक पोर्टल में निम्न विकल्प दिये गये हैं।

1. **राजस्व मण्डल कोर्ट अजमेर**
   - प्रकरण की स्थितिै
   - वाद सूची
   - निर्णय प्रति
   - बैंच आवंटन
   - अंतरिम आदेश प्रति
2. **राजस्थान टैक्स बोर्ड**
   - केस सर्च
   - वाद सूची
   - एडवोकेट वाद सूची
   - निर्णय प्रति
3. **राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (एल.ए.आर.आर.ए)**
   - केस सर्च
   - वाद सूची
   - निर्णय प्रति
4. **मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना(एम.ए.ए.वाई.)**
   - केस सर्च
   - निर्णय प्रति

5. खान और भूविज्ञान विभाग (डी.एम.जी)

- केस सर्च
- वाद सूची
- निर्णय प्रति

6. राजस्थान सिविल अपील प्राधिकरण

- प्रकरण की स्थिति
- वाद सूची
- रोस्टर
- निर्णय प्रति

Department wise Statistics on GCMS portal

S NO.	Department	Number of Court	Total users	Registered Cases	Decided	Pending
1	a) BOR	1 (Multi Benches)	305	1,91,207	1,21,999	69,208
	b)Sub-ordinate Revenue Courts	1695	4,571	16,33,709	9,94,388	6,39,321
2	Rajasthan State Health Assurance Agency (MAAY Court)	34	168	1,80,465	98,536	81,929
3	Tax Board Department	1	39	45,474	43,337	2,137
4	LARRA Department	1	14	772	598	174
5	DMG Department	4	56	2,651	1,020	1,631
6	RCSAT	2	67	59,401	53,837	5,564

9.21 राजकौशल

रोजगार विभाग (DoE) ने राजस्थान में आजीविका के अवसरों को मजबूत करने और राज्य में बेरोजगारी को कम करने के लिए, "राजकौशल–जॉब मार्केटप्लेस" नामक एक नई योजना लागू की हैं। यह आईटी प्लेटफॉर्म बेरोजगार कुशल युवाओं को सशक्त करेगा एवं उद्योग और सेवा उपभोक्ताओं को उनकी जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। यह प्लेटफार्म जनशक्ति डाटाबेस के रूप में सूचना के एक अद्वितीय स्रोत के रूप में काम करेगा,

विभिन्न अन्य डाटा स्रोतों और सेवा प्रदाताओं की जानकारी को एकीकृत करेगा।

परियोजना का उद्देश्य:

- सेवा प्रदाता व सेवाग्राही हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना
- संस्थान / फर्म / कम्पनी / व्यवसायी / व्यक्ति विशेष आदि को आवश्यकतानुसार स्थानीय कार्मिक उपलब्ध करवाना
- रोजगार के इच्छुक लोगों को घर के नजदीक सेवा प्रदाता की जानकारी प्रदान करना
- आवश्यकतानुसार श्रम शक्ति का विशेष प्रशिक्षण करवाकर कौशल उन्नयन करना
- प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना
- आपदा प्रबंधन हेतु स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता

परियोजना के लाभ:

- संगठित/असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बेरोजगार युवाओं के सशक्तिकरण के लिए एक सक्षमकर्ता के रूप में काम करेगा
- यह जनशक्ति की आवश्यकता को प्रभावी ढंग से संबोधित करता है
- जनशक्ति और नियोक्ता को अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी रुचि का आदान–प्रदान करने की अनुमति देता है
- जनशक्ति को अपने कौशल में सुधार करने की सुविधा प्रदान करता है
- राज्य प्राधिकरणों को जनशक्ति के उत्थान के लिए योजनाएँ और नीतियाँ तैयार करने की अनुमति देता है

वर्तमान स्थिति

कुल उपलब्ध श्रम/जन–शक्ति	61,08,475
कुल उपलब्ध नियोक्ता	9,59,784
कुल उपलब्ध नौकरियां	8,128
प्रोफ़ाइल अपडेट (स्वयं के द्वारा)	8,77,434
प्रोफ़ाइल अपडेट (प्रशासन द्वारा)	1,73,452

भविष्य की योजनाएं-

- Google Play Store मोबाइल ऐप्लीकेशन का रोल आउट
- ऑनलाइन निरीक्षण एवं संचार का प्रावधान

- वेब आधारित एप्लिकेशन और मोबाइल ऐप में ऑटो अलर्ट
- नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण के लिए निकटतम उपलब्ध संसाधनों का प्रदर्शन करने के लिए जीआईएस घटक।
- उन्नत डैशबोर्ड

9.22 ई.ई.एम.एस. (Employment Exchange Management System)

रोजगार विभाग, GoR ने EEMS को राज्य भर में सभी उपयोगकर्ताओं (नागरिकों, व्यवसाय समुदाय और सरकार) द्वारा उपयोग करने के लिए एक केंद्रीकृत वेब आधारित ऐप्लीकेशन के रूप में लागू किया हैं। नौकरी चाहने वालों, व्यवसाय समुदाय और अन्य पंजीकृत सार्वजनिक उपयोगकर्ता इंटरनेट के माध्यम से पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। EEMS परियोजना के माध्यम से DoE का उद्देश्य राज्य में राजस्थान राज्य सरकार और रोजगार आदान–प्रदान का समर्थन करना है, ताकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बेहतर ढंग से नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को सक्षम बनाने के लिए ICT का प्रभावी उपयोग किया जा सके।

परियोजना का उद्देश्य:

रोजगार विभाग राजस्थान का लक्ष्य राज्य में आजीविका के अवसरों को बढ़ाना और बेरोजगारी को कम करना है।

परियोजना के लाभ:

- जनशक्ति डेटाबेस के रूप में सूचना का अनूठा स्रोत
- नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के लिए मंच जहां वे एक–दूसरे की आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं।
- नागरिकों के उद्यमिता विकास के मद्देनजर रोजगार सेवाओं के लिए "वन–स्टॉप–समाधान" प्रदान करना
- बेरोजगारी भत्ते की सुविधा प्रदान करना
- प्रशिक्षण साझेदारों / नियोक्ताओं के लिए साझेदारी और सहयोग

भविष्य की योजनाएं

- बेरोजगारी भत्ते की पूरी प्रक्रिया Paperless होगी
- एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 (बजट घोषणा 2024–25) के अंतर्गत भविष्य की योजना :–

- EEMS मोबाइल एप्लीकेशन
- ऑनलाइन निरीक्षण एवं संचार का प्रावधान
- उन्नत डैशबोर्ड
- वेब आधारित एप्लिकेशन और मोबाइल ऐप में ऑटो अलर्ट
- एआई (AI Chatbot) आधारित Counselling System

वर्तमान स्थिति

कुल पंजीकृत उम्मीद्वार	22,95,813
कुल उम्मीदवार जो भत्ते के लिए आवेदन करते हैं।	13,84,068
अभ्यर्थीयों को अब तक की कुल राशि का भुगतान	29,64,04,26,179
इस वित्तीय वर्ष पर अभ्यर्थी को देय कुल राशि (01–04–2024 से 31–12–2024)	2,35,22,92,561

9.23 यू.आई.डी (आधार)

आधार (UID) परियोजना देश के सभी निवासियों को विशिष्ट पहचान जारी करने की एक अद्वितीय परियोजना हैं। वर्तमान में, यह निवासियों के बायोमेट्रिक्स और जनसांख्यिकीय डाटा के भंडारण के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डाटाबेस हैं। वर्ष 2009 में, योजना आयोग (वर्तमान, NITI आयोग) के तत्त्वाधान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का गठन किया गया और उसे भारतीय निवासियों के आधार (UID) डाटाबेस के साथ–साथ लेन–देन आधारित अधिप्रमाणन से सम्बन्धित एक सुदृढ़ तंत्र विकसित करने की इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने का कार्य सौंपा गया। आधार, पात्र लाभार्थियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा जैसी सरकारी योजनाओं के नकद और गैर–नकद लाभों को सीधे स्थानांतरित करने का सबसे सफल माध्यम साबित हुआ हैं।

UIDAI ने वर्ष 2010 में, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (DoIT&C) को अपना स्टेट–रजिस्ट्रार नियुक्त किया था और DoIT&C ने राजस्थान में मई–2011 से आधार नामांकन एवं जनवरी 2020 से बाल आधार नामांकन (आयु वर्ग 0 से 5 वर्ष) का शुभारम्भ कर दिया था। पिछले 10 वर्षों में DoIT&C ने राज्य निवासियों के लगभग 99.70% से अधिक निवासियों के आधार जारी किये जा चुके हैं। इसी प्रकार पिछले 4 वर्षो में लगभग 30.5 प्रतिशत बाल आधार जारी किये जा चुके हैं। UIDAI ने राज्य के निवासियों के लिए लगभग 7.59 करोड़ आधार आईडी जारी कर दिए हैं। वर्तमान में, DoIT&C के पास लगभग 3,000 सक्रिय ऑपरेटर हैं। जो राज्य भर में आधार डाटाबेस में पंजीकरण और अद्यतन कर रहे हैं। इस प्रकार DoIT&C प्रति व्यक्ति

मशीनों / ऑपरेटरों की उपलब्धता के मामले में देश के सर्वश्रेष्ठ स्टेट–रजिस्ट्रारों में से एक हैं।

9.24 राजनिवेश

राजनिवेश (https://rajnivesh.rajasthan.gov.in) का शुभारंभ 16 दिसंबर, 2020 को किया गया था। इस प्लेटफॉर्म को महत्वपूर्ण निवेश प्रस्तावों (10 करोड़ रू. से अधिक) को सुविधाजनक बनाये जाने के साथ ही अधिक प्रभावी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाये जाने के लिए उद्योग विभाग एवं ब्यूरो ऑफ इनवेस्टमेंट प्रोमोशन (BIP) के लिए विकसित किया गया हैं।

यह प्लेटफॉर्म प्रस्तावित निवेशकों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए ऑनलाइन (पेपरलैस) प्रश्न समाधान / आवेदन जमा करने / ई–भुगतान / ऑनलाइन आवेदन निपटान और संबंधित विभागों द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अनुमोदन / मंजूरी / एनओसी / लाईसेंस आदि जारी करने के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करता हैं।

यह एकल केंद्र के रूप में 17 विभागों की विभिन्न प्रकार की 130 सेवाऐं प्रदान करता हैं। अब तक 10588 आवेदन एवं 7540 अनुमोदन, मंजूरी, एन.ओ.सी., लाइसेंस आदि इसके माध्यम से जारी किये जा चुके हैं।

9.25 ई-बिजनेस पोर्टल

ई–बिजनेस पोर्टल, विभिन्न सरकारी विभागों और व्यावसायिक संस्थाओं के बीच आसानी से व्यापार करने और निर्बाध संचार को बढावा देने के लिए एक केंद्रीकृत वर्कफ्लो–आधारित ऐप्लीकेशन के रूप में कार्य करता हैं।

9.26 यूडीएच में आईटी का योगदान (Contribution of IT in UDH)

शहरी विकास और आवास विभाग (UDH), जो नागरिकों और सरकार के बीच पहला संपर्क बिंदु है, नागरिकों के लिए विभिन्न सेवाएँ प्रदान करता है, जिसमें इससे संबंधित अन्य विभाग भी शामिल हैं। ई–गवर्नेंस पहल और व्यापार में सुगमता अभियान के तहत, विभिन्न G2C और G2B सेवाओं का विकास किया गया, जिसमें अनुमोदन को ऑनलाइन स्वीकृत और संसाधित किया जाना था। इसी दृष्टिकोण के साथ "IT Enablement of UDH" परियोजना अक्टूबर 2017 में शुरू की गई।

BRAP–2017, बजट घोषणा और मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार के नेतृत्व में EoDB समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, DoIT&C ने 3D BIM आधारित ऑनलाइन बिल्डिंग योजना स्वीकृति प्रणाली (BPA) विकसित की, जिसमें शहरी विकास और आवास (UDH) विभाग से प्राप्त एकीकृत भवन नियमावली को कॉन्फ़िगर किया, राज्य डेटा सेन्टर में इसे स्थापित किया और मार्च 2018 में इसे सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (SWCS) / सिंगल साइन–ऑन (SSO)

पोर्टल के माध्यम से संचालन में लाया। ऑनलाइन बिल्डिंग योजना स्वीकृति प्रणाली (BPAS) में एक स्वचालित परीक्षण इंजन है जो प्रस्तावित ड्रॉइंग्स की जांच रिपोर्ट उत्पन्न करता है, बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के और संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदन निपटान के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करता है। BPAS एप्लिकेशन का NOC नोडल एजेंसियों (AAI,NMA, फायर और श्रम) के साथ एकीकरण दिसंबर 2020 में EoDB और BRAP दिशानिर्देशों के तहत सक्रिय हुआ।

बाद में, DoIT&C ने UDH द्वारा अनुरोधित 6 ऑनलाइन आवेदन विकसित किए। इन सभी सेवाओं को लागू किया गया है और 3 प्राधिकरणों और 14 UITs के साथ सफलतापूर्वक चल रहा है।

DoIT&C द्वारा विकसित ऑनलाइन सेवाओं के अलावा, 8 ऑनलाइन सेवाएँ UDH द्वारा ICICI बैंक (E-connect Solutions) के सहयोग से विकसित की गई हैं और DoIT&C द्वारा निगरानी की जा रही हैं।

9.27 एलएसजी में आईटी का योगदान (Contribution of IT in LSG)

राजस्थान सरकार द्वारा सभी विभागों में किये जा रहे कागजी कार्य के दौरान सरकारी कार्यालयों में आम आदमी को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत विभिन्न विभागों को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा जा रहा है. इसी कड़ी में स्थानीय स्वशासन विभाग की महत्वपूर्ण सेवाओं को सफलतापूर्वक ऑनलाइन कर दिया गया हैं। एप्लिकेशन एसएसओ और सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत हैं। इन सभी सेवाओं को एसएसओ में एलएसजी सेवा मॉड्यूल में एकीकृत किया गया हैं।

- **ट्रेड लाइसेंस (पंजीकरण और नवीनीकरण)** - ट्रेड लाइसेंस सेवा का उपयोग किसी भी नए व्यवसाय या व्यापार प्रक्रिया के लिए नए लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए किया जा सकता हैं। इसका उपयोग मौजूदा या पुराने लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए भी किया जा सकता हैं। विभाग ऑनलाइन आवेदन पर पूरी जांच करेगा और यदि सब कुछ ठीक रहा तो संबंधित आवेदन के लिए लाइसेंस आदेश जारी किया जाएगा।

LSG SERVICE WISE APPLICATION AVERAGE TIME SUMMARY

Service Name	Time Limit	Total Applications	Approved Applications	Avg. Time Taken	Median Time Taken	Min. Time Taken	Max. Time Taken	Avg. Fee Taken
TRADE LICENCE	30 Days	8,546	3,237	101 Days	44 Days	1 Days	1110 Days	₹17,439.49

LSG SERVICE WISE APPLICATION AVERAGE TIME SUMMARY

Service Name	Time Limit	Total Applications	Approved Applications	Avg. Time Taken	Median Time Taken	Min. Time Taken	Max. Time Taken	Avg. Fee Taken
TRADE LICENCE RENEW	30 Days	3,410	3,410	1 Days	1 Days	1 Days	604 Days	₹10,394.99

- **फायर एनओसी** - इस सेवा के तहत किसी भी नए उपक्रम के लिए एलएसजी विभाग द्वारा दी गई फायर एनओसी सभी प्रकार के दस्तावेजों की जांच और आवश्यक उपकरणों और प्रक्रियाओं के भौतिक निरीक्षण के बाद पूरी तरह से ऑनलाइन जारी की जाती हैं।

LSG SERVICE WISE APPLICATION AVERAGE TIME SUMMARY

Service Name	Time Limit	Total Applications	Approved Applications	Avg. Time Taken	Median Time Taken	Min. Time Taken	Max. Time Taken	Avg. Fee Taken
FIRE NOC	30 Days	20,460	11,165	74 Days	45 Days	1 Days	1218 Days	₹140,059.01

- **म्युटेशन (नामांतरण)** - इस आवेदन का उपयोग भूमि दस्तावेजों जैसे बिक्री विलेख/उपहार विलेख/पट्टा इत्यादि पर नाम हस्तांतरण के लिए आवेदन करने के लिए किया जाता हैं।

LSG SERVICE WISE APPLICATION AVERAGE TIME SUMMARY

Service Name	Time Limit	Total Applications	Approved Applications	Avg. Time Taken	Median Time Taken	Min. Time Taken	Max. Time Taken	Avg. Fee Taken
MUTATION	15 Days	87,370	56,212	59 Days	32 Days	1 Days	1147 Days	₹5,285.70

- **भू-रुपांतरण** - इस एप्लिकेशन का उपयोग भूमि के प्रकार जैसे कृषि से वाणिज्यिक या आवासीय में परिवर्तन के लिए किया जाता हैं।

- **लीज डिपॉजिट**- इस एप्लिकेशन का उपयोग भूमि/संपत्ति के जमा लीज शुल्क के लिए किया जाता हैं। इस एप्लिकेशन में उपयोगकर्ता एक प्रकार या वार्षिक लीज शुल्क जमा कर सकता हैं।

- **साइनेज लाइसेंस** - किसी भी प्रकार के साइन बोर्ड/होर्डिंग के लिए ली जाने वाली

अनुमति इस सेवा के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती हैं।

- **सीवर कनेक्शन** - सीवर कनेक्शन के आवेदन से लेकर उसके निस्तारण तक की सीवर कनेक्शन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा गया हैं।

LSG SERVICE WISE APPLICATION AVERAGE TIME SUMMARY

Service Name	Time Limit	Total Applications	Approved Applications	Avg. Time Taken	Median Time Taken	Min. Time Taken	Max. Time Taken	Avg. Fee Taken
SEWERAGE CONNECTION	3 Days	2,896	783	353 Days	451 Days	1 Days	929 Days	₹2,508.70

- **प्रोपर्टी टेक्स**- सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा विकसित एक ऑनलाइन सेवा के माध्यम से पूरे राजस्थान में संपत्ति के लिए भुगतान कर अब घर बैठे आसानी से भुगतान किया जा सकता हैं।

- **प्रोपर्टी आईडी** - राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसके माध्यम से सभी प्रकार की संपत्तियों को एक अलग पहचान के साथ जोड़ने की दिशा में इस सेवा को विकसित किया गया हैं, सभी प्रकार की संपत्तियों के लिए एक आईडी प्रदान की जा रही हैं।

- **सबडिवीजन एंड रिकोन्सटिट्यूशन** - शहरी विकास और आवास (यूडीएच) विभाग के लिए, राजकेड ने SDRC (सबडिवीजन एंड रिकोन्सटिट्यूशन) एप्लिकेशन विकसित की हैं।

LSG SERVICE WISE APPLICATION AVERAGE TIME SUMMARY

Service Name	Time Limit	Total Applications	Approved Applications	Avg. Time Taken	Median Time Taken	Min. Time Taken	Max. Time Taken	Avg. Fee Taken
SUB-DIVISION, RE-CONSTITUTION	30 Days	5,313	1,409	108 Days	71 Days	1 Days	971 Days	₹18,115.88

- **स्ट्रीट वेण्डर**-इस एप्लीकेशन के द्वारा स्ट्रीट वेण्डर का पंजीकरण किया जाता हैं। जनाधार के द्वारा पंजीकरण करने के पश्चात निर्धारित स्वीकृति जारी होने पर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता हैं।

- **समुदायिक केंद्र बुकिंग** - यह पोर्टल समुदायिक केंद्रो की सुविधाओं एवं सेवाओं के आरक्षण की सुविधा प्रदान करता हैं। उपयोगकर्ता उपलब्ध स्थानों को ब्राउज कर सकते है, उपलब्धता की जांच कर सकते हैं, एवं विभिन्न कार्यक्रमों के लिए बुक कर सकते हैं। यह पोर्टल समुदायिक केंद्रो को कुशल उपयोग सुनिश्चित करते हुए बुकिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता हैं।

- **लीज डीड** - इस पोर्टल पर आम नागरिक अपनी भूमि का पट्टा प्राप्त करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में ऑनलाइन आवेदन करता हैं। जैसे कि स्कीम पट्टा, कच्ची बस्ती पट्टा, स्टेट ग्रांट पट्टा, 69 पट्टा आदि। आवेदन पर संबंधित नगरीय निकाय या डवलपमेंट अथॉरिटी

विभिन्न स्तर पर आवेदन की जांच करता हैं, जांच सही पाये जाने पर निर्धारित शुल्क जमा करने पर पट्टा प्रदान किया जाता हैं।

LSG SERVICE WISE APPLICATION AVERAGE TIME SUMMARY

Service Name	Time Limit	Total Applications	Approved Applications	Avg. Time Taken	Median Time Taken	Min. Time Taken	Max. Time Taken	Avg. Fee Taken
LEASE DEED (PATTA)	15 Days	157,402	33,792	215 Days	139 Days	1 Days	1135 Days	₹35,801.25

LSG ऑनलाइन सेवाओं का इन्टिग्रेशन ई–मित्र के साथ किया जा चुका हैं। आरपीपी के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी शुरु की जा चुकी हैं। RGDPS पोर्टल के साथ भी LSG ऑनलाइन सेवाओं का इन्टिग्रेशन किया जा चुका हैं। जन सूचना पोर्टल के साथ इन्टिग्रेशन किया जा चुका हैं। LSG ऑनलाइन सेवाओं का नोटिफिकेशन एसएमएस व ई–मेल के माध्यम से भेजने की सुविधा शुरु की जा चुकी हैं। LSG ऑनलाइन सेवाओं की समस्त रिपोर्टिंग ऑनलाइन की जा चुकी हैं। सिंगल विंडो व राजनिवेश से LSG ऑनलाइन की साइनएज, फायरएनओसी और ट्रेड लाइसेंस सेवाओं का इन्टिग्रेशन किया जा चुका हैं। LSG ऑनलाइन की ट्रेड लाइसेंस सेवाओं में ऑटो रिन्युअल का प्रावधान किया जा चुका हैं। फायर एनओसी सेवाओं का रिन्युअल भी ऑनलाइन किया जा चुका हैं।

9.28 रेरा में आईटी का योगदान (Contribution of IT in RERA)

ई–गवर्नेंस पहल और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभियान के तहत, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, राजस्थान ने अपनी सभी सेवाओं को डिजिटल करने का फैसला किया। एप्लिकेशन के विकास के बाद, परियोजना "RERA, को अक्टूबर, 2017 में सुविधा प्रबंधन सेवाएं (FMS) प्रदान करने और नए मॉड्यूल के विकास के लिए आरआईएसएल को सौंप दिया गया था।

रेरा से प्राप्त अनुरोध के अनुसार, विभाग की "नो फुटफॉल एंड नो पेपर" नीति को प्राप्त करने के लिए नए मॉड्यूल विकसित करने के लिए मेनपावर नियुक्त की गई एवं वर्तमान एप्लीकेशन विकसित की गई हैं जिसके अंतर्गत 21 जी2सी और जी2जी सेवाएं सफलतापूर्वक विकसित और कार्यान्वित की गई हैं।

पुराने आर्किटेक्चर के कारण वर्तमान एप्लिकेशन में अपनी सीमाएं हैं और इसे तकनीकी रूप से उन्नत करने की आवश्यकता है, जैसे कि स्केलेबिलिटी और तकनीकी सीमाएँ। इस संबंध में, RERA ने एक नया समाधान विकसित करने का निर्णय लिया है, जो नए बदलावों को आसानी से अपनाने में सक्षम हो, स्केलेबल हो, नवीनतम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की उन्नत सुविधाओं से युक्त हो और उन्नत सुविधाओं को अपनाने में सक्षम हो जैसे GIS enabled solution, E-court management system & advance features like BOT, Analytics आदि।

RERA 2.0 नियामक प्राधिकरणों को रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रभावी निगरानी और विनियमन के

लिए उन्नत उपकरणों और संसाधनों से सशक्त बना सकता है। इसमें क्षमता निर्माण, बेहतर ऑडिटिंग तंत्र और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय शामिल हो सकता है।

वार्षिक विकास स्थिति

RISL द्वारा RERA के लिए पूर्व में विकसित एप्लीकेशन की FMS सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त रेरा 2.0 एप्लीकेशन विकसित की जा रही है, जिसके अंतर्गत latest micro service architecture and adoptability of advance features like GIS enabled solution, E-court management system & advance features like BOT, Analytics etc.

9.29 स्टेट ऑर्गन टिश्यु ट्रासप्लांट ऑर्गनाइजेशन (सोटो)

राजस्थान सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अंग की कमी की समस्या को दूर करने के लिए राज्य में मृतक अंगदान और प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है।

राजस्थान राज्य के पैनलबद्ध अधिकृत अस्पतालों के माध्यम से किडनी, लीवर, हृदय, छोटी आंत, अग्न्याशय और फेफड़े जैसे अंगों के प्रत्यारोपण के लिए सोटो पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से मृतक अंग दाता एवं अंग प्राप्तकर्ताओं, दोनो की सूचनाएं पोर्टल पर दर्ज की जाती है। सोटो पोर्टल में अंग प्राप्तकर्ताओं के बारे में पूरी जानकारी एप्लीकेशन के माध्यम से एकत्र की जाती है जिसमें अंग प्राप्तकर्ताओं का व्यक्तिगत विवरण व उनका चिकित्सीय विवरण लिया जाता है। इसी प्रकार से मृतक दाता के बारे में भी पूरी जानकारी एप्लीकेशन के माध्यम से एकत्र की जाती है। तत्पश्चात अंग प्राप्तकर्ता का चयन प्रबंधन उनकी प्रतीक्षा सूची अनुसार ऑनलाइन ही किया जाता है तथा सोटो पोर्टल के माध्यम से राज्य में होने वाले समस्त मृतक दाता एवं अंग प्राप्तकर्ताओं का विवरण ऑनलाइन ही प्राप्त किया जा सकता है। सोटो पोर्टल में डैशबोर्ड पर विभिन्न फिल्टर की सहायता से हॉस्पीटल, ब्लड ग्रुप व अंग के आधार पर रिकार्ड्स को

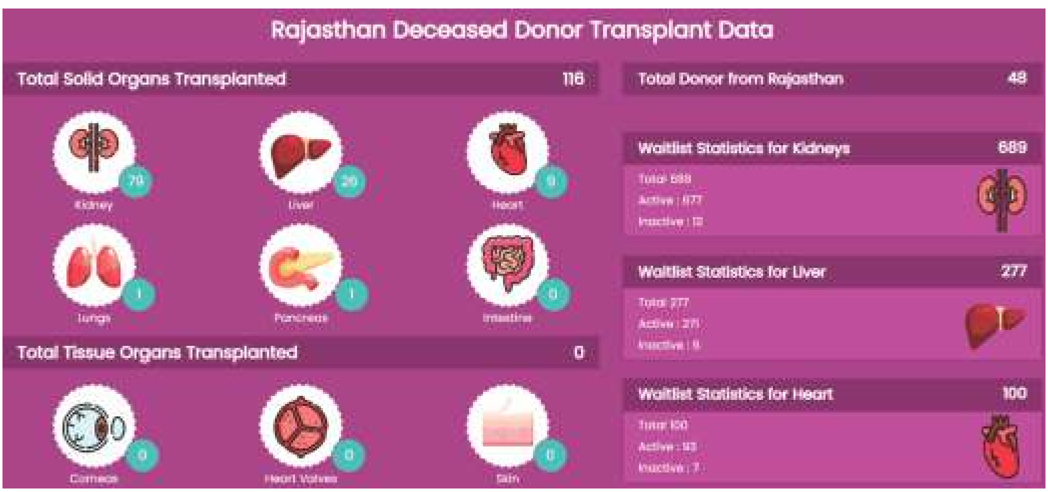

विश्लेषित किया जा सकता है। इसी डैशबोर्ड पर हम एक्टिव या इनएक्टिव मरीज का विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई मरीज कुछ समय के लिए इनएक्टिव होता है तो प्रतीक्षा सूची ऑटो अपडेट हो जाती है, इसी प्रकार यदि मरीज कुछ समय पश्चात् पुनः एक्टिव हो जाता है तो वह प्रतीक्षा सूची में अपने यथा स्थान पर पहुंच जाता है। सोटो पोर्टल के माध्यम से अंगदान और प्रत्यारोपण की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता से क्रियान्वित करता है।

9.30 डीएलसी जीईओ टैगिंग (DLC Geo Tagging)

वित्तीय वर्ष 2021—22 में की गई एवं पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को निर्दिष्ट 'DLC दरों का टेक्नोलॉजी के माध्यम से निर्धारण कर Geo-Tagging के साथ ऑनलाइन करने' संबन्धित बजट घोषणा की अनुपालना में GIS आधारित डीएलसी Geo tagging परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा हैं।

इस योजना का उद्देश्य जीआईएस तकनीक का उपयोग करके डीएलसी दरों के निर्धारण प्रक्रिया को सरल और अधिक पारदर्शी बना कर नागरिकों को सम्पति पंजीकरण की निर्बाध सुविधा प्रदान करने और राज्य के राजस्व को बढ़ाना हैं। ।

इस जीआईएस आधारित प्रणाली के लागू होने के बाद Property की DLC का निर्धारण उसके Geo-Coordinates के आधार पर किया जाएगा

उक्त योजना के अंतर्गत भू—प्रबंध विभाग से प्राप्त खसरा परिसीमाओं के आधार पर (GIS) जीआईएस तकनीक का उपयोग कर के डीएलसी जोन का मैप पर डिज़िटाइजेशन एवं एकीकृत जीआईएस प्लेटफार्म राजधरा पर प्रकाशन का कार्य प्रगति पर हैं।

यह कार्य जयपुर, अजमेर, झुंझुंनू, नागौर, चूरू, जालोर, प्रतापगढ़, अलवर, बांसवाड़ा, दौसा और सीकर सहित 11 जिलों के लिये पूरा कर लिया गया हैं तथा पाली, उदयपुर, हनुमानगढ़, भरतपुर, बूंदी, राजसमंद और जोधपुर जिलों में उपलब्ध खसरा डाटा के आधार पर Digitization का कार्य चल रहा हैं।

इसके साथ ही, जिन जिलों का काम पूरा हो गया हैं उनके लिए ई–पंजीयन पर उपलब्ध वर्तमान डीएलसी दरों के अनुसार डीएलसी ज़ोन सीमाओं को अपडेट करने का काम संबंधित एसआरओ की देखरेख में चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा हैं।

इस प्रकार तैयार (GIS) जीआईएस एवं संबन्धित डाटा को आगामी उपयोग हेतु ई–पंजीयन सिस्टम से तकनीकी रूप से एकीकरण (Integration) का कार्य प्रक्रियाधीन हैं, जिसके उपरांत ई–पंजीयन सिस्टम से पंजीयन की जाने वाली संपत्ति की DLC दरें GIS आधारित DLC Boundary के आधार पर ई–पंजीयन सिस्टम को उपलब्ध करवा दी जावेंगी। इस परियोजना का क्रियान्वन पिसांगन एवं किशनगढ़ तहसीलों में पायलट आधार पर करने के लिए कार्य प्रारभ कर दिया गया हैं।

साथ ही इस प्रकार बनाये गए डाटा को भविष्य में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा मौजूदा डीएलसी दरों में अनियमितता की पहचान, तार्किक रूप से उनमे संशोधन करने हेतु भी किया जा सकता हैं।

9.31 इंटरग्रटेड एक्साइज मैनेजमेंट सिस्टम (IEMS2.0)

आरआईएसएल IEMS2.0 के लिए सेवा प्रदाता के रूप में काम करेगा। यह उत्पाद शुल्क विभाग (Excise department)/आरएसजीएसएम/आरएसबीसीएल को उत्पाद सेवाएं प्रदान करेगा और बदले में वे प्रदान की गई सेवाओं के लिए केवल आरआईएसएल को प्रति बोतल के आधार पर भुगतान करेंगे।

परियोजना के लाभ:-

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो –उत्पाद शुल्क विभाग (Excise department)/आरएसजीएसएम/आरएसबीसीएल की कार्य प्रणाली में एकरूपता लाना।
- मितव्ययी समाधान।
- Excise department के लिये प्रति बोतल उत्पादन से लेकर ब्रिकी तक का रिकॉर्ड रखना।
- Excise department के लिये प्रत्येक बोतल का उत्पादक स्थल से लेकर अनुबंधित दुकान तक की पहुंच तक की दूरी तय करने का पूरा रिकार्ड ऑनलाईन रखना।

वर्तमान स्थिति

सरकारी उपक्रमों उत्पाद शुल्क विभाग (Excise department)/आरएसजीएसएम/आरएसबीसीएल के लिये विकसित किया जा रहा है। प्रमुख मॉड्यूल्स जैसे (लाइसेंस प्रबंधन मॉड्यूल, एआई एमएल विश्लेषण मॉड्यूल, ई–नीलामी मॉड्यूल, सप्लाई चैन मैनजमेंट) Go-Live हो चुके हैं।

9.32 Online Ticket Booking Management System (OBMS)

पर्यटकों की सुविधा के लिए एक आईटी सक्षम समाधान के रूप में DoIT&C/RISL द्वारा राजस्थान राज्य में पर्यटन अनुभव को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिए एक वेब और मोबाइल ऐप आधारित यूनिफाइड ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम (OBMS) विकसित किया है। इस पोर्टल से स्मारक, संग्रहालय, किले, चिड़ियाघर, जैविक उद्यान, सफारी और अन्य कई आकर्षण पर्यटन केंद्रों की टिकट बुक की जा सकती है। DoIT&C/RISL का लक्ष्य इस पोर्टल के माध्यम से पर्यटन स्थलों की बुकिंग के साथ–साथ पर्यटन से जुड़ी सभी सुविधाएँ जैसे टूर प्लॉन, होटल बुकिंग, कैब बुकिंग एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है।

- परियोजना का वित्त पोषण संबंधित विभाग या संस्था के साथ आपसी MoU के आधार पर Cost to sale model के माध्यम से किया जा रहा है ।
- सेवा शुल्क के आधार पर संबंधित विभाग या संस्था द्वारा OBMS Portal का प्रयोग किया जा रहा है।

OBMS Portal की मुख्य विशेषताएं है।

- OBMS Portal चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है।
- प्रथम चरण मे पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, राजस्थान के पर्यटक स्थलों (स्मारकों और संग्रहालयों) की ऑनलाइन बुकिंग का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।
- द्वितीय चरण में राजस्थान के अन्य विभाग जैसे कि (वन विभाग, RTDC, जयपुर मेट्रो आदि के पर्यटन स्थलों की ऑनलाइन बुकिंग का कार्य शुरू किया जा चुका है ।

- इसी तरह चरणबद्ध तरीके से राजस्थान के सभी पर्यटन स्थलों की ऑनलाइन बुकिंग का कार्य OBMS Portal द्वारा किया जाएगा।

  URL - https://obms-tourist.rajasthan.gov.in/

परियोजना की स्थिति

सांख्यिकी (दिनांक 01/01/2025 तक):

कुल पर्यटन स्थल– 54

ऑनलाइन बुकिंग – 41,17,313

पर्यटक – 1,37,26,529

बुकिंग से प्राप्त राशि (INR) – ₹ 1,35,15,62,260

RISL राजस्व– ₹ 3,65,20,208

9.33 वित्तीय समावेशन गेटवे

जनसंख्या के विशाल वर्ग के लिए बैंकों और बैंकिंग सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण वित्तीय समावेशन गेटवे (एफआईजी) सेवाएं अस्तित्व में आई। एफआईजी समाज के वंचित वर्गों के घर तक बैंकिंग सेवाओं की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता हैं।

वित्तीय समावेशन (एफआई) गेटवे एक बैंकिंग वातावरण है जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:– ग्राहक नामांकन, लेनदेन प्रक्रिया, लेखा प्रबंधन , डिवाइस प्रबंधन

उद्देश्य

वित्तीय समावेशन गेटवे का उद्देश्य डिजिटल वित्तीय तकनीकों का लाभ उठाकर वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी को बढ़ाना और विशेष रूप से कमजोर और वंचित आबादी के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी हों या उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, वित्तीय प्रणाली से लाभान्वित हो सके।

लाभ

- राजस्थान के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाओं की पहुंच
- किसान अपने घर के आसपास से ही ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- ऋण प्रसंस्करण की स्वचालित प्रक्रिया
- पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जमा किया जाता हैं
- रुपे डेबिट/किसानकार्ड, एईपीएस, शाखाओं में निकासी फॉर्म का उपयोग करके एटीएम/माइक्रो–एटीएम के माध्यम से निकासी
- ऋण पंजीकरण, अनुमोदन और संवितरण में पारदर्शिता
- ऑनलाइन एमआईएस रिपोर्ट

वर्षवार प्रगति तालिका

वर्ष	कुल लेन–देन संख्या	कुल राशि (करोड़ों में)
2015	6735	0.41
2016	699942	111.65
2017	824626	478.97
2018	1118767	1309.46
2019	3570002	6349.37
2020	8731635	22100.99
2021	11297812	34165.16
2022	11549998	36810.13
2023	11527550	39072.24
2024	10443879	34863.77
कुल	**59770946**	**175262.15**

गैर-वित्तीय लेनदेन

वर्ष	कुल लेन–देन संख्या
2015	1188
2016	444409
2017	761895
2018	800865
2019	1565339
2020	2060005
2021	1943221
2022	1872182
2023	1729205
2024	11178309
कुल	**22356618**

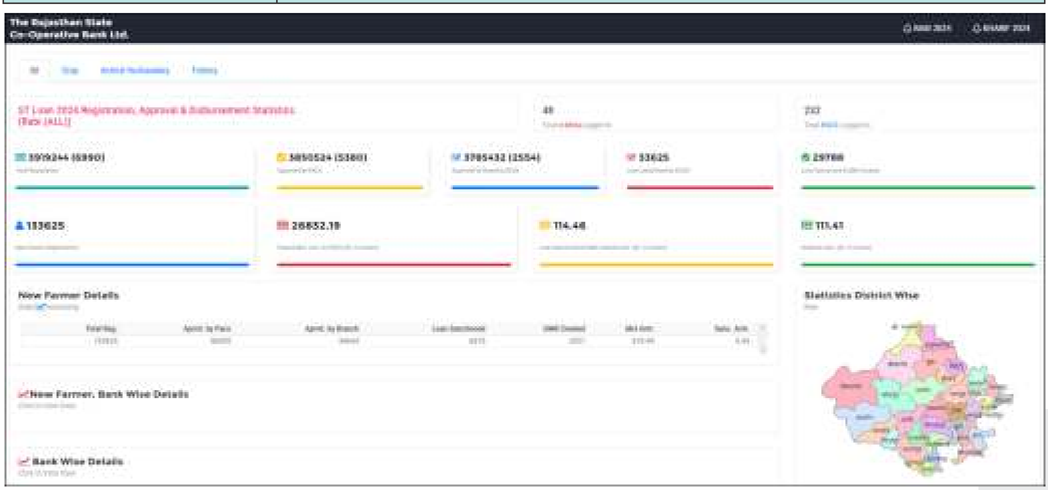

9.34 GIS आधारित Village Master Plan Web Application

GIS आधारित Village Master Plan Web Application का प्राथमिक उद्देश्य निकट भविष्य के लिए गांवों के नियोजित विकास हेतु ग्राम स्तर पर मास्टर प्लान तैयार करने, भूमि आवश्यकताओं की पहचान करने और गांवों में विभिन्न सुविधाओं की योजना बनाने हेतु आवश्यक जानकारियों को नक्शे पर दिखाना और बेहतर निर्णय लेने और योजना बनाने में अधिक सक्षम करना हैं।

उक्त एप्लिकेशन जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर अधिकारियों को GIS प्लेटफॉर्म राजधरा के माध्यम से पंचायती राज विभाग द्वारा चयनित 113 गांवों में नागरिकों के लिए राजधरा पर उपलब्ध सीमाओं, उपलब्ध स्कूल, अस्पताल, पार्क, दुकानें, हाट बाजार सहित विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों एवं सुविधाओं को दर्शाता हैं।

लाभः

- चयनित गांवों में नागरिक केंद्रित परिसंपत्तियों एवं सुविधाओं को नक्शे पर दिखाने हेतु एकीकृत इंटरफ़ेस प्रदान करना
- विभिन्न परिसंपत्तियों/सुविधाओं का सामयिक व राष्ट्रीय मानकों (AMRUT standards) के अनुरूप वर्गीकरण और ग्राम स्तर पर उनके GIS डेटा का प्रदर्शन
- निकट भविष्य में नागरिकों के लिए सुविधाओं के विकास हेतु भूमि की पहचान करने में निर्णयकर्ताओं को अधिक सामयिक व सुसंगत निर्णय लेने में सक्षम बनाना

प्रगतिः

- राजस्थान भर में 10,000 से अधिक आबादी वाले 113 गांवों की सीमाएं एप्लिकेशन में शामिल कर ली गई हैं।
- एप्लिकेशन पर 113 गांवों के लिए सभी उपलब्ध GIS डेटा जैसे बेसमैप, उपस्थित परिसंपत्तियों/सुविधाओं (PoI), भू–उपयोग–भू– आवरण (LULC) विवरण आदि सहित प्रकाशित कर दिया गया हैं।
- एप्लिकेशन के जनसंख्या विजेट के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्षमताएँ विकसित की गई हैं।
    - खसरा विवरण/सैटेलाइट इमेजरी/बेसमैप के साथ सभी मौजूदा सुविधाओं को GIS मानचित्र पर मुद्रित करने का प्रावधान
    - जनसंख्या अनुमान के आधार पर निकट भविष्य में ग्राम स्तर पर विभिन्न परिसंपत्तियों और सुविधाओं की योजना बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता का अनुमान लगाने का प्रावधान

- ग्राम स्तर पर उपलब्ध परिसंपत्तिया (PoI) की विभिन्न श्रेणियों और उपश्रेणियों से संबंधित विवरण की जानकारी का प्रावधान
- किसी भी गांव के नक्शे को .pdf प्रारूप में डाउनलोड करने का प्रावधान

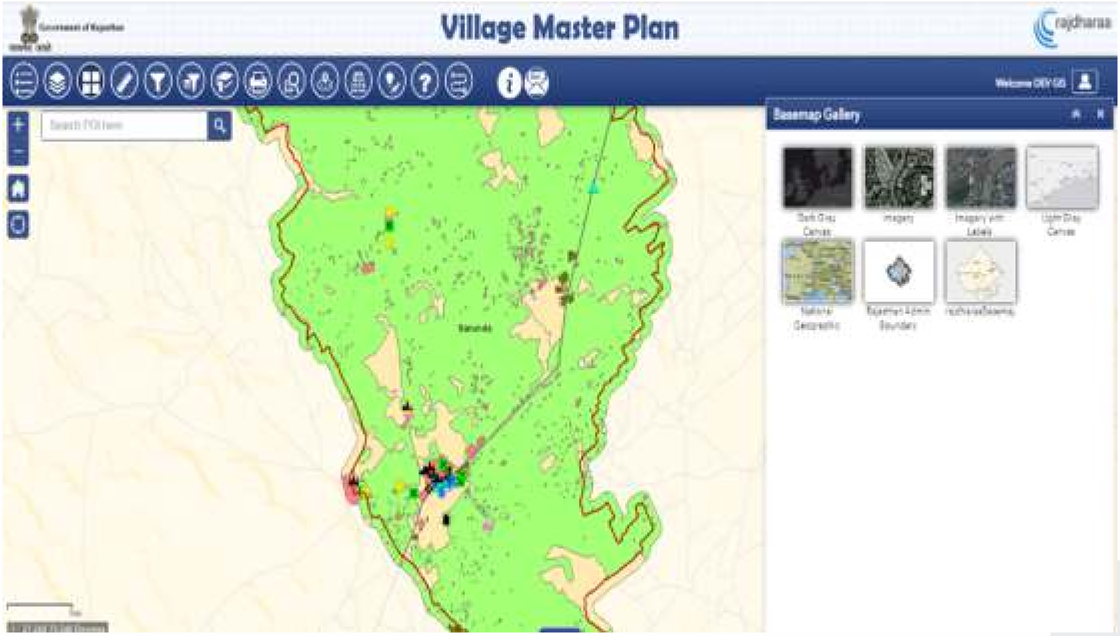

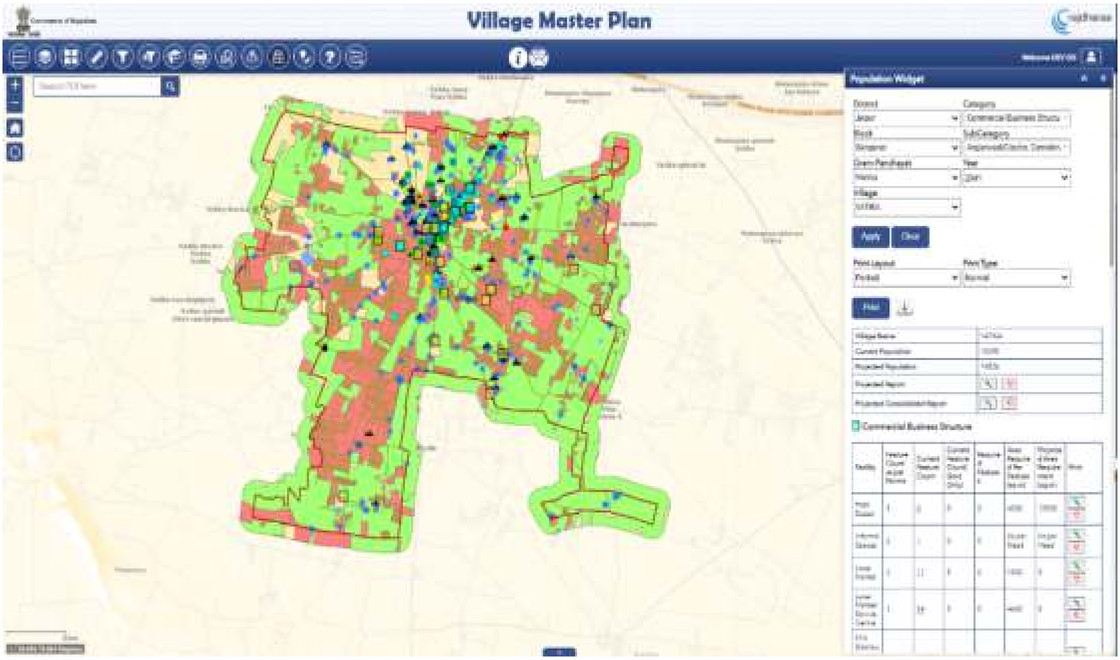

Village Master Plan of Parihara Village (District Churu)

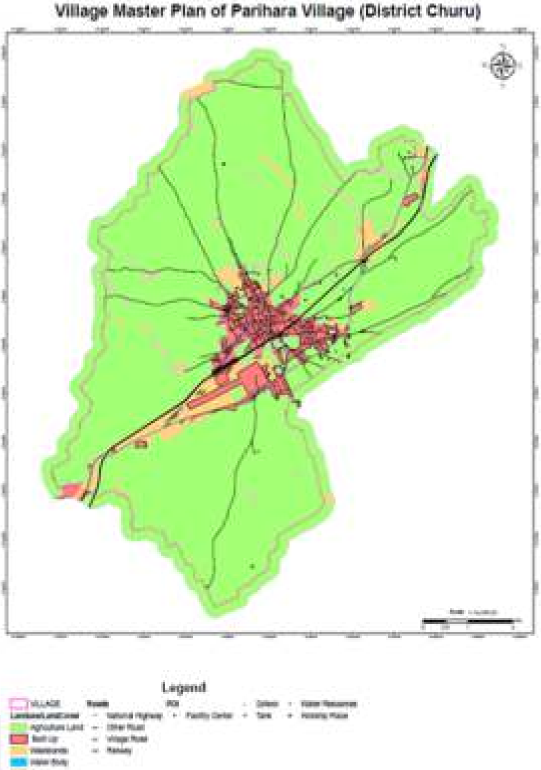

Village Master Plan of Parihara Village (District Churu)

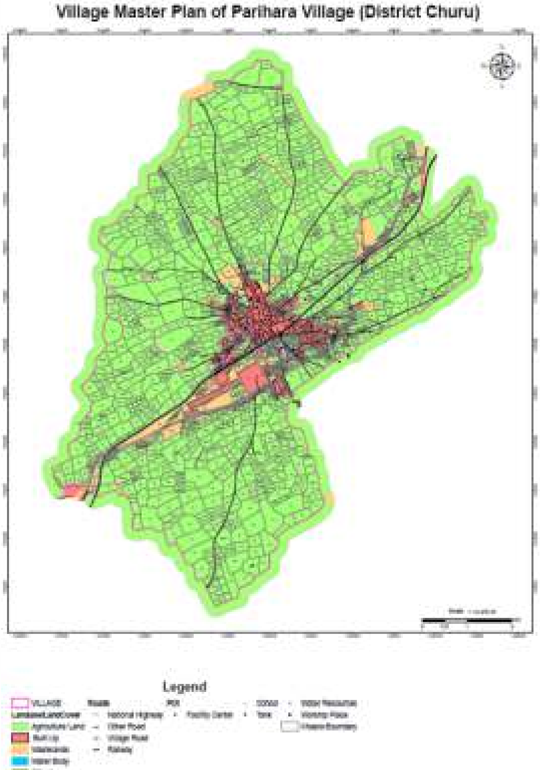

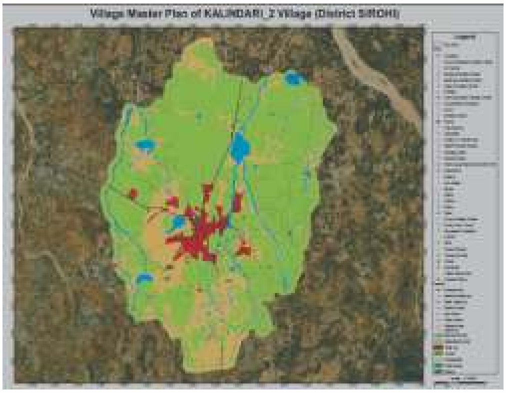

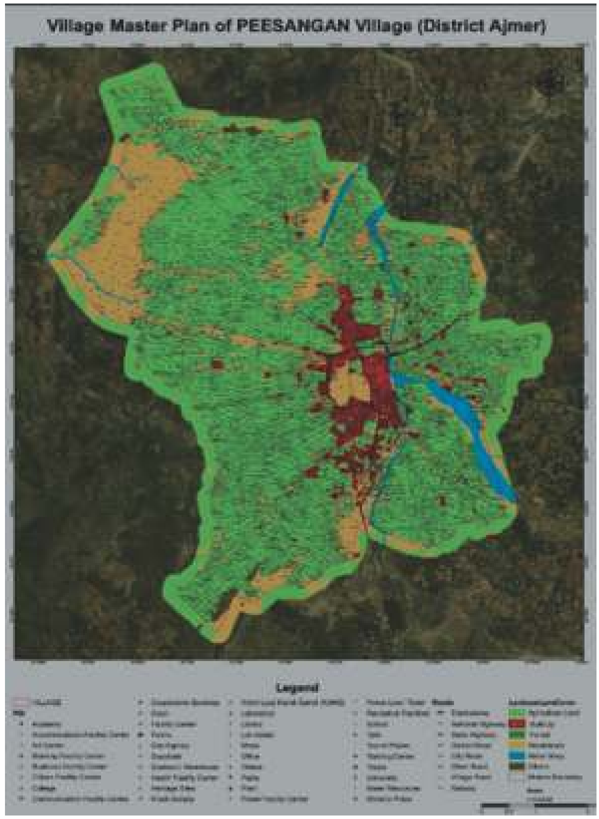

Local Market/ Service Centre (Commercial Business Structure) In VATIKA

S N	Attribute	Value
1	OBJECTID	23836
2	POI_ID	03030117021208_1
3	SECTORS_NAME	Commerce and Industry
4	SECTORS_CODE	04
5	DEPARTMENT_NAME	Private
6	DEPARTMENT_CODE	5600112
7	CATEGORY_NAME	Business Facility Center
8	CATEGORY_CODE	006
9	SUBCATEGORY_NAME	Shop
10	SUBCATEGORY_CODE	0597
11	NAME	Payal Traders Cement Agency
12	ADDRESS_1	Near Shri Bala Ji TVS Showroom
13	ADDRESS_2	Jaipur
14	GROUND_VILLAGE	VATIKA
15	GROUND_GP	Watika
16	CITY_NAME	null
17	GROUND_TEHSIL	Sanganer
18	GROUND_BLOCK	Sanganer
19	PINCODE	303905
20	GROUND_DISTRICT	Jaipur
21	LATTITUDE	26.71736400000007
22	LONGITUDE	75.80705999999999
23	ALTITUDE	342.5
24	PHOTOS	D:\Pramod_Jaipur\Data\21-01-2019\Photos\03030117021208_1.jpg
25	RAJDHARAA_VILLAGE	VATIKA
26	RAJDHARAA_GP	Watika
27	POI_TYPE	Non Government
28	GROUND_VCODE	080125
29	GROUND_GPCODE	0811013256
30	GROUND_BCODE	0811013
31	GROUND_DCODE	110
32	CENSUS_CD_2011	080125
33	DATA_STATUS	null
34	ASSETS_DEPT_CODE	null
35	PRIORITY	2

Projection Details of VATIKA for the Year 2041

Village Name	VATIKA
Projected Year	2041
Current Population	10590
Projected Population	14526

SN	Category	SubCategory	Current feature count	Current feature count (Govt.only)	Features count as per norms	Required count	Area required as per features (SQ. M)	Projected area requirement (SQ. M)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (F)-(E)	(H)	(I) = (G)*(H)
1	Education Facilities	Primary/Upper Primary School	30	7	3	0	5000	0
2	Education Facilities	Secondary/Higher Secondary	7	3	2	0	6000	0
		Total	37	10	5	0	11000	0

9.35 आर.एस.एल.डी.सी (Rajasthan Skills and Livelihoods Development Corporation)

आरएसएलडीसी ने राज्य भर में प्रशिक्षण कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए प्रशिक्षण भागीदार एजेंसियों को शामिल करके कौशल प्रशिक्षण तंत्र की स्थापना की। आरएसएलडीसी को राज्य के युवाओं के लिए प्रासंगिक कौशल सेट बनाने और प्रदान करने के मामले में देश में एक आइकन माना जाता हैं। युवाओं की पृष्ठभूमि और उनके करियर उद्देश्यों के आधार पर आरएसएलडीसी अनुकूलित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता हैं। जिसमें सॉफ्ट स्किल के साथ–साथ डोमेन ज्ञान भी

शामिल हैं।

परियोजना का उद्देश्य :

आरएसएलडीसी ने विभिन्न राज्य विभागों की सभी कौशल संबंधी योजनाओं को आरएसएलडीसी के साथ एकीकृत करने और प्रशिक्षुओं आईटीआई और नियोक्ताओं के लिए एक सामान्य मंच प्रस्तुत करने और कन्वर्जेंस योजना के माध्यम से भाग लेने वाले सभी विभागों को एक सामान्य इंटरफ़ेस प्रदान करने के लिए एक मजबूत एकीकृत योजना प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) विकसित की हैं। इसलिए सभी हितधारकों को एक बिंदु पर एक साथ लाना। गरीब और कमजोर लोगों के लिए बड़े पैमाने पर आजीविका को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए उपयुक्त और नवीन रणनीति तैयार करना।

परियोजना के लाभ :-

- बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास एवं नियोजन
- सभी राज्य वित्त पोषित और केंद्र वित्त पोषित योजनाओं के निर्माण, निगरानी और प्रबंधन के लिए एकल मंच

वर्तमान स्थिति :-

कुल पंजीकृत अभ्यर्थी अब तक	6,01,846
इस वित्तीय वर्ष कुल पंजीकृत अभ्यर्थी	27,483
कुल लाभान्वित अभ्यर्थी (Placement)	65,832
इस वित्तीय वर्ष कुल लाभान्वित अभ्यर्थी (Placement)	16,078
कुल पंजीकृत ट्रेनिंग पार्टनर	2,672
इस वित्तीय वर्ष कुल पंजीकृत ट्रेनिंग पार्टनर	210
प्रशिक्षण पर खर्च राशि	56,49,33,549

भविष्य की योजनाएं:-

- नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम :—
  - युवाओं
  - महिलाओं
  - विशेष योग्यजन
  - अन्य

- इंटीग्रेटेड स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 के अंतर्गत भविष्य की योजना :–
  - भौतिक एवं कैमरा आधारित निगरानी
  - वेब आधारित एप्लिकेशन और मोबाइल ऐप में ऑटो अलर्ट
  - ऑनलाइन निरीक्षण एवं संचार का प्रावधान
  - कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन का उपयोग
  - ISMS मोबाइल एप्लीकेशन
  - उन्नत डैशबोर्ड

9.36 सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लॉकचेन

ब्लॉकचेन के लिए उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence for Blockchain) परियोजना राजस्थान सरकार की एक अग्रणी पहल है, जिसे राज्य में डिजिटल परिवर्तन और पारदर्शी प्रशासनिक सेवाओं के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह केंद्र ब्लॉकचेन तकनीक पर अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस परियोजना का उद्देश्य ब्लॉकचेन की शक्ति का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल बनाना है, ताकि राज्य के नागरिकों को विश्वसनीय सेवाएं मिल सकें।

परियोजना का उद्देश्य:

ब्लॉकचेन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान सरकार की सेवाओं में पारदर्शिता, सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इस परियोजना के माध्यम से सरकारी विभागों में डेटा सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा, जिससे संवेदनशील जानकारी तक केवल अधिकृत व्यक्तियों की ही पहुंच हो सकेगी। इस केंद्र के माध्यम से सरकारी विभागों और स्टार्टअप्स को वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

परियोजना का लाभ:

1. **क्षमता और कौशल निर्माण:**

   राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (DoIT&C) के अधिकारियों और विभिन्न स्टार्टअप्स के लिए ब्लॉकचेन तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण सत्र और कार्यशालाएँ नियमित रूप से आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और उद्यमियों में इस उभरती हुई तकनीक के बारे में जानकारी और कौशल का निर्माण करना है, ताकि वे अपनी सेवाओं और उत्पादों में ब्लॉकचेन का प्रभावी उपयोग कर सकें।

2. प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoCs) कार्यान्वयन:

विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में ब्लॉकचेन के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoCs) सफलतापूर्वक लागू किए गए। यह परीक्षण इस बात का आकलन करने के लिए किया गया कि ब्लॉकचेन तकनीक राज्य में भूमि रिकॉर्ड, स्वास्थ्य डेटा और कृषि सब्सिडी जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को किस प्रकार सुदृढ़ बना सकती है। इस पहल का उद्देश्य इन क्षेत्रों में बेहतर प्रबंधन और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिससे आम नागरिकों को सशक्त और विश्वसनीय सेवाएं मिल सकें।

3. ब्लॉकचेन अनुभव केंद्र की स्थापना:

ब्लॉकचेन अनुभव केंद्र की स्थापना माननीय मंत्री महोदय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2024 को की गयी थी। जिसमे सरकारी विभागों और स्टार्टअप्स के लिए ब्लॉकचेन आधारित परियोजनाओं के परीक्षण और समाधान विकास मंच तैयार किया गया है। इसके साथ ही, उन्हें सही दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मेंटरशिप की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे अपने विचारों को व्यावहारिक समाधान में परिवर्तित कर सकें और प्रभावी परिणाम प्राप्त कर सकें।

ये सभी गतिविधियाँ राजस्थान सरकार के डिजिटल परिवर्तन को सशक्त बनाने और ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग को विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

9.37 डिजिटल लाइब्रेरी (Digital Library)

राजस्थान सरकार ने स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का एक नया कदम उठाया हैं। इसके तहत, 344 आवासीय स्कूल शामिल हैं, जो सरकार के सामाजिक न्याय, स्कूल शिक्षा, अल्पसंख्यक मामले और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभागों के अधीन हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्र डिजिटल शैक्षिक सामग्रियों तक आसानी से पहुंच सके। डिजिटल लाइब्रेरी को छात्रों के अध्ययन के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर से सुसज्जित किया गया हैं। इस पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की डिजिटल सामग्रियाँ भी हैं जैसे कि एन्साइक्लोपीडिया, पाठ, 2D/3D एनीमेटेड वीडियो, एमसीक्यू, क्विज इत्यादि।

डिजिटल लाइब्रेरी एक ऐसा साधन है जो नई और व्यवस्थित तरीके से सूचना और ज्ञान प्रस्तुत करता हैं। यहां सभी पुस्तकें, साहित्य, जानकारी, और शैक्षिक सामग्री डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। डिजिटल लाइब्रेरी विभिन्न शैलियों में जानकारी प्रदान करेगी, जैसे कि ई–बुक्स, वेबसाइट्स, और मल्टीमीडिया सामग्री जैसे ऑडियो और वीडियो सामग्री। इससे छात्रों को न केवल शिक्षा और संदर्भ स्रोतों का सही उपयोग करने में मदद मिलेगी, बल्कि वे नए शैक्षिक अनुभवों का भी लाभ उठा सकेंगे।

9.38 सॉफ्टवेयर डवलपमेंट सेंटर

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर द्वारा विभिन्न विभागों के एप्लीकेशन एवं पोर्टल विकसित किए जाते हैं। राज्य सरकार की विभिन्न बजट घोषणाएं एवं विभिन्न विभागों के नियमित कार्य ऑनलाइन करने का कार्य इस सेल द्वारा निरंतर किया जा रहा हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल द्वारा अभी तक 30 से अधिक पोर्टल विकसित किया जा चुके हैं। विकसित किये गए पोर्टल का वर्णन निम्न प्रकार हैं।

1. राजस्थान फाउंडेशनः

राजस्थान फाउंडेशन के का उद्देश्य राजस्थान और उसके प्रवासी भारतीयों के बीच संबंध स्थापित करना, मजबूत करना और बनाए रखना, विशेष रूप से अन्य राज्यों और विदेशों में रहने वाले अपने लोगों की संस्कृति, विरासत और पहचान को संरक्षित करना और राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में एनआरआर की भागीदारी और योगदान के लिए स्थितियां बनाना हैं।

राजस्थान फाउंडेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल द्वारा विकसित की गई हैं। इस पोर्टल पर एस.एस.ओ. आईडी के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता हैं।

2. डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजनाः

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई डॉ. भीमराव अंबेडकर दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य दलित और आदिवासी समुदायों के उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. इस योजना के तहत, सरकार इन समुदायों के लोगों को उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान करती है, ताकि वे सफलतापूर्वक अपने व्यवसाय को स्थापित और संचालित कर सकें।

इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल द्वारा ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। आवेदनकर्ता जनआधार के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।

3. ई-गिरदावरी:

eGirdawari एप्लिकेशन को वित्तीय वर्ष 2023–24 के राज्य बजट घोषणा के तहत विकसित और लागू किया गया है, ताकि किसानों को अपने Girdawari विवरण ऑनलाइन पंजीकरण करने का सिस्टम प्राप्त हो सके। Girdawari रिकॉर्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग किसान Kharaba (आपदा) के मामले में बीमा दावा करने, MSP पर फसल बेचने, कृषि भूमि पर ऋण प्राप्त करने और अन्य उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं।

राज्य के किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक समर्पित "राज किसान गिरदावरी" मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है, जहां किसान अपनी जनआधार ID का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं तथा फसल और क्षेत्र विवरण के साथ जीयो–टैग की गई तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। यह एप्लिकेशन भारत सरकार के कृषि–स्टैक–डिजिटल क्रॉप सर्वे परियोजना और राज्य गिरदावरी राजस्व नियमों के अनुपालन में विकसित की गई है, जहां किसान को हर सीजन के लिए Khasra स्तर पर Girdawari रिकॉर्ड पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है, जिसमें रबी, खरीफ, जायद रबी और जायद खरीफ शामिल हैं। विकसित एप्लिकेशन में "खराबा" विवरण पंजीकरण की भी सुविधा है, जो केवल पटवारी द्वारा किसी प्राकृतिक आपदा या अप्रत्याशित कारणों के मामले में किया जा सकता है।

ई–गिरदावरी के अन्तर्गत जनआधार–खाता सीडिंग एप्लिकेशन भी विकसित की गई है, जिससे किसान के अधिकार (ROR) रिकॉर्ड को कृषि भूमि (खसरा) से जोड़ा जा सकता है। यह सीडिंग किसान को अपने खसरे की गिरदावरी करने में मदद करेगी और विभाग द्वारा DBT के लिए उपयोग की जाएगी।

युवाओं को शामिल करने के लिए, एक सर्वेयर मॉड्यूल भी विकसित किया गया है, जिसमें युवा गिरदावरी रजिस्टर कर सकते हैं।

"राज खसरा गिरदावरी" मोबाइल एप्लिकेशन संबंधित सरकारी अधिकारियों (पटवारी, ILR और तहसीलदार) के लिए भी विकसित की गई है ताकि वे पंजीकृत गिरदावरी रिकॉर्ड की जांच कर सकें। एक बार गिरदावरी रिकॉर्ड सभी तीन स्तरों द्वारा सत्यापित हो जाने पर, किसान वेब गिरदावरी पोर्टल से बिना किसी शुल्क के फार्म डाउनलोड कर सकते हैं।

कई राज्य और केंद्रीय सरकारी विभाग/एजेंसियां – कृषि, सांख्यिकी, राजस्व, वित्त और अन्य विभाग गिरदावरी रिकॉर्ड का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए कर रही हैं, जिनमें फसल क्षेत्र की अनुमानना, MSP पर फसलों की खरीद, बीमा दावा सत्यापन, ऋण वितरण और अन्य शामिल हैं।

इस खरीफ सीजन (2024) में तीन लाख से अधिक गिरदावरी किसानों द्वारा की गई है और पिछले चार सीजन में कुल 17 करोड़ से अधिक गिरदावरी की गई है, जो विकसित समाधान का उपयोग करके की गई हैं।

4. **कांट्रेक्टर रिव्यू एप्रीसिएशन:**

सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल द्वारा विकसित की गई हैं। इस पोर्टल के द्वारा पूर्व में पंजीकृत कांट्रेक्टर का लाईसेन्स दो वर्षो के लिए नवीनीकरण एस.एस.ओ. आईडी के माध्यम से किया जाता हैं।

5. **कांट्रेक्टर रिवाइज्ड FDR:**

सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल द्वारा विकसित की गई हैं। इस पोर्टल के द्वारा पूर्व में पंजीकृत कांट्रेक्टर व नये कांट्रेक्टर बढ़ी हुई FDR की राशि जमा कराकर कांट्रेक्टर एनलिस्टमेंट सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

6. **शिल्प एवं माटी कला बोर्ड एप्लीकेशन :**

शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल द्वारा विकसित की गई हैं। इस पोर्टल पर कामगार द्वारा जनआधार के माध्यम से पंजीकरण करने पर पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता हैं। पंजीकृत कामगार द्वारा, कामगार को विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत पोर्टल पर पंजीकरण करने पर सरकार द्वारा निर्धारित टूलकिट प्रदान किया जाएगा।

7. **केशकला बोर्ड एप्लीकेशन :**

केशकला बोर्ड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल द्वारा विकसित की गई हैं। इस पोर्टल पर कामगार द्वारा जनआधार के माध्यम से पंजीकरण करने पर सरकार द्वारा निर्धारित राशि (रु. 5000/— या कम) का टूलकिट खरीदने पर बिल राशि का पुर्नभरण बिल ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने पर सरकार द्वारा कर दिया जायेगा।

8. **डीटीएनटी बोर्ड:**

डीटीएनटीबोर्ड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल द्वारा विकसित की गई हैं।इस पोर्टल पर विमुक्त जनजातियां एवं घुमन्तु/अर्धघुमन्तु द्वारा जनआधार के माध्यम से पंजीकरण करने पर सरकार द्वारा निर्धारित राशि (रु 5000/—या कम) का टूलकिट खरीदने पर बिल राशि का पुर्नभरण बिल ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने पर सरकार द्वारा कर दिया जायेगा।

9. हस्त शिल्प कला:

हस्त शिल्प कला बोर्ड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल द्वारा विकसित की गई हैं। इस पोर्टल पर कामगार द्वारा जनआधार के माध्यम से पंजीकरण करने पर सरकार द्वारा निर्धारित राशि (रु 5000 या कम) का टूलकिट खरीदने पर बिल राशि का पुर्नभरण बिल ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने पर सरकार द्वारा कर दिया जायेगा।

10. Chief Minister Award for Excellence in Public Service (CM-EXCELS):

अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रदेश की नीतियों एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में किए गए नवाचारों एवं तद्नुसार अर्जित उपलब्धियों के प्रोत्साहन हेतु 'मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार'(Chief Minister's Awards for Excellence in Public Services-CM-EXCELS)दिये जाते हैं।

अधिकारियों/कर्मचारियों की उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता हैं।

इस वर्ष की बजट घोषणा की अनुपालन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल द्वारा इस अवार्ड के पंजीकरण के लिए पोर्टल विकसित किया गया हैं।

पोर्टल पर अधिकारियों/कर्मचारियों को अथवा संगठन को अवार्ड के लिए मनोनयन हेतु पंजीकरण किया जा सकता हैं। पंजीकृत करने के पश्चात सरकार द्वारा निर्धारित कमेटी द्वारा संवीक्षा करने पर सुझाये गये नामो को मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जाता हैं।

11. Rajasthan Issues Monitoring System (RIMS):

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के बीच में विभिन्न नीतियों एवं विषयों के समन्वय के लिए रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस नई दिल्ली के दिशा निर्देशों में पोर्टल को विकसित किया गया हैं। इस पोर्टल के माध्यम से राजस्थान सरकार के विभिन्न मुद्दे एवं नीतियां केंद्र सरकार को तीव्र गति से भेजी जा सकती हैं।

इस पोर्टल पर राजस्थान सरकार के अधीन विभागों द्वारा केन्द्र सरकार से संबंधित मुद्दे अपलोड कर उनका निपटारण ऑनलाइन माध्यम से किया जाता हैं।

इस पोर्टल के माध्यम से केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार दोनों के कई मुद्दो का निपटान किया हैं।

12. राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर एप्लीकेशन:

राजस्थान सरकार ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में एक बहु

सांस्कृतिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। अप्रैल 2011 में जयपुर विकास प्राधिकरण को यह कार्य सौंपा गया।

जेडीए द्वारा आरआईसी के लिए सर्वश्रेष्ठ भवन डिजाइन का चयन करने के लिए देश के प्रतिष्ठित वास्तुकारों से डिजाइन आमंत्रित करने के लिए एक अखिल भारतीय डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। मैसर्स प्रमोद जैन एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तावित डिजाइन को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया और फर्म को परियोजना से सम्मानित किया गया। आरआईसी की नींव 19 अप्रैल 2013 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान और माननीय शहरी विकास और आवास मंत्री महोदय, राजस्थान द्वारा रखी गई थी।

राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की वेबसाइट एवं विभिन्न वेन्यू के बुकिंग के लिए पोर्टल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल द्वारा विकसित किया गया हैं एवं वर्तमान में 200 से अधिक बुकिंग इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त हो चुकी हैं।

लागू की गई मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

- सदस्यता – व्यक्तिगत और संस्थागत
- सदस्यता डेस्कफ्लो
- पूर्व–स्वीकृत सदस्यताएँ
- स्थल बुकिंग
- स्वचालित भुगतान ऑनलाइन + ऑफलाइन
- RIC Self बुकिंग सुविधा
- बुकिंग डेस्कफ्लो
- रिफंड डेस्कफ्लो
- ड्यूटी असाइनमेंट
- गतिशील रियलटाइम कैलेंडर

13. नजूल प्रॉपर्टी पट्टा एप्लिकेशन :

प्रदेश की नजूल सम्पत्तियों पर काबिज अल्प आय वर्ग कब्जेधारियों को सम्पत्ति हस्तांतरण करने के लिए नजूल प्रॉपर्टी पट्टा एप्लिकेशन विकसित गई हैं। इस एप्लिकेशन को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल द्वारा बनाया गया हैं।

उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में इस सम्बन्ध में घोषणा की गई थी, जिसकी क्रियान्विति में उक्त निर्णय किया गया हैं।

स्वामित्व हस्तांतरण के लिये ऑनलाइन आवेदन एस.एस.ओ. आईडी के माध्यम से किया जा सकता हैं। आवेदन लेने से लेकर पट्टा जारी करने तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन हैं। पट्टा ई–साइन प्रणाली के माध्यम से जारी किया जाएगा। अब तक कुल 81 आवेदन विभाग को ऑनलाईन माध्यम के द्वारा प्राप्त हो चुके हैं।

14. स्ट्रीट वेण्डर एप्लीकेशन:

स्ट्रीट वेण्डर पंजीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया हैं। ऑनलाइन आवेदन एस.एस.ओ. अथवा ई–मित्र के माध्यम से किया जा सकता हैं। ऑनलाइन आवेदन की जांच स्थानीय निकाय विभाग द्वारा पूरी कर स्ट्रीट वेण्डर को प्रमाण–पत्र ऑनलाइन ही जारी किया जायेगा। पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने पर स्ट्रीटवेण्डर को सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी एवं कार्य सहुलियत से हो सकेगा।

15. स्पोट्र्स एंड यूथ सर्वीसेज:

विभिन्न खेलों के खिलाडियों व स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के पंजीकरण के लिए स्पोट्र्स एंड यूथ सर्वीसेज एप्लिकेशन को विकसित किया गया हैं। ऑनलाइन आवेदन एस.एस.ओ. आईडी के माध्यम से किया जा सकता हैं।

9.39 चीफ मिनिस्टर वर्कस मेनेजमेंट सिस्टम (CM-WMS)

CM-WMS पोर्टल राजस्थान सरकार की Infra related बजट घोषणाओं और मेगा प्रोजेक्टस (ऐसे प्रोजेक्टस जिनकी अनुमानित लागत 100 करोड रूपये से अधिक हो) की समग्र प्रगति/स्थिति की ऑनलाइन निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।

इसके माध्यम से Infra related बजट घोषणाओं और मेगा प्रोजेक्टस से संबंधित विभिन्न विभागों के द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाती है और विभिन्न विभागो द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रगति मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फोटोग्राफ के साथ अपलोड करनी होती है।

इसके अन्तर्गत प्रति माह श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा ली जाने वाली बैठक में Infra related बजट घोषणाओं और मेगा प्रोजेक्टस के कार्यो के संबंध में विभिन्न विभागो को दिशा–निदेर्शित किया जाता है और विभागो को श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा दिये गये निर्देशो की अनुपालना में लिये गये एक्शन को इस एप्लीकेशन पर प्रविष्ट करना होता है।

9.40 इन्ट्रीग्रेटेड वाटरशेड मेनेजमेट सिस्टम (IWMS)

IWMS (इन्ट्रीग्रेटेड वाटरशेड मेनेजमेट सिस्टम) के अन्तर्गत वाटरशेड डिर्पाटमेंट से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं (जैसे :– MJSA, MJSA 2.0, RGJSY, PMKSY, IWMP, Atal Bhujal

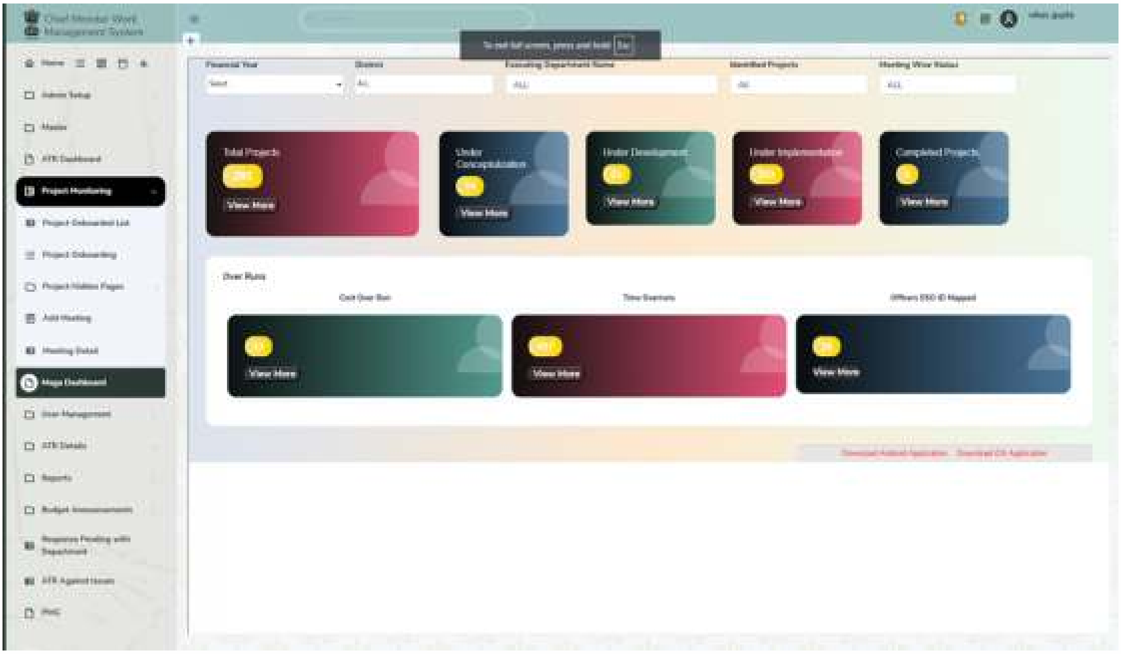

Yojana etc.) प्रगति/स्थिति की ऑनलाइन प्रगति हेतु विकसित किया गया है।

IWMS (इन्ट्रीग्रेटेड वाटरशेड मेनेजमेट सिस्टम) के माध्यम से जल–संबंधित परियोजनाओं की निगरानी बनाए रखने और गुणवत्ता और दक्षता सुनिश्चित करने में एक अमूल्य उपकरण साबित होता है। प्रत्येक चरण – सर्वेक्षण–पूर्व से निरीक्षण तक – को व्यवस्थित रूप से ट्रैक करके हम अपने काम में उच्च स्तर की सटीकता और विश्वसनीयता प्राप्त करने में सक्षम हैं।

- **वेब ऐप्लीकेशन:**

  वेब ऐप्लीकेशन के माध्यम से प्रोजेक्ट बनाना (ब्लॉक स्तर पर, परियोजना के अन्तर्गत आने वाले गांवो का चयन करना।), चयन किए हुए गांवों के लिए जनसांख्यिकीय और पानी की आवश्यकता का विवरण जोडना, पहले से बनी हुयी संरचनाओं का प्री–सर्वे करना और नये वर्क प्लान करना, नये प्लान कार्यो के लिए वर्क फ्लो अप्रूवल, गॉव वाइज व ब्लॉक वाइज डी.पी.आर., स्वीकृतियां जारी करना, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट जारी करना आदि।

- **मोबाइल ऐप्लीकेशन:**

  (अ) प्री सर्वे करना

  (ब) नये वर्क प्लान करना

  (स) विभिन्न चरणो में कार्यो की प्रगति अपलोड करना

  (द) इवेंट और IEC activity की फोटोग्राफ अपलोड करना

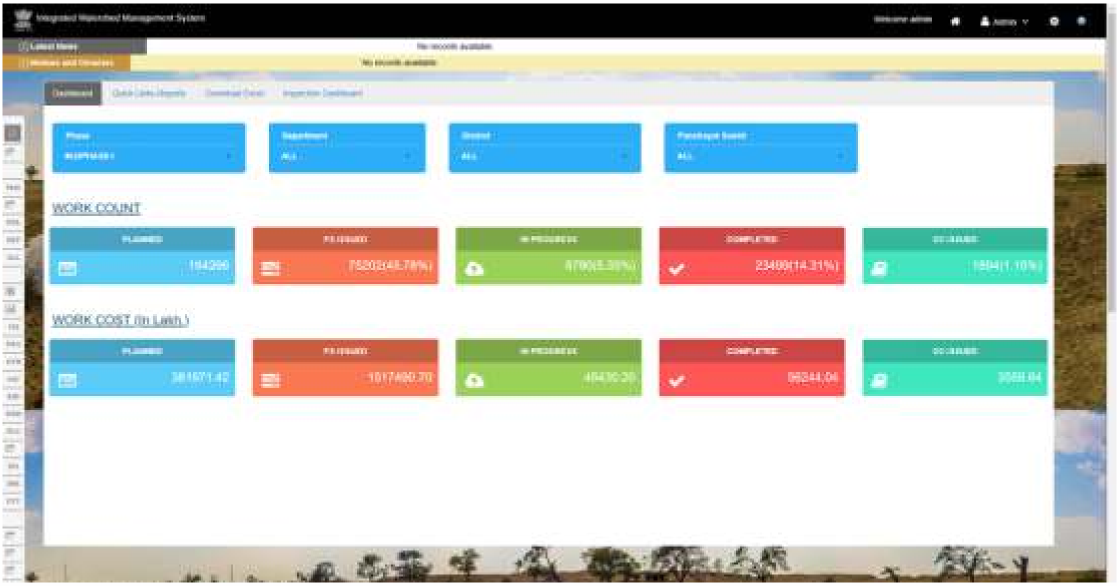

9.41 फाइबर टू द होम (FTTH) परियोजना -

राज्य में ग्राम पंचायत स्तर तक सरकारी कार्यालयों/भवनों को एफटीटीएच के माध्यम से इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाये जाने के लिए फाइबर टू द होम (FTTH) परियोजना–

फाइबर टू द होम परियोजनान्तर्गत, राज्य में ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर सरकारी कार्यालयों/भवनों को एफटीटीएच के माध्यम से इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाये जाने की योजना है। इस परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर मौजूदा भारतनेट नेटवर्क का उपयोग करके सरकारी कार्यालयों / भवनों मे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी (ओएफसी) पर इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जा रही है । इस नेटवर्क के माध्यम से राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न सरकारी कार्यालयों मे डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है ।

FTTH परियोजना का उद्देश्य-

इस परियोजना का उद्देश्य, राज्य में नागरिक सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक पर्याप्त इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाया जाना है। परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. मौजूदा भारतनेट नेटवर्क का उपयोग करके राज्य भर में ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी कार्यालयों/भवनों (जैसे कि – स्कूल, स्वास्थ्य भवन, पुलिस स्टेशन, पटवार भवन, पंचायत कार्यालय इत्यादि) में हाई स्पीड इंटरनेट।
2. एफटीटीएच कनेक्टिविटी का उपयोग करके राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सेवाओं का वितरण।
3. इस परियोजना के अगले चरण मे ग्राम स्तर पर भी स्थित सरकारी कार्यालयों/भवनों में एफटीटीएच कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाने की योजना हैं।

FTTH परियोजना का लाभ -

1. एफटीटीएच परियोजना के तहत अब तक लगभग 5100 से अधिक ग्राम पंचायतों में कुल 26,000 से अधिक एफटीटीएच कनेक्शन लगाये जा चुके हैं।
2. इन्टरनेट कनेक्टिविटी का उपयोग ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी कार्यालयों / विद्यालयों के द्वारा किया जा रहा है।

FTTH परियोजना की वर्षवार प्रगति-

वर्ष	वर्ष 2023	वर्ष 2024 (अब तक)
कनेक्शनों की संख्या	18,050	7,980

10 वर्ष वार विगत तीन वर्षों के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय

वर्ष 2024-2025 के वित्तीय लक्ष्य तथा माह दिसम्बर, 2024 तक व्यय

(राशि लाख में)

S.No.	Project	Allotment (Modified BE 2024-25)			Exp. Upto 31.12.2024
		State Share	Central Share	Total	
1	IT& DoIT	**1,74,945.29**	**1.53**	**1,74,946.82**	**72,864.16**
2	NEGP	-	-	-	-
	Total	**1,74,945.29**	**1.53**	**1,74,946.82**	**72,864.16**

वर्ष 2023-2024 के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय

(राशि लाख में)

S.No.	Project	Allotment (RE 2023-24)			Exp. Upto 31.03.2024
		State Share	Central Share	Total	
1	IT& DoIT	**294312.43**	**1.50**	**294313.93**	**271848.68**
2	NEGP	-	-	-	-
	Total	**294312.43**	**1.50**	**294313.93**	**271848.68**

वर्ष 2022-2023 के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय

(राशि लाख में)

S.No.	Project	Allotment (RE 2022-23)			Exp. Upto 31.03.2023
		State Share	Central Share	Total	
1	IT& DoIT	278257.19	1.00	278258.19	125647.38
2	NEGP	-	-	-	-
	Total	**278257.19**	**1.00**	**278258.19**	**125647.38**

11 पुरस्कार एवं प्रशंसा

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को e-Governance और I.T. के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों को विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया :–

1. **Raj Kisan Sathi** परियोजना को
   - e-Governance Rajasthan Award 2020-2021 से पुरस्कृत किया गया हैं।
   - SKOCH Award- SILVER-2022 से पुरस्कृत किया गया हैं।
   - SKOCH Order-of-Merit Award-2022 for Raj Kisan Sathi Portal से पुरस्कृत किया गया हैं।
   - SKOCH Order-of-Merit Award-2022 for RajAgriQC से पुरस्कृत किया गया हैं।
   - SKOCH Order-of-Merit Award-2022 for Seed Minikit से पुरस्कृत किया गया हैं।
   - SKOCH Order-of-Merit Award-2023 for Rajkisan Suvidha Mobile App से पुरस्कृत किया गया हैं।
   - National Awards for e-Governance Scheme 2023-2024 से पुरस्कृत किया गया हैं।
2. **RajCAD** परियोजना को
   - Certificate of Appreciation 2023
   - Certificate of Appreciation 2022 से पुरस्कृत किया गया हैं।
3. **Raj-Kaj (eOffice)** परियोजना को
   - Skoch Award 2022 Awards से पुरस्कृत किया गया हैं।
4. **Jan Kalyan Portal** परियोजना को
   - Skoch Award 2022 Awards से पुरस्कृत किया गया हैं।
5. **Aadhaar Authentication Ecosystem & Aadhaar Data Vault Project** परियोजना को
   - SKOCH Order-of-Merit Award- 2022 से पुरस्कृत किया गया हैं।

6. **Startup** परियोजना को

 - Certificate of Appreciation as an Aspiring Leader 2022 से पुरस्कृत किया गया हैं।

7. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं ऑथेंटीकेशन इंजन **(DVAE)** परियोजना को

 - IMC Digital Technology Award 2021- Certificate of Merit in Government Sector से पुरस्कृत किया गया हैं एवं
 - IMC Digital Technology Award 2020 - Award for excellence for best Digital Implementation ।

8. **Raj Masters – Centralized Master Data Hub** को

 - Indian Express Techsabha award 2019
 - eGovernance Now award 2019 एवं
 - Skoch award 2019 से पुरस्कृत किया गया हैं।
 - IMC Digital Technology Award 2021- Certificate of Recognition for your application DOIT से पुरस्कृत किया गया हैं

9. **RTI** परियोजना को

 - Skoch Award से पुरस्कृत किया गया हैं।

10. **eSign CA Solution** को

 - eGovernance Now award 2019 से पुरस्कृत किया गया हैं।

11. **e-Bazaar** परियोजना को

 - IMC Digital Technology Award 2018 एवं
 - Skoch order of Merit award 2019 से पुरस्कृत किया गया हैं।

12. **WS&APS** परियोजना को

 - SKOCH in “Silver Category” of Cyber Security
 - “Order of Merit” category for Top ranking cyber security Projects in India (2018)
 - Finest India Skills & Talent (F.I.ST) Awards 2019 under innovation Product of the year Security

- Silver Awards in category-VI i.e.Excellence in adopting emerging technologies"- National e-Governance Award 2020

13. BTH & BSDC परियोजना को

- FSAI Awards से पुरस्कृत किया गया हैं।

14. Power SCADA परियोजना को

- Energy Conservation Awards से पुरस्कृत किया गया हैं।

15. Emitra परियोजना को

- Best digital Transformation Award 2018
- IMC Digital Technology Awards 2018 से
- Skoch Award 2019 एवं
- Skoch Award 2022 Awards से पुरस्कृत किया गया हैं।
- Skoch Award 2023 Awards से पुरस्कृत किया गया हैं।

16. Jan Soochna Portal परियोजना को

- Skoch Award 2021 Awards से पुरस्कृत किया गया हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

फोन : 0141-2224855 फैक्स : 0141-2222011

http://www.rajasthan.gov.in,

http://www.doitc.rajasthan.gov.in